








Guide to Micro, Small and Medium Enterprises: Policies and Incentives in India










Micro, Small and Medium Enterprises: Policies and Incentives in India



About SEQUA

The Foundation for Economic Development and Vocational Training (SEQUA) founded in 1991 as a non-profit organisation is a joint undertaking of ZDH, Association of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK), Confederation of German Employers' Associations (BDA) and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. As a service organisation for project acquisition and implementation, SEQUA mobilizes the know-how and commitment of German business organisations and enterprises for the benefit of international cooperation.

With its projects SEQUA contributes to the economic and social development particularly in developing countries. The project focus is the promotion of SME's, the development of private sector organizations and the support of vocational training in the partner countries. Futhermore, SEQUA supports activities of European companies in developing countries as well as in South Eastern Europe. Since 1991, SEQUA has carried out more than 300 projects worldwide.



The ZDH / SEQUA Partnership Programme in India

The ZDH / SEQUA Partnership Programme in India supports the development of small and medium enterprises (SMEs) by building up the capacities of business membership organizations — Chambers of Commerce & Industry, Associations and Federations of business organizations to provide improved and sustainable services to their members especially to the SMEs. The programme is sponsored by the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ).

The 1st Phase of the current Program was started on 1st April, 2010 and will be implemented until 31st March, 2013. During October — November 2012 an "Evaluation Mission" was carried out to find out the project results and achievements of the Program. **Ms Elke Demtschueck**, External Evaluator, Berlin, Germany was appointed by BMZ and she rated this program as a "Success" and she noted that in certain areas the project goals were "over achieved".

Her report and recommendation to BMZ on the 2nd Phase of the Program, has already been approved by BMZ and the implementation of the new phase shall commence from 1st April 2013 until 31st March 2016.

The program objectives of the 2nd Phase will be Strengthening the "Internal Management" — training to secretarial staff, executive committee members and Office bearers, "Establishing new services and Strengthening Existing Services" to Members and to "Create and sustain effective Networking" with district, state, national and International BMOs and related institutions.

The 2nd Phase of the partnership program will have 5 BMO Partners in Central and North India. They are:

- 1. FMPCCI Federation of Madhya Pradesh Chamber of Commerce and Industry, Bhopal, Madhya Pradesh
- 2. IIA Indian Industries Association, Lucknow, Uttar Pradesh
- 3. MIA Mohali Industries Association, Mohali, Punjab
- 4. MPLUS Madhya Pradesh Laghu Udyog Sangh, Bhopal, Madhya Pradesh
- 5. UCCI Udaipur Chamber of Commerce and Industry, Udaipur, Rajasthan

FSIA – Faridabad Small Industries Association, Faridabad, Haryana is a Networking Partner during the 2nd Phase.

Contact Details:

Mr Juergen Henkel

Project Director SEQUA gGmbH- (HQ)

Partner of German Business Alexanderstr. 10, D-53111 Bonn Tel.: +49 / 228 / 98238-52

Fax: +49 / 228 / 98238-19 -29 Email: info@sequa.de Web: http://www.sequa.de

Mr Arunachalam Karthikeyan

Project Director and Country Manager SEQUA gGmbH — LIAISON OFFICE (INDIA)

D-1, Sector 27, Noida - 201301. U.P.
Tele fax: +91-120-4348362
Email: sequaindia@gmail.com
Web: www.sequaindia.org

PREFACE

There is a felt need of skill development and training for 26 million micro, small- and medium-enterprises for the Twelfth Five-Year Plan. This MSME sector manufactures more than 6000 products and contributes about 45 per cent of total manufacturing and accounts for 40 per cent of India's total exports.

Globalisation opens up new opportunities for MSMEs while offering also numerous challenges. Developing a thorough conceptual understanding of international marketing has become crucial to success not only for MSMEs who operate globally but also operate domestically.

Government through its various schemes is putting considerable energies to catalyse the MSME eco-systems, clustering and networking the MSMEs, providing them access to information and education, and carving out policies to easy access to finance.

Understanding of smart export marketing strategies will play a significant role in enhancing the skill of export business in the near future. Keeping in view of this fact, this publication, **How to Start Export Business for MSMEs in India?**, will be a guide for prospective exporters from the small and medium enterprises. Familiarising yourself with export marketing will enable you to reach a high state of mental concentration on export business.

I present this publication to **Sequa and ZDH** and we are sure it would help the MSME players in the country on enhancing their efforts in export business promotion.

Dr Mahesh Y Reddy

Director General
Confederation of Indian Small and
Medium Enterprises, New Delhi, India

CONTENTS

1.	Intr	oduction	01				
2.	Pol	icy Statement on Small, Tiny Enterprises and Village Industries	02				
3.	Intr	oduction to the Micro, Small and Medium Enterprises	08				
4.	Rep	oort of the Task Force on Micro, Small and Medium Enterprises	10				
5.	Pla	nning Commission's Initiative for MSME Sector	13				
6.	Sub	o-Group on Flow of Private Sector Investments for MSME Sector	16				
7.	Cre	dit Related Policy	18				
8.	Micro, Small and Medium Enterprises Finance						
9.	Exi	m Bank Debt Restructuring Scheme for SMEs	21				
10.	SID	BI Promotional and Development Activities	25				
11.	Nat	tional Commission on Enterprises in the Unorganised Sector	28				
12.	FDI	in Retailing: Impact on MSMEs	29				
13.	Off	ice of Development Commissioner Schemes	32				
	(i)	National Manufacturing Competitiveness Programme — NMCC	32				
	(ii)	Micro, Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP)	33				
	(iii)	Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS)	34				

CONTENTS

	(iv)	Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGMSE)	38
	(v)	ISO9000/ISO14001 Certification Reimburse Scheme	40
	(vi)	Market Development Assistance for MSME Exporters	41
	(vii)	Mini Tool Rooms and Training Centre	43
	(viii)	Assistance to Entrepreneurship Development Institutes	44
	(xi)	Scheme of Micro Finance Programme	44
	(x)	Scheme of National Award	46
	(xi)	Scheme to Support 5 Selected University/College to run 1200 Entrepreneurship Clubs	46
14.	Prog	ramme & Scheme of the Ministry of MSME	48
	(1)	Scheme of Survey, Studies and Policy Research	50
	(ii)	Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries — (SFURTI)	50
	(iii)	Product Development, Design Intervention and Packaging (PRODIP) Scheme	50
	(iv)	Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana (RGUMY)	51
	(v)	Scheme of Khadi Karigar Janashree Bima Yojana for Khadi Artisan (JBY)	54
	(vi)	Scheme of Interest Subsidy Eligibility Certification (ISEC)	55
	(vii)	Integrated Infrastructure Developmet (IID)	55
	(viii)	Scheme for setting up of Testing Centres by Industries Associations & Modernisation/ Expansion of Quality Marking Centres of State Governments and their Autonomous Bodies	57

CONTENTS

15.	National Small Industries Corporation Ltd	61
16.	Khadi and Village Industries Commission and Coir Board	62
17.	Important Policies, Regulation and Procedure Governing Foreign Trade	63
18	Tax Holidy Scheme	64
19.	Industrial Estate Programme	65
20.	MSME Sector: A Profile	66

01 Introduction

Worldwide, the micro small and medium enterprises (MSMEs) have been accepted as the engine of economic growth and for promoting equitable development. The major advantage of the sector is its employment potential at low capital cost. The labour intensity of the MSME sector is much higher than that of the large enterprises. The MSMEs constitute over 90% of total enterprises in most of the economies and are credited with generating the highest rates of employment growth and account for a major share of industrial production and exports. In India too, the MSMEs play a pivotal role in the overall industrial economy of the country. In recent years the MSME sector has consistently registered higher growth rate compared to the overall industrial sector. With its agility and dynamism, the sector has shown admirable innovativeness and adaptability to survive the recent economic downturn and recession.

India has a vibrant micro and small enterprise sector that plays an important role in sustaining the economic growth, by contributing around 45 per cent in country's industrial output and contribute over Rs 30,000 crore to the manufacturing output and over Rs 12,000 crore to the total exports. MSMEs manufacture over 8000 products, which constitutes close to over 9 per cent of India's GDP. As per available statistics (4th Census of MSME Sector), this sector employs an estimated 59.7 million persons spread over 26.1 million enterprises.

The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises is the nodal Ministry for formulation of policies, programmes and schemes, their implementation and related co-ordination, for the promotion and development of small scale industries in India. The role of the Ministry is to assist the States in their efforts for the growth of the small scale sector, by enhancing their competitiveness in an increasingly liberalised economy. Micro, Small and Medium Enterprises—Development Organisation (MSME-DO) provides a comprehensive range of common facilities, technology support services, marketing assistance, entrepreneurial development support, etc.

Policy Statement on Small, Tiny Enterprises and Village Industries (6th August 1991)

A. SMALL AND TINY ENTERPRISES.

1.0 Introduction

- 1.1 The Small Scale Industrial Sector has emerged as a dynamic and vibrant sector of the economy during the eighties. At the end of the Seventh Plan period, it accounted for nearly 35 per cent of the gross value of output in the manufacturing sector and over 40 per cent of the total exports from the country. It also provided employment opportunities to around 12 million people.
- 1.2 The primary objective of the Small Scale Industrial Policy during the nineties would be to impart more vitality and growth-impetus to the sector to enable it to contribute its mite fully to the economy, particularly in terms of growth of output, employment and exports. The sector has been substantially delicensed. Further efforts would be made to deregulate and debureaucratise the sector with a view to remove all fetters on its growth potential, reposing greater faith in small and young entrepreneurs.
- 1.3 All statutes, regulations and procedures would be reviewed and modified, wherever necessary, to ensure that their operations do not militate against the interests of the small and village enterprises.

2.0 Tiny Enterprises

- 2.1 Government have already announced increase in the investment limits in plant and machinery of small scale industries, ancillary units and export oriented units to Rs 6 million, Rs 7.5 million, and Rs 200 thousand respectively. Such limits in respect of "TINY" ENTERPRISES would now be increased from the present Rs 200 thousand to Rs. 500 thousand, irrespective of location of the unit. Limit in plant and machinery for determining the status of MSME/Ancillary units as on date is Rs 10 million. For tiny it is Rs 2.5 million and for SSSBE Rs 500 thousand.
- 2.2 Service sub-sector is a fast growing area and there is need to provide support to it in view of its recognised potential for generating employment. Hence all Industry-related service and business enterprises, recognised as small scale industries and their investment ceilings would correspond to those of Tiny enterprises.
- 2.3 A separate package for the promotion of Tiny Enterprises is now being introduced. This constitutes the main thrust of Government's new policy.
- 2.4 While the small scale sector (other than 'Tiny Enterprises') would be mainly entitled to one-time benefits (like preference in land allocation/power connection, access to facilities for skill/technology upgradation), the 'Tiny' enterprises would also be eligible for additional support on a continuing basis, including easier access to institutional finance, priority in the Government Purchase Programme and relaxation from certain provisions of labour laws.

2.5 It has also been decided to widen the scope of the National Equity Fund Scheme to cover projects upto Rs. 1 million for equity support (upto 15 per cent). Single Window Loan Scheme has also been enlarged to cover projects upto Rs 2 million with working capital margin upto Rs 1 million. Composite loans under Single Window Scheme, now available only through State Financial Corporations (SFCs) and twin function State Small Industries Development Corporation (MSMEDCs), would also be channelised through commercial banks. This would facilitate access to a larger number of entrepreneurs.

3.0 Financial Support Measures

- 3.1 Inadequate access to credit both short term and long term remains a perennial problem facing the small scale sector. Emphasis would henceforth shift from subsidised/cheap credit, except for specified target groups, and efforts would be made to ensure both adequate flow of credit on a normative basis, and the quality of its delivery, for viable operations of this sector. A special monitoring agency would be set up to oversee that the genuine credit needs of the small scale sector are fully met.
- 3.2 To provide access to the capital market and to encourage modernisation and technological upgradation, it has been decided to allow equity participation by other industrial undertakings in the MSME, not exceeding 24 per cent of the total shareholding. This would also provide a powerful boost to ancillarisation & sub-contracting, leading to expansion of employment opportunities.
- 3.3 Regulatory provisions relating to the management of private limited companies are being liberalised. A Limited Partnership Act will be introduced to enhance the supply of risk capital to the small scale sector. Such an Act would limit the financial liability of the new and non-active partners/entrepreneurs to the capital invested.
- 3.4 A beginning has been made towards solving the problem of delayed payments to small industries by setting up of 'factoring' services through Small Industries Development Bank of India (SIDBI). Network of such services would be set up throughout the country and operated through commercial banks. A suitable legislation will be introduced to ensure prompt payment of Small Industries' bills.

4.0 Infrastructural Facilities

- 4.1 To facilitate location of industries in rural/backward areas and to promote stronger linkages between agriculture and industry, a new Scheme of Integrated Infrastructural Development (including Technological Back-up Services) for Small Scale Industries would be implemented with the active participation of State Governments and financial institutions.
- 4.2 A Technology Development Cell (TDC) would be set up in the Small Industries Development Organisation (SIDO) which would provide technology inputs to improve productivity and competitiveness of the products of the small scale sector. The TDC would coordinate the activities of the Tool Rooms, Process-cum-Product Development Centres (PPDCs), existing as well as to be established under SIDO, and would also interact with the other industrial research and development organisations to achieve its objectives.
- 4.3 Adequacy and equitable distribution of indigenous and imported raw materials would be ensured to the small scale sector, particularly the tiny sub-sector. Policies would be so designed that they do not militate against entry of new units. Based on the capacity needs, Tiny/Small Scale units would be given priority in allocation of indigenous raw materials.

4.4 A proper and adequate arrangement for delivery of total package of incentives and services at the District level will be evolved and implemented.

5.0 Marketing and Exports

- 5.1 In spite of the vast domestic market, marketing remains a problem area for small and tiny enterprises. Mass consumption labour intensive products are predominantly being marketed by the organised sector. The tiny/small scale sector will be enabled to have a significant share of such markets. In addition to the existing support mechanism, market promotion would be undertaken through cooperative/public sector institutions, other specialised/professional marketing agencies and consortia approach, backed up by such incentives, as considered necessary.
- 5.2 National Small Industries Corporation (NSIC) would concentrate on marketing of mass consumption items under common brand name and organic links between NSIC and MSMEDCs would be established.
- 5.3 Government recognises the need to widen and deepen complementarily in production programmes of large/medium and small industrial sectors. Parts, components, sub-assemblies, etc. required by large public/private sector undertakings would be encouraged for production in a techno-economically viable manner through small scale ancillary units. Industry associations would be encouraged to establish sub-contracting exchanges, in addition to strengthening the existing ones under the SIDO. Emphasis would also be laid on promotion of a viable and competitive 'component' market.
- 5.4 Though the Small Scale Sector is making significant contribution to total exports, both direct and indirect, a large potential remains untapped. The SIDO has been recognised as the nodal agency to support the small scale industries in export promotion. An Export Development Centre would be set up in SIDO to serve the small scale industries through its network of field offices to further augment export activities of this sector.

6.0 Modernisation, Technological and Quality Upgradation

- 6.1 A greater degree of awareness to produce goods and services conforming to national and international standards would be created among the small scale sector.
- 6.2 Industry Associations would be encouraged and supported to establish quality counselling and common testing facilities. Technology Information Centres to provide updated knowledge on technology and markets would be established.
- 6.3 Where non-conformity with quality and standards involves risk to human life and public health, compulsory quality control would be enforced.
- 6.4 A reoriented programme of modernisation and technological upgradation aimed at improving productivity, efficiency and cost effectiveness in the small scale sector would be pursued. Specific industries in large concentrations/clusters would be identified for studies in conjunction with SIDBI and other banks. Such studies will establish commercial viability of modernisation prescriptions, and financial support would be provided for modernisation of these industries on a priority basis.

6.5 Indian Institutes of Technology (IITs) and selected Regional/other Engineering Colleges will serve as Technological Information, Design and Development Centres in their respective command areas.

7.0 Promotion of Entrepreneurship

- 7.1 Government will continue to support first generation entrepreneurs through training and will support their efforts. Large number of EDP trainers and motivators will be trained to significantly expand the Entrepreneurship Development Programmes (EDP). Industry Associations would also be encouraged to participate in this venture effectively.
- 7.2 EDP would be built into the curricula of vocational and other degree level courses.
- 7.3 Women entrepreneurs will receive support through special training programme. Definition of "Women Enterprises" would be simplified. The present stipulation regarding employment of majority of women workers would be dispensed with and units in which women entrepreneurs have a majority shareholding and management control, would be defined as "Women Enterprises".

8.0 Simplification of Rules and Procedures

- 8.1 The persistent complaint of small scale units of being subjected to a large number of Acts and Laws, being required to maintain a number of registers and submit returns, and face an army of inspectors, would be attended to within a specified time frame of three months.
- 8.2 Procedures would be simplified, bureaucratic controls effectively reduced, unnecessary interference eliminated and paper work cut down to the minimum to enable the entrepreneurs to concentrate on production and marketing functions.

B. VILLAGE INDUSTRIES

9.0 Handloom Sector

- 9.1 Handloom sector contributes about 30 per cent of the total textile production in the country. It is the policy of Government to promote handlooms to sustain employment in rural areas and to improve the quality of life for handloom weavers.
- 9.2 Schemes for the handloom sector will be redesigned keeping in mind the local and regional needs. Constraints of coverage will be removed so as to include bulk of the weavers who are outside the corporate/cooperative fold.
- 9.3 Existing schemes will be re-drawn and suitably revised under three major heads:
 - (a) <u>Project Package Scheme</u>: Under this scheme, area-based projects for product development, upgradation of technology, improvement of marketing facilities will be drawn up.
 - (b) Welfare Package Scheme: Number of welfare schemes and quantum of funds earmarked for them will be substantially augmented.

- (c) <u>Organisation Development Package</u>: Schemes for participation in the share capital will be re-drawn under organisational development scheme for imparting a better management system in the existing state agencies.
- 9.4 Janta cloth scheme which sustains weavers often on a minimum level of livelihood will be phased out by the terminal year of the VIII Plan and replaced by the omnibus project package scheme under which substantial funds will be provided for modernisation of looms, training, provision of better designs, provision of better dyes and chemicals and marketing assistance.
- 9.5 A vastly expanded role for the National Handloom Development Corporation (NHDC) is envisaged. NHDC would be the nodal agency for increasing the supply of hank yarn and of dyes and chemicals. Spinning capacity in the co-operative sector will be increased. National Co-operative Development Corporation will provide more assistance for this in the form of Seed Money, both for cotton growers spinning mills and weavers spinning mills.
- 9.6 For improving marketing of handloom products, a more intensive implementation of schemes for design and product improvement by national level publicity, exhibitions, and design exercise will be undertaken. A special scheme will be drawn up to graduate the handloom production, which is often of low value items, to high value products suitable for export markets. This will be done by better design inputs, upgradation of technology, diversion of weavers from cotton to silk and tassar weaving. Special projects for modernisation of looms for products suitable for export markets will be drawn up.

10.0 Handicrafts Sector

- 10.1 The key areas in handicrafts that could contribute towards a faster pace of rural industrialisation are production and marketing. Schemes for training and design development and for production and marketing assistance will be given encouragement.
- 10.2 Considering the importance of this sector from the point of view of employment and exports, it is proposed to provide an integrated development thrust to this sector with a view to enlarging the production base, thus enhancing the opportunities for employment and income through crafts as an economic activity and to giving it necessary inputs for quality improvement and effective marketing support both internal and overseas. Efforts will be made not only to preserve the traditional richness of the crafts but to engage the hereditary skills of the craftspersons to suit modern requirements.

10.3 Emphasis will be given to the following:-

- Extension of services like supply of raw materials, design and technical guidance, market support, training and procuring of related materials/inputs in an integrated and area-based manner through the setting up of craft development centres in identified clusters of villages.
- Market development support in the form of a package of assistance through expansion of marketing infrastructure, exhibitions, publicity, etc., through Central and State Handicrafts Corporations, voluntary organisations and support to direct marketing activity by craftsperson.

- Expansion of training activities by greater involvement of State Handicrafts Development Corporations, Co-operatives and voluntary organisations.
- Measures to sustain an increased exports of handicrafts through new marketing channels like trading companies, departmental stores, etc.

11.0 Other Village Industries

- 11.1 Government recognise the need to enhance the spread of rural and cottage industries towards stepping up non-farm employment opportunities.
- 11.2 The activities of the Khadi and Village Industries Commission and the State Khadi and Village Industries Boards will be expanded and the organisations strengthened to discharge their responsibilities more effectively.
- 11.3 There will be greater emphasis on improving the quality and marketability of the products pari passu with consumer preferences instead of merely depending on rebates and subsidies.
- 11.4 While the plan allocation for rural industries will be augmented, effective steps will also be taken to ensure better flow of credit from the financial institutions and a more coordinated and optimal utilisation of different development schemes and agencies operating in the rural sector. Bankability of projects undertaken in this sector would be stressed.
- 11.5 The programmes of intensive development of KVI through area approach with tie-up with DRDA, TRYSEM and ongoing developmental programmes relating to weaker sections like Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Women would be extended throughout the country.
- 11.6 The traditional village industries would be given greater thrust. Involvement of traditional and reputed voluntary organisations will be encouraged.
- 11.7 Agro processing and food processing industries in KVI sector using appropriate technologies would be promoted with a view to utilise locally available agricultural produce and promote employment/resource generation in the countryside.
- 11.8 Functional industrial estates would be established in areas with concentration of agricultural/horticultural produce.
- 11.9 R & D in KVI sector would be strengthened through greater linkages with CSIR and other research institutions in the areas of production, finishing/packaging, processes and development of new tools and implements.
- 11.10 The training programmes would be upgraded and augmented to cover the expanded list of industries under the purview of the KVIC.

Introduction to the Micro, Small and Medium Enterprises

Globally Micro, small and medium enterprises (MSME) sector has been recognised as an engine of growth. The sector is characterised by low investment requirement, operational flexibility, location wise mobility, and import substitution. The "Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006" is the first single comprehensive legislation in India, covering micro, small and medium enterprises. Under the Act, the terms "medium sector" and "micro enterprises" have been defined for the first time. The concept of 'Industries' has also been widened to that of 'Enterprises'. Enterprises have been classified broadly into two categories, namely, enterprises engaged in the manufacture/production of goods pertaining to any industry; and enterprises engaged in providing/rendering of services. The term "enterprise" has been defined in terms of investment in plant and machinery/ equipment (excluding land & building). According to the MSME Act 2006, these enterprises are classified in two categories covering all the three segments.

- (a) Manufacturing Enterprises- The enterprises engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first schedule to the industries (Development and Regulation) Act, 1951. The Manufacturing Enterprises are defined in terms of investment in Plant & Machinery.
- (b) Service Enterprises: The enterprises engaged in providing or rendering of services and are defined in terms of investment in equipment.

The limit for investment in plant and machinery / equipment for manufacturing / service enterprises, as notified, vide S.O. 1642(E) dtd.29-09-2006 are as under:

Manufacturing Sector						
Enterprises	Investment in plant & machinery					
Micro Enterprises	Does not exceed Rs 25 lakh					
Small Enterprises	More than Rs 25 lakh but does not exceed Rs 5 crore					
Medium Enterprises	More than Rs 5 crore but does not exceed Rs 10 crore					
Service Sector						
Enterprises	Investment in equipments					
Micro Enterprises	Does not exceed Rs 10 lakh					
Small Enterprises	More than Rs 10 lakh but does not exceed Rs 2 crore					
Medium Enterprises	More than Rs 2 crore but does not exceed Rs 5 crore					

Introduction to the Micro, Small and Medium Enterprises

Their significance in terms of fostering new entrepreneurship is well-recognized. This is because, most entrepreneurs start their business from a micro unit which provides them an opportunity to harness their skills and talents, to experiment, to innovate and transform their ideas into goods and services and finally nurture it into a medium unit.

Over the years, the MSME sector in India has progressed from the production of simple consumer goods to the manufacture of many sophisticated and precision products like electronics control systems, micro wave components, electro medical equipments, etc. The process of economic liberalisation and market reforms has further exposed these enterprises to increasing levels of domestic and global competition. The formidable challenges so generated for them have led to a novel approach of cluster development for the sector. As a result, private and public sector institutions, both at the Central and State levels are increasingly undertaking cluster development initiatives.

<u>Clusters</u> are defined as sectoral and geographical concentration of enterprises, particularly, small and medium enterprises, faced with common opportunities and threats which give rise to external economies; favour the emergence of specialized technical, administrative and financial services; create a conducive ground for the development of inter-firm cooperation to promote local production, innovation and collective learning. Clustering and networking has helped the micro, small and medium enterprises in boosting their competitiveness. India has over 400 MSME clusters and about 2000 artisan clusters.

It is estimated that these clusters contribute 60 per cent of the manufactured exports from India. Almost the entire gems and jewellery exports are from the clusters of Surat and Mumbai. Some of the MSME clusters are so big that they account for 90 per cent of India's total production output in selected products. For example, the clusters of Chennai, Agra and Kolkata are well known for leather and leather products.

The Government has been encouraging and supporting the sector through policies for infrastructural support, technology upgradation, preferential access to credit, reservation of products for exclusive manufacture in the sector, preferential purchase policy, etc. It has been offering packages of schemes and incentives through its specialized institutions in the form of assistance in obtaining finance; help in marketing; technical guidance; training and technology upgradation, etc.

Report of the Task Force on Micro, Small and Medium Enterprises

A Task Force was set up under the chairmanship of the Principal Secretary to the Prime Minister to address the issues of the MSME sector. As the MSME sector in India is highly heterogeneous in terms of the size of the enterprises, variety of products and services produced and the levels of technology employed. While one end of the MSME spectrum contains highly innovative and high growth enterprises, more than 94 per cent of MSMEs are unregistered, with a large number established in the informal or unorganized sector. Besides the growth potential of the sector and its critical role in the manufacturing and value chains, the heterogeneity and the unorganised nature of the Indian MSMEs are important aspects that need to be factored into policy making and programme implementation. According to the Task Force following are the major issues concerning the MSME sector are briefly indicated below.

- Lack of availability of adequate and timely credit;
- High cost of credit;
- Collateral requirements;
- Limited access to equity capital;
- Problems in supply to government departments and agencies;
- Procurement of raw materials at a competitive cost;
- Problems of storage, designing, packaging and product display;
- Lack of access to global markets;
- Inadequate infrastructure facilities, including power, water, roads, etc.;
- Low technology levels and lack of access to modern technology;
- Lack of skilled manpower for manufacturing, services, marketing, etc.
- Multiplicity of labour laws and complicated procedures associated with compliance of such laws;
- Absence of a suitable mechanism which enables the quick revival of viable sick enterprises and allows unviable entities to close down speedily; and
- Issues relating to taxation, both direct and indirect, and procedures thereof.

Report of the Task Force on Micro, Small and Medium Enterprises

During the past, several Committees/Study Groups had looked into issues relating to MSMEs. These, inter alia, include: (i) Committee to Examine the Adequacy of Institutional Credit to SSI Sector under the Chairmanship of Shri P. R. Nayak, the then Deputy Governor (1991); (ii) 'Expert Committee on Small Enterprises' under the chairmanship of Shri Abid Hussain, Former Member, Planning Commission (1995); (iii) High Level Committee on Credit to SSI under the chairmanship of Shri S.L. Kapur, Member, Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), Former Secretary (SSI and ARI), Government of India (1998); (iv) 'Study Group on Development of Small Scale Enterprises' under the chairmanship of Dr. S.P. Gupta, the then Member, Planning Commission (1999); (v) Working Group on Flow of Credit to SSI Sector under the chairmanship of Dr. A.S.Ganguly (2003); and (vi) Working Group on 'Rehabilitation of sick SMEs' under the chairmanship of Dr. K. C. Chakrabarty, the then Chairman & Managing Director, Punjab National Bank (2007). The Government had also constituted the National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector (NCEUS) in September 2004 to examine the problems confronting enterprises in the unorganized sector and make appropriate recommendations to provide technical, marketing and credit support to the enterprises. The NCEUS submitted eleven reports.

The Task Force classified the common issues into 6 major thematic areas and constituted separate Sub-Groups for detailed examination. These thematic areas covered (i) credit, (ii) marketing, (iii) labour, (iv) rehabilitation and exit policy, (v) infrastructure, technology and skill development and (vi) taxation. A separate Sub-Group was also constituted to look into the development of MSMEs in the North-East and Jammu & Kashmir. Each of the Sub-Groups examined the specific issues over a series of meetings, and after detailed deliberations with all the stakeholders, including MSME Associations, submitted their reports to the Task Force. The recommendations of the previous Committees, Working Groups and Study Groups, which are relevant in the current context, have been taken into consideration by the Task Force and its sub-groups.

Summary of Recommendations of the Task Force

The following measures are suggested to provide relief and stability to MSMEs, especially in the aftermath of the recent economic downturn.

A. Measures that need immediate action

- I. The government should extend, for a further period of one year, beyond March 31, 2010, the components of the 'stimulus package' which are specific to MSMEs.
- ii. The government should ensure strict adherence to the stipulated targets by the commercial banks for the micro enterprises (viz. 20% year-on-year growth for micro and small enterprises lending with 60% apportionment for micro sector).
- iii. A separate fund may be created with SIDBI, using the shortfalls, if any, against the MSE credit targets set for the commercial banks. This fund named 'Special Fund for Micro Enterprises' should be utilized exclusively for lending to the micro enterprises.
- iv. A Public Procurement Policy for MSMEs as envisaged in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 may be introduced at the earliest. The policy may set a goal for government departments and PSUs to reach, over a stipulated period, a target of at least 20% of their annual volume of purchases from micro and small enterprises (MSEs), and mandate them to report their achievements in this regard in the annual reports.

Report of the Task Force on Micro, Small and Medium Enterprises

- v. The Offset policy of the government, particularly in the defence and aviation sectors, should give priority to MSMEs [Ref. Chapter XIII Para 6 (a)]. A permanent guidance mechanism under the Raksha Utpadan Rajya Mantri (RURM) with Secretaries of Defence Production, MSME and Civil Aviation and CEOs of Defence PSUs should be considered for this purpose.
- vi. The government should earmark additional public spending to the tune of Rs. 5,000 5,500 crore over the next 3-5 years to specifically target deficiencies in the existing infrastructure and institutional set up. These funds may be used to: (a) support the establishment of Rehabilitation Funds in the States for the revival of potentially viable sick units; (b) assist MSMEs in the acquisition and adaptation of modern clean technologies as well as creation of Technology Banks and product-specific Technology Development Centres; (c) promote establishment of business incubators in educational institutions of repute; (d) renovate existing industrial estates and develop new infrastructure for MSME sector, with sustainable urban governance mechanisms; (e) re-engineer, strengthen and revitalize District Industries Centres to enable them to play a more active role in advocacy and capacity building for MSMEs and as appropriate, in their rehabilitation; (f) strengthen NSIC's equity base for enhanced market support to MSMEs; and (g) up-scale the existing programmes of entrepreneurship and skill development targeted at MSMEs. It is further recommended that while the detailing of the schemes would be done on the basis of further examination, to avoid procedural delays in implementation of these schemes, a line entry may be incorporated in the Annual Plan 2010-11 of the Ministry of MSME.

Planning Commission's Initiative for MSME Sector

The MSMEs sector contributes significantly to manufacturing output, employment and export to the country. This sector provides maximum opportunities for both self employment and jobs, outside the agriculture sector. The inclusiveness of the sector is underlined by the fact that nearly 50 per cent of the MSMEs are owned by disadvantaged groups of the society. To make the sector a significant player in the global marketplace, the Government of India has taken a number of policy initiatives during the recent period. The definitions and coverage of MSE sector were broadened significantly under the MSMEs Development Act, 2006 which recognised the concept of "enterprise" to include both manufacturing and services sector besides, defining the medium enterprises, setting up a Board for developing policy frameworks and indicating procurement policy. Also the Planning Commission constituted the Working Group on MSMEs Growth for the 12th Five Year Plan. The Working Group submitted the recommendations on the thematic verticals, Credit and Institutional Finance; Technology & Innovation; Skill Development & Training; Marketing & Procurement; Infrastructure; Khadi & Village Industries; Coir Sector; Institutional Structure; Emerging Technologies; Special Areas & Groups; and Unorganised Sector. While all recommendations of the Working Group are considered to be important to facilitate growth of MSME sector during the 12th Five Year Plan period, implementation of recommendations will be crucial for the MSME sector in the global marketplace.

The process of liberalisation and global market integration has opened up wide opportunities for the MSME sector as well new challenges. Transparent and efficient policy-regulatory framework is the need of the hour for the sector, which is a blend of tradition and modern with an alarming level of informal sector enterprises at the bottom of "MSME Pyramid". The new ambitious National Manufacturing Policy, which aims to make India a manufacturing hub and increase the sectoral share of manufacturing in GDP to 25 per cent in the next decade from the present level of 15-16 per cent, requires substantial support from MSME sector and quantum jump in the growth rate of MSME sector from the existing level of 12-13 per cent per annum.

So far, financing the projects are concerned, generally the bank loans are not readily available for such start-ups due to the unverified business model and high risk of failure. World over, angel funds and subsequently, venture capital provide the capital support to the start-ups. When the business model reach the stage of commercial success, the growth rate of the start-ups become phenomenal and naturally they shift to full-fledged offices/industrial premises for scaling up of the activities with the conventional sources of finance like hank credit etc.

A recent Planning Commission report on Angel Investment and Early Stage Venture Capital has estimated that India has the potential to build about 2,500 highly scalable businesses in the next ten years. Going by the probability ratio, 10,000 start-ups will have to be nurtured to get to 2,500 large-scale businesses. These businesses could generate revenues of Rs 10 lakh crore (\$200 billion)—contribution to GDP and creation of employment at the same scale as projected for the IT and ITeS industry.

The report says Rs 3 lakh crore (or around \$55 billion) of capital would be needed over the next decade, with around half of this in debt, for creating a vibrant entrepreneurial ecosystem in India.

Planning Commission's Initiative for MSME Sector

Considering the required massive capital flows to entrepreneurial ventures, the current early stage investing in India is woefully inadequate. Early-stage investments in countries with high entrepreneurial activity are driven by angel investors. By providing funds, mentoring and network access to entrepreneurs, angel investors play a critical role in scaling up businesses to make them attractive for institutional investors like venture capital funds.

The Committee has identified sectors with relatively higher potential for rapid entrepreneurship-driven growth—manufacturing (IT hardware and electronics, auto components, food processing), software, technology and telecom, affordable healthcare, clean technology (including clean water, and sanitation) and personal care—and marked out major drivers for creating a vibrant entrepreneurial ecosystem.

Towards providing starting capital, globally angel/venture fund are the prime source of funds to the start-ups. While these funds finance a project on the basis of their own risk analysis and valuation, the Groups opines that Government can provide some comfort to these fund towards reducing the risk. This could be in the form of a guarantee or by co- investment through a Government promoted venture fund. The venture capital fund launched by SIDBI can play major role in this regard.

The Working Group on MSME recommends six umbrella schemes relating to 6 six verticals, i.e (i) Credit and Finance, (ii) Technology and Innovation, (iii) Infrastructure, (iv) Marketing, (v) Skill Development & Training and (vi) Institutional Structure. The schemes/proposals mentioned under each vertical would be treated as components of the Umbrella Scheme relating to the vertical. The advantages of such an approach are manifold. There would be flexibility of utilization of funds under each Umbrella Scheme. Funds can be transferred to components which are doing well from those experiencing tardy implementation. The implementation of different components would be cost effective and time saving since the inter-linkages between different components can be addressed simultaneously. For example, the land procurement and construction of building relating to setting up of CFCs,

Testing Labs, Flatted Factory Complexes, Modular Industrial Estates, Tool Rooms/TDCs etc. can be addressed simultaneously under the Umbrella Scheme on Infrastructure whenever the land and building under different components are planned in the same place. The greatest advantage of implementation of Umbrella Scheme under each vertical is the visibility of impact of implementation of such Schemes.

The Working Group recommends broad allocations during the 12th Five Year Plan for all proposed interventions under major verticals as well as in KVI and Coir Sector.

SI No.	Vertical	Projected BE for 12th Plan (Rs cr.)
1.	Credit & Finance	19450
2.	Technology Upgradation	9500

Planning Commission's Initiative for MSME Sector

SI No.	Vertical	Projected BE for 12th Plan (Rs cr.)
3.	Infrastructure Development	11360
4.	Marketing & Procurement	2110
5.	Skill Development & Training	3600
6.	Institutional Structure	3100
7.	Khadi & Village Industries Sector	14800
8.	Coir Sector	870
Total		64760

The Group Working Group recommends that the MSME sector of India is today at the gateway of global growth on the strength of competitive and quality product range. However, facilitation from the Government is required to minimise the transaction costs of technology upgradation, market penetration, modernisation of infrastructure etc. History shows that only with persistent and effective Government support in these areas, the SMEs of countries like Japan, Korea etc. emerged as global players. PM's Task Force has already taken significant initiatives in this regard. The above recommendations of this Working Group for the 12th Five Year Plan period will be vital enabler towards achieving quantum jump in the growth of MSME sector through participative, transparent and scalable policies and schemes of Government of India.

Sub-Group on Flow of Private Sector Investments for MSME Sector

At present, a literature survey indicates that no study for the estimation of credit gap for the MSME sector is available in India. However, the National Commission on Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS) had estimated the credit gap only for the micro enterprises at 73 per cent as at end March 2012-the terminal year of the 11th Five Year Plan, with the caveat that the number of such unorganized micro enterprises was estimated at 70 million with an average credit off take of Rs 1.23 lakh per enterprise. This is in contrast to the MSME sector, which is estimated to have 32.2 million enterprises with an average credit off take of Rs 7.16 lakh as at end March, 2012, based on scheduled commercial banks data on number of MSME accounts.

Against the backdrop of non-availability of data on the demand for credit from MSME sector and the credit gap, the Sub-Group has made an attempt to estimate the supply of, demand for and gap of credit for the MSME sector for the 12th Five Year Plan.

At the beginning of the 12th Plan period, the outstanding credit gap for the MSME sector is estimated at 62 per cent, which is estimated to reduce to 43% in March, 2017 with the assumption of minimum 20 per cent Y-o-Y credit growth to MSME sector and 10 per cent Y-o-Y credit growth to medium enterprises by Scheduled Commercial Banks (SCBs). However, if SCBs are directed to maintain minimum 22 per cent in their outstanding credit growth to MSE sector and Medium Enterprises during the first two years of the 12th Five Year Plan (i.e. FY 2012-13 and FY 2013-14) and further minimum 25 per cent during the remaining three years of the 12th Five Year Plan (i.e. FY 2014-15, FY 2015-16 and FY 2016-17), the MSME credit gap will further reduce to 32 per cent by the terminal year of 12th Five Year Plan,

To achieve the above reduction in credit gap and for creating the enabling credit environment for the MSME sector, the Sub- Group has made various recommendations, viz. 22% Y-o-Y credit growth by SCBs for MSE sector and Medium Enterprises for FY 2012-14 and thereafter 25% YoY credit growth for FY 2014-17, 3% interest subvention for Micro Enterprises, uniform application form by banks, enhanced refinance fund to SIDBI to reach to `10,000 crore for FY 2017, capacity building of MSME loan officers, innovative ways for offering branchless banking, etc.

Sub-Group on Flow of Private Sector Investments for MSME Sector

As at end of	Credit to MSEs by SCBs	Credit to Medium Enterprises By SCBs	Total Credit to MSMEs by SCBs	Projected Working Capital by SCBs	Projected WC limit by RRBs	Projected WC limit by UCBs	Projected financial support by Factoring companies factoring	Projected supply of working capital to MSMEs
2010-11	485942	158069	644012	450808	2033	39527	12125	504492
2011-12	583130	173876	757006	529904	2439	53361	14550	600255
2012-13	699756	191263	891020	623714	2927	72037	17460	716139
2013-14	839708	210390	1050098	735068	3513	97250	20952	856783
2014-15	1007649	231429	1239078	867355	4215	131288	25142	1028000
2015-16	1209179	254572	1463751	1024626	5058	177239	30171	1237094
2016-17	1451015	280029	1731044	1211731	6070	239272	36205	1493278

7 Credit Related Policy

Reserve Bank of India has announced some important credit related policy measures for MSME sector as given below:

- All scheduled commercial banks should achieve a 20 per cent year-on-year growth in credit to micro and small enterprises to
 ensure enhanced credit flow;
- The allocation of 60 per cent of the MSEs advances to the micro enterprises to be achieved in stages, viz., 50 per cent in the year 2010-11, 55 per cent in the year 2011-12 and 60 per cent in the year 2012-13.
- All scheduled commercial banks should achieve a 10 per cent annual growth in the number of micro enterprise accounts.
- Enhancement of the collateral-free loan limit for MSEs from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh.

Based on this recommendation, RBI has mandated banks not to accept collateral security in the case of loans up to Rs 10 lakh extended to units in the MSE sector. Banks, in turn, can take cover for the collateral free credit facilities under CGS.

The Reserve Bank of India has upped the existing investment limits in plant and machinery/equipment for lending by banks to micro enterprises. The revision, which is within the overall ceiling of Rs 25 lakh for micro enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Act, is in view of the increase in price index and cost inputs.

As per the revised sub-targets for lending to the micro and small enterprises sector, 40 per cent of total advances to the sector should go to micro (manufacturing) enterprises having investment in plant and machinery up to Rs 10 lakh (existing limit: Rs 5 lakh). In the case of micro (service) enterprises, the investment in equipment has been pegged at up to Rs 4 lakh (Rs 2 lakh).

Further, 20 per cent of the total advances to the sector should go to micro (manufacturing) enterprises with investment in plant and machinery above Rs 10 lakh (existing limit: Rs 5 lakh) and up to Rs 25 lakh; and micro (service) enterprises with investment in equipment above Rs 4 lakh (Rs 2 lakh) and up to Rs 10 lakh.

Taking cognizance of this fact, the standing advisory committee of the RBI has recommended for setting up of centralised credit processing (CPC) cells. While instructing the banks to set up CPC cells for MSMEs, these cells would act as a single-point appraisal, sanction, documentation, renewal and enhancement of loan mechanism. This arrangement will help to reduce delays, respond to multiple queries, and develop fair practices and easier tracking.

The Government of India is planning to streamline lending norms for the MSME sector and has asked state-owned banks to come out with an uniform loan application form for loans of up to Rs 25 lakh. The government has also asked banks to set up an electronic loan tracking system, which would enable prospective SME borrowers to check the status of their loan applications. This is expected to reduce the discretion available to bank officers in granting loans to MSMEs.

Micro, Small and Medium Enterprises Finance

The MSME sector requires timely and adequate funding from the banking sector. The primary challenges the MSMEs face while obtaining funds from banks. These enterprises face delays in clearing the proposals, follow-up with various executives, inability to provide collateral security and insufficient knowledge of financial management. Financial management that includes policy, regulatory framework and may be reliable credit information on MSMEs.

Banks observe as a challenging tasks to finance MSMEs. This arises from several issues like accounting practices of MSMEs. Despite this challenging task many banks have started lending to MSMEs. Banks help MSMEs to understand the importance of financial and business planning and skill development. Sometime banks provide them special receivable financial schemes and factoring services would improve the MSME environment.

The banking sector has to device appropriate strategies and products for each of the MSME segment. While funding the micro segment may require tapping the 'financial inclusion' projects, the small and medium enterprises may be capable of being provided support through the regular products, albeit with some tweaking in terms of the funding norms and financial criteria used to judge their credit worthiness.

To assist the MSME sector, the government has set up the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), offering a cover of 75% of the default amount under the scheme. Setting up of the first rating agency for the SME segment, SMERA (SME Rating Agency), and enacting the MSME Act to meet the specific needs of the sector are some of the other steps taken by the government to aid the sector. Regulatory guidelines for lending to the sector also helped improve the fund flow to the sector to an extent.

Lending Code

Lending has many aspects right from making an application to Bank to disbursement of the loan itself. But beyond that it also covers dues collection, NPA problems, sickness nursing, restructuring etc. All these are important matters for MSEs and hence he must know the following vows of Banks in this matter for his interest. In fact this code serves as the rights of MSEs in getting finance from the Banks.

There was and is guideline of RBI that Banks will provide credit [Working Capital] which will be minimum twenty per cent of the yearly turnover. This is known as Nayak Committee recommendation. Unfortunately it remained in the Books only and seldom MSEs were getting working capital as per the said guideline. But now the code promises, "We [Banks] will provide micro and small enterprises [manufacturing] working capital limits computed on the basis of a minimum 20 per cent of your projected annual turnover."

Micro, Small and Medium Enterprises Finance

Further the code asserts, "Consider your [means MSE] request for suitable enhancement in the working capital limits in cases where the output exceeds the projections or where the initial assessment of working capital is found inadequate and

You have provided necessary evidence therefore."

MSEs must note that twenty per cent of the total turnover is the Minimum and not maximum. In other words, 20% of turnover is assured minimum finance for working capital. It also denotes that banks can provide more finance than 20p.c. in deserving cases. For Seasonal industries, according to RBI guidelines, it is minimum 30% of the total turnover. RBI had also never said that 20% was maximum that MSE shall get; but bankers were very shrewd to form 20% maximum rule of their own advocating RBI instructions in misleading way. Now banks, through the MSE Code have agreed minimum 20 per cent and more also as per need which will help MSEs in getting enough working capital in days to come.

Credit Guarantee

Collateral free loan, albeit said to be provided to MSEs, is always on one or other count, was avoided by Banks, experience indicates. MSEs are to fully surrender to the banks, provide all collateral that is being asked, to get the finance even if it is inadequate. Many times for micro enterprises; this was at the mercy of the banker. Now code mandates collateral free loan to MSEs. The code promises that "We [banks] will not insist on collateral for credit limit up to Rs. Ten lakh or up to limits specified by RBI from time to time."

Indian MSMEs require business advisory services to enhance their international competitiveness in a highly competitive globalising world. The MSMEs find the services of reputed national and international consultants as not cost effective and often, not adequately focused. Recognising this knowledge gap, Export-Import Bank of India has been endeavouring to provide a suite of services to its MSME clients. These include providing business leads, handholding during the process of winning an export contract and thus assisting the generation of export business on success fee basis, countries/ sector information dissemination, capacity building in niche areas such as quality, safety, export marketing, etc. and financial advisory services such as loan syndication, etc.

Exim Bank Debt Restructuring Scheme for SMEs

RBI has issued guidelines vide its circular no.DBOD:BP:BC.No.34/21.04.132/2005-06 dated September 6, 2005 for restructuring of debt of all eligible small and medium enterprises, at terms which are, at least as favorable as CDR mechanism in the banking sector. As per the said RBI guidelines, each bank is required to place its own debt restructuring scheme for SMEs to the Board. Accordingly, Exim Bank's Board of Directors at its meeting held on January 21, 2006 has approved the following debt restructuring scheme for SMEs.

SME Definition

1. For the purpose of qualifying under the scheme, SMEs will be as defined in RBI Circular No.RPCD.PLFNS.BC.31/06.02.31/2005-06 dated August 19, 2005, which is reproduced below:

'At present, a small scale industrial unit is an undertaking in which investment in plant and machinery, does not exceed Rs.1 crore, except in respect of certain specified items under hosiery, hand tools, drugs and pharmaceuticals, stationery items and sports goods, where this investment limit has been enhanced to Rs.5 crores. A comprehensive legislation, which would enable the paradigm shift from small scale industry to small and medium enterprises is under consideration of the Parliament. Pending enactment of the above legislation, current SSI/tiny industries definition may continue. Units with investment in plant and machinery in excess of SSI limit and up to Rs.10 crores may be treated as Medium Enterprises (ME).'

Eligibility Criteria

- 2. These guidelines would be applicable to the following entities, which are viable or potentially viable:
 - All non-corporate SMEs irrespective of the level of dues to banks.
 - All corporate SMEs, which are enjoying banking facilities from a single bank, irrespective of the level of dues to the bank.
 - All corporate SMEs, which have funded and non-funded outstanding upto Rs.10 crore under multiple/consortium banking arrangement.
 - > Accounts involving willful default, fraud and malfeasance will not be eligible for restructuring under these guidelines.
 - Accounts classified by banks as "Loss Assets" will not be eligible for restructuring.
 - In respect of BIFR cases, the Bank will ensure completion of all formalities in seeking approval from BIFR before implementation of the package.

Exim Bank Debt Restructuring Scheme for SMEs

Viability Criteria

- 3. The unit must become viable in 7 years and the repayment period for restructured debt will not exceed 10 years. For this purpose, all eligible units will comply with the following subject to any relaxation that may be considered by Bank's Committee of Executives(COE) or by Board/MC (if the original sanction was accorded by Board/MC) depending on the merits of the case:
 - i. Debt Service Coverage Ratio(DSCR): Should have average DSCR of more than 1.25, and more than 1.00 in any year of the projected period.
 - ii. The break-even analysis should be carried out, and operating and cash breakeven points should be worked out.
 - iii. The company's past performance for 3-5 years and future projections for the period of proposed repayment would be examined.
 - iv. Promoters' sacrifice and additional funds to be brought by them should be a minimum of 15% of creditors' sacrifice.

Prudential Norms for Restructured Accounts

- 4. Treatment of 'standard' accounts subjected to restructuring:
 - a) A rescheduling of the instalments of principal alone, would not cause a standard asset to be classified in the sub-standard category, provided the borrower's outstanding is fully covered by tangible security. However, the condition of tangible security may not be made applicable in cases where outstanding is up to Rs.5.00 lakh, since the collateral requirement for loans upto Rs.5.00 lakh has been dispensed with for SSI/tiny sector.
 - b) A rescheduling of interest element would not cause an asset to be downgraded to sub-standard category subject to the condition that the amount of sacrifice, if any, in the element of interest, measured in present value terms is either written off or provision is made to the extent of sacrifice involved.
 - In cases there is a sacrifice involved in the amount of interest in present value terms, as at (b) above, the amount of sacrifice should either be written off or provision made to the extent of the sacrifice involved.
- 5. Treatment of 'sub-standard' / 'doubtful' accounts subjected to restructuring:
 - a) A rescheduling of the instalments of principal alone, would render a 'sub-standard' / 'doubtful' asset eligible to continue in the 'sub-standard' / 'doubtful' category for specified period (i.e. a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due under the rescheduled terms, subject to satisfactory performance during the period.) provided the borrower's outstanding is fully covered by tangible security. However, the condition of tangible security may not be made applicable in cases where outstanding is upto Rs.5.00 lakh, since the collateral requirement for loans upto Rs.5.00 lakh has been dispensed with for SSI/tiny sector.

Exim Bank Debt Restructuring Scheme for SMEs

- b) A rescheduling of interest element would render a 'sub-standard' / 'doubtful' asset eligible to be continued to be classified in the 'sub-standard' / 'doubtful' category for the specified period subject to the condition that the amount of sacrifice, if any, in the element of interest, measured in present value terms is either written off or provision is made to the extent of sacrifice involved.
- c) Even in cases where the sacrifice is by way of write off of the past interest dues, the asset should continue to be treated as 'sub-standard' / 'doubtful'.

Additional Finance

6. The rehabilitation package will comprise restructuring of present dues to the Bank and sanction of additional credit facilities, if required. Such additional finance will be treated as 'standard asset' in all accounts one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due under the approved restructuring package. If the restructured asset does not qualify for upgradation at the end of the above period, additional finance shall be placed in the same asset classification category as the restructured debt.

Upgradation of Restructured Accounts

7. The sub-standard/doubtful accounts at para 5 (a) & (b) above, which have been subjected to restructuring, whether in respect of principal instalment or interest, by whatever modality, would be eligible to be upgraded to the standard category after the specified period, i.e. a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due under the rescheduled terms, subject to satisfactory performance during the period.

Asset Classification Status

8. During the specified one-year period, the asset classification status of rescheduled accounts will not deteriorate if satisfactory performance of the account is demonstrated during the period. In case, however, the satisfactory performance during the one year period is not evidenced, the asset classification of the restructured account would be governed as per the applicable prudential norms with reference to the pre-restructuring payment schedule. The asset classification would be bank-specific based on record of recovery of each bank, as per the existing prudential norms applicable to banks.

Repeated Restructuring

9. The special dispensation for asset classification as available in terms of paragraphs 4, 5, 6 & 7 above, shall be available only when the account is restructured for the first time.

10 Procedure

a) The borrowers shall submit a request to Exim Bank for restructuring his account in terms of RBI Debt Restructuring Scheme for Small and Medium Enterprises (SMEs).

Exim Bank Debt Restructuring Scheme for SMEs

- b) In case of eligible SMEs which are under consortium / multiple banking arrangements, the borrower will submit his request to the bank having the maximum outstanding. However, the restructuring package will be worked out with the consent of the bank having the second largest share.
- c) All requests received by the Bank will be scrutinised to ensure that these are prima facie in order and are eligible for consideration as per the prescribed criteria.
- d) All proposals for restructuring will be submitted to COE or to the Board/MC, if the original sanction was accorded by Board/MC.
- e) After receipt of sanction, necessary documentation will be done for implementing the restructuring package.
- f) The whole process will be completed within 60 days of the receipt of the application.

Reliefs & Concessions

11. Exim Bank may at its own discretion consider concessionary interest rate for restructuring package subject to a minimum of 2% below Bank's PLR(BPLR). However, additional finance, if any, will be given at BPLR.

Review

12. COE will review the progress in rehabilitation and restructuring of SME accounts on a quarterly basis and the Board will be informed on half-yearly basis.

Disclosure

- 13. The Debt Restructuring Scheme for SMEs is being displayed on the Bank's website and a copy of scheme is also being forwarded to SIDBI for placing on their website. The necessary disclosures in the published annual Balance Sheet of the Bank, under "Notes on Accounts", will be done, as under:
 - a) Total amount of assets of SMEs subjected to restructuring. [(a) = (b) + (c) + (d)]
 - b) The amount of standard assets of SMEs subjected to restructuring.
 - c) The amount of sub-standard assets of SMEs subjected to restructuring.
 - d) The amount of doubtful assets of SMEs subjected to restructuring.

SIDBI Promotional and Development Activities

Recognising the role of credit for the MSME sector, a focused credit policy has been in place since the early days. Priority sector lending is its most important component. Under it, banks are compulsorily required to ensure that defined percentage of their overall lending is made to the priority sectors, which includes small industries. As a part of the institutional arrangement, Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has been set up as the apex refinance bank. Term loans are provided by State Financial Corporations (SFCs) and Scheduled Banks.

As an apex financial institution for promotion, financing and development of industry in the small scale sector, SIDBI meets the varied developmental needs of the Indian MSME sector by its wide-ranging Promotional and Developmental (P&D) activities.

P&D initiatives of the SIDBI aim at improving the inherent strength of small scale sector on one hand as also economic development of poor through promotion of micro-enterprises. In pursuance of its multifaceted P&D activity, synergistic with its business activities aimed at development of the small industries, SIDBI looks forward to a partnership with NGOs, associate financial institutions, corporate bodies, R&D laboratories, marketing agencies, etc., for national level programmes. SIDBI has identified the following thrust areas of P&D activities, which are being undertaken in partnership with various institutions, agencies, and NGOs:

Main Schemes of SIDBI

National Equity Fund Scheme which provides equity support to small entrepreneurs setting up projects in Tiny Sector.

Technology Development & Modernisation Fund Scheme for providing finances to existing MSMEs for technology upgradation/modernisation.

Single Window Scheme to provide both term loan for fixed assets and loan for working capital capital through the same agency.

Composite Loan Scheme for equipment and/or working capital and also for work sheds to artisans, village and cottage industries in Tiny Sector.

Mahila Udyam Nidhi (MUN) Scheme provides equity support to women entrepreneurs for setting up projects in Tiny Sector.

Scheme for financing activities relating to marketing of SSI products which provides assistance for undertaking various marketing related activities such as marketing research, R&D, product upgradation, participation in trade fairs and exhibitions, advertising branding, establishing distribution networks including show room, retail outlet, wears-housing facility, etc.

Equipment Finance Scheme for acquisition of machinery/equipment including Diesel Generator Sets which are not related to any specific project.

SIDBI Promotional and Development Activities

Venture Capital Scheme to encourage SSI ventures/sub- contracting units to acquire capital equipment, as also requisite technology for building up of export capabilities/import substitution including cost of total quality management and acquisition of ISO-9000 certification and for expansion of capacity.

ISO 9000 Scheme to meet the expenses on consultancy, documentation, audit, certification fee, equipment and calibrating instruments required for obtaining ISO 9000 certification.

Micro Credit Scheme to meet the requirement of well managed Voluntary Agencies that are in existence for at least 5 years; have a good track record and have established network and experience in small savings-cum-credit programmes with Self Help Groups (SHGs) individuals.

SIDBI New Schemes

- (i) To enhance the export capabilities of MSMEs.
- (ii) Scheme for Marketing Assistance.
- (iii) Infrastructure Development Scheme.
- (iv) Scheme for acquisition of ISO 9000 certification.
- (v) Factoring Services and
- (vi) Bills Re-discounting Scheme against inland supply bills of MSMEs.

SIDBI has set up Technology Development & Modernisation Fund (TDMF) scheme for direct assistance of SMEs to encourage existing industrial units in the sector, to modernise their production facilities and adopt improved and updated technology so as to strengthen their export capabilities. Assistance under the scheme is available for meeting the expenditure on purchase of capital equipment acquisition of technical know-how, upgradation of process technology and products with thrust on quality improvement, improvement in packaging and cost of TQM and acquisition of ISO-9000 series certification.

1. Technology Development & Modernisation Fund

SIDBI in July 1996 had permitted SFCs and promotional banks to grant loans for modernisation projects costing up to Rs. 50 lakh. The coverage of the TDMF scheme has been enlarged w.e.f. 1.9.1997. Non-exporting units and units which are graduating out of SSI sector are now eligible to avail assistance under this scheme.

2. National Equity Fund

National Equity Fund (NEF) under SIDBI provides equity type assistance to SSI units, tiny units at five per cent service charges. The scope of this scheme was widened in 2000-01 raising the limit of loan from Rs. 6.25 lakhs to Rs. 10 lakhs and project cost limit from Rs. 25 lakhs to Rs. 50 lakhs.

SIDBI Promotional and Development Activities

(a) The following are eligible for assistance under the scheme:

New projects in tiny and small scale sectors for manufacture, preservation or processing of goods irrespective of the location (except for the units in Metropolitan areas).

- i. Existing tiny and small scale industrial units and service enterprises as mentioned above (including those which have availed of NEF assistance earlier), undertaking expansion, modernisation, technology upgradation and diversification irrespective of location (except in Metropolitan areas).
- ii. Sick units in the tiny and small scale sectors including service enterprises as mentioned above, which are considered potentially viable, irrespective of the location of the units (except for the units in Metropolitan areas).
- iii. All industrial activities and service activities (except Road Transport Operators).
- (b) Project cost (including margin money for working capital) should not exceed Rs. 50 lakhs in the case of new projects in the case of existing units and service enterprises, the outlay on expansion/modernisation/technology upgradation or diversification or rehabilitation should not exceed Rs. 50 lakhs per project.
- (c) There is no change in the existing level of promoters' contribution at 10% of the project cost. However, the ceiling on soft loan assistance under the Scheme has been enhanced from the present level of 15% lakh per project to 25% of the project cost subject to a maximum of Rs. 10 lakhs per project. (d) (d) 30% of the investment is earmarked for tiny units.

11

National Commission on Enterprises in the Unorganised Sector

Also, a National Commission on Enterprises in the Unorganised Sector (NCEUS) has been set up for addressing the wide range of issues affecting the productive potential of the unorganised micro and small productive units. Besides, there are three national level 'Entrepreneurship Development Institutes (EDIs)' for the development of training modules, undertaking research and providing consultancy services for entrepreneurship development in the SME sector. These include:

- --- National Institute of Small Industry Extension Training (NISIET) renamed as the National Institute for Micro, small and Medium Enterprises (NIMSME) at Hyderabad;
- --- National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD) at Noida;
- --- Indian Institute of Entrepreneurship (IIE) at Guwahati.

12 FDI in Retailing: Impact on MSMEs

The Government of India has argued that foreign direct investment (FDI) in the multi-brand retail segment will create a win-win situation for all the stakeholders. Despite such hopes, observers of the MSME sector appear to be quite perplexed as to exactly what opening up the retail sector holds in store for them, and remain unsure if it will help or hurt. Everyone agrees that a basket of opportunities will accompany the inflow of FDI in retail, scale and distribution network being the most significant of those. Currently, small players do not have sufficient scale or a distribution network that covers the market. With the entry of organised retail, MSMEs will be able to go in for bulk production with guaranteed absorption of their product. Also, MSMEs supplying competitive products and services with greater potential for forward and backward linkages will have the opportunity to contribute substantially to exports. These are no small prospects — obtaining access to profitable markets is crucial to fostering MSME growth and productivity. Opening up of multi-brand retail segment is expected to bring this much-needed opportunity.

In the context of advantages of the various opportunities, MSMEs will primarily need knowledge and access to new technology, adequate financial aid, high levels of R&D, and adaptability to the changing trends in their respective industries. To prepare this diverse sector for a new situation is certainly not going to be easy. Differentiated efforts would be required ensuring comprehensive coverage, with a clear understanding that one size will not fit all. The task is huge and will concern several institutions and departments of the government.

There is, therefore, a need for an MSME perspective in the functioning of such institutions and departments, so that every action of theirs is born out of their full knowledge of the bottlenecks impeding the growth of the MSME sector. Currently MSMEs face problems even in supply to government departments and agencies, as a majority of government tenders prescribe high eligibility criteria such as annual turnover, high experience, etc. These are not going to go away with the entry of multinationals. In all probability, the criteria will become stiffer, creating higher entry barriers.

Studies have established that opening up not just brings in competition, but creates one of a rather fierce kind. To cope with the new realities of MSMEs will have to develop the necessary competitive muscles. Additionally, competition will gradually create higher and higher entry barriers, setting increasingly stringent standards with regard to quality, price, timely delivery and flexibility. These will make things difficult for MSMEs to establish effective value chain connections at various levels. They will be confronted with the challenge to continuously incorporate the latest technology into their production process as well as in their marketing and management functions to cut costs, gain efficiency and consistency. MSMEs seeking to establish partnerships in regional and global value chains will have to understand the governance of specific value chain process and structures. Therefore, making FDI in multi-brand retail work to the benefit of MSMEs necessitates a certain level of commitment, transparency, honesty and sincerity in implementation. Urgent attention and well-judged action will be required on the following key areas to equip the sector adequately:

- Enabling policy and regulatory environment
- Supporting infrastructure for business

FDI in Retailing: Impact on MSMEs

- Entrepreneurship, including management skills and human resources
- Access to finance
- Technology capability building and adaptation.

The Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Press Note 5 (2012 series) issued on 20 October, said that 30 per cent of the value of procurement of manufactured/processed products purchased by multi-brand retail giants, should be sourced from Indian 'small industries' with a total investment in plant and machinery not exceeding \$1 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. Besides, if, at any point of time, this valuation is exceeded, the industry would not qualify as 'small industry' for this purpose.

The other stipulation is that the procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years' total value of the manufactured/processed products purchased, beginning April 1, of the year during which the first tranche of FDI is obtained. Thereafter it would have to be met on an annual basis. The rationale for this clause is that the FDI entry should benefit small-scale industries.

Again, the rider that at least 50 per cent of total FDI brought in should be invested in 'back-end infrastructure' within three years of the first tranche of FDI (the minimum amount to be brought in as FDI by the foreign investor would be \$100 million) that covers capital expenditure on all activities such as processing, manufacturing, distribution, design improvement, quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agriculture market produce infrastructure.

The onus is on the purchaser to fulfil the conditions that may be duly 'certified by statutory auditors' through self-certification. Big foreign companies with deep pockets would find it facile to manufacture such certification from complaisant auditors to play ball with them, instead of scouring the country to obtain the requisite supply from MSEs. It would not be off the mark to note that policy reservation for small-scale industries (SSIs) which later morphed into MSEs, was set off in 1967. But over the years and particularly after India's liberalisation of trade and industrial policies in 1991, 887 items had been de-reserved from time to time.

With the last deletion in 2010, the number of items in the reserved list has been brought down to 20, which cover only food and allied industries, wood and wood products, paper products, other chemicals and chemical products, glass and ceramics, mechanical engineering excluding transport equipment such as steel almirah, rolling shutters, padlocks, stainless steel utensils and domestic utensils-aluminium. With the space for MSMEs thus reduced, can they be expected to provide 30 per cent of the requirements of multibrand retail stores, comprising assorted goods and items? Apart from the 30 per cent mandatory reservations which may be easily circumvented, the rest of the 70 per cent can be imported from cheaper sources such as China and Bangladesh, further harming domestic industry.

Unorganised retailing in India encompasses low-cost retailing, for instance, the local kirana shops, owned and operated general stores, pan/beedi shops, convenience stores, hand cart, pavement vendors that one is inured to here. Organised retail chains such as Pantaloon, Shoppers' Stop, Marks & Spencer, Hyper City, Trent, Reliance Retail, Subhiksha constitute only five per cent of the total retail market.

FDI in Retailing: Impact on MSMEs

India's retail business provides livelihood security to lakhs of self-employed people. Without providing manufacturing-driven job opportunities to millions, the Government would be fostering social problems of huge dimensions, if it believes FDI in retail would deliver. The major need therefore is to match the level of governance with the level of the challenge. Bigger the challenge, the bigger are the rewards of meeting the challenge. Surely, a country of India's ability and talent can meet the challenge. Therefore, concerted action should begin now. If that happens soon enough it will not only comfort MSMEs but may also ease, at least partially, the current political divisions on the subject.

13

Office of the Development Commissioner Schemes

The Office of the Development Commissioner MSME [earlier known as the O/o the DC (SSI)] is known as Micro, Small and Medium Enterprises-Development Organisation (MSME-DO). It is the apex body for assisting the Government in formulating, coordinating, implementing and monitoring policies and programmes for micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the country. MSME-DO provides a comprehensive range of common facilities, technology support services, marketing assistance, entrepreneurial development support, etc. MSME-DO operates a number of schemes for the MSME sector. At a glance these are:

(i) National Manufacturing Competitiveness Programme (NMCP)

"Worldwide, it is manufacturing that has driven growth. In order to revive the manufacturing sector, particularly small and medium enterprises, and to enable them to adjust to the competitive pressures caused by liberalization and moderation of tariff rates, a "Manufacturing Competitiveness Programme" was launched. The design of the scheme was worked out by the National Manufacturing Competitiveness Council (NMCC) in consultation with the industry".

The following ten schemes have been drawn up for promotion and marketing support for SMEs. Implementation of these schemes will be on the PPP model.

- 1. Lean Manufacturing Competitiveness Scheme for MSMEs
- 2. Enabling Manufacturing Sector to be competitive through Quality Management Standard & Quality Tech. Tools (QMS/QTT)
- 3. Promotion of ICT in Indian Manufacturing Sector (ICT)
- 4. Technology and Quality Upgradation Support to MSMEs (TEQUP)
- 5. Marketing Assistance & Technology Up-gradation Scheme in MSMEs.
- 6. Marketing Support/Assistance to MSMEs(Bar Code)
- 7. Design Clinic Scheme for design expertise to MSMEs Manufacturing sector
- 8. Setting of Mini Tool Rooms
- 9. National campaign for building awareness on Intellectual Property Rights
- 10. Support for Entrepreneurial and Managerial Development of SMEs through Incubators

(ii) Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme (MSE-CDP)

DC(MSME) launched MSE-CDP for holistic development of selected MSEs clusters through value chain and supply chain management on cooperative basis. It has adopted the cluster development approach as a key strategy for enhancing the productivity and competitiveness as well as capacity building of Micro and Small Enterprises (MSEs) and their collectives in the country. Clustering of units also enables providers of various services to them, including banks and credit agencies, to provide their services more economically, thus reducing costs and improving the availability of services for these enterprises. The objectives of the MSE-CDP are as:

Objectives

- i.) To support the sustainability and growth of MSEs by addressing common issues such as improvement of technology, skills and quality, market access, access to capital, etc.
- ii.) To build capacity of MSEs for common supportive action through formation of self help groups, consortia, upgradation of associations, etc.
- iii.) To create/upgrade infrastructural facilities in the new/existing industrial areas/ clusters of MSEs.
- iv.) To set up common facility centres (for testing, training centre, raw material depot, effluent treatment, complementing production processes, etc).

Scope of the scheme

- Diagnostic Study
- Resourcing of Technology
- Facilitating the transfer of technology from producer to end user.
- Setting up of Common Facility Centres(CFCs).
- R&D needs
- Organising workshops, Seminars, Training and Study visits for quicker diffusion of technology across the cluster of small enterprises.

Cost of Project and Govt of India Assistance

- Diagnostic Study Maximum cost Rs. 2.50 lakhs.
- Soft interventions Maximum cost of project Rs. 25.00 lakh, with Gol contribution of 75% (90% for Special Category States and for clusters with more than 50% women/micro/village/SC/ST units).
- Hard interventions i.e setting up of CFCs maximum eligible project cost of Rs. 15.00 crore with Gol contribution of 70% (90% for Special Category States and for clusters with more than 50% women/micro/village/SC/ST units).

Infrastructure Development in the new/ existing industrial estates/areas. Maximum eligible project cost Rs.10.00 crore, with Gol contribution of 60% (80% for Special Category States and for clusters with more than 50% women/micro/SC/ST units)

(iii) Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Technology Upgradation

The Ministry of MSMEs is operating a scheme for technology upgradation of MSMEs called the Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS). The scheme aims at facilitating technology upgradation by providing upfront capital subsidy to MSMEs, including tiny, khadi, village and coir industrial units, on institutional finance (credit) availed of by them for modernisation of their production equipment (plant and machinery) and techniques. MSMEs on institutional finance availed of by them for induction of well established and improved technologies in the specified sub-sectors / products approved under the scheme.

Due to insufficient investment and lack of awareness of both the quality standards and access to modern technologies, a large percentage of MSMEs continue with outdated technology and plant & machinery. With increasing competition due to liberalisation of the economy, the survival and growth of the MSMEs are critically dependent on their modernisation and technological upgradation. Upgradation of both the process of manufacture and corresponding plant and machinery is necessary for the small enterprises to reduce the cost of production and remain price competitive at a time when cheaper products are easily available in the global market.

The scheme aims at facilitating Technology Upgradation of Micro and Small Enterprises by providing 15% capital subsidy on institutional finance availed by them for induction of well established and improved technology in approved sub-sectors/products. The admissible capital subsidy under the revised scheme is calculated with reference to purchase price of plant and machinery. Maximum limit of eligible loan for calculation of subsidy under the revised scheme is also been raised Rs. 40 lakhs to Rs. 100 lakh w.e.f. 29-09.2005.

Further, in the light of the experience gathered in implementing the Scheme, certain other modifications were also required to make it more useful to the MSMEs, including tiny, khadi, village and coir industrial units, in taking up technology upgradation on a larger scale.

The revised scheme aims at facilitating technology upgradation by providing 15 per cent upfront capital subsidy with effect from the 29th September, 2005 (12 per cent prior to 29.09.2005) to MSMEs, including tiny, khadi, village and coir industrial units (hereinafter referred to as MSMEs), on institutional finance availed of by them for induction of well established and improved technologies in the specified sub-sectors / products approved under the scheme. The scheme would cover the following technology needs / products/sub-sectors:

- i) Bio-tech Industry
- ii) Common Effluent Treatment Plant
- iii) Corrugated Boxes
- iv) Drugs and Pharmaceuticals
- v) Dyes and Intermediates

- vi) Industry based on Medicinal and Aromatic plants
- vii) Plastic Moulded/ Extruded Products and Parts/ Components
- viii) Rubber Processing including Cycle/ Rickshaw Tyres
- ix) Food Processing (including Ice Cream manufacturing)
- x) Poultry Hatchery & Cattle Feed Industry
- xi) Dimensional Stone Industry (excluding Quarrying and Mining)
- xii) Glass and Ceramic Items including Tiles
- xiii) Leather and Leather Products including Footwear and Garments
- xiv) Electronic equipment viz test, measuring and assembly/ manufacturing, Industrial process control; Analytical, Medical, Electronic Consumer & Communication equipment etc.
- xv) Fans & Motors Industry
- xvi) General Light Service(GLS) lamps
- xvii) Information Technology (Hardware)
- xviii) Mineral Filled Sheathed Heating Elements
- xix) Transformer/ Electrical Stampings/ Laminations /Coils/Chokes including Solenoid coils
- xx) Wires & Cable Industry
- xxi) Auto Parts and Components
- xxii) Bicycle Parts
- xxiii) Combustion Devices/ Appliances
- xxiv) Forging & Hand Tools
- xxv) Foundries Steel and Cast Iron
- xxvi) General Engineering Works

Gold Plating and Jewellery xxviii) Locks Steel Furniture xxix) XXX) Toys Non-Ferrous Foundry xxxi) Sport Goods xxxii) xxxiii) Cosmetics xxxiv) Readymade Garments Wooden Furniture xxxvi) Mineral Water Bottle xxxvii) Paints, Varnishes, Alkyds and Alkyd products xxxviii) Agricultural Implements and Post Harvest Equipment xxxix) Beneficiation of Graphite and Phosphate xxxx) Khadi and Village Industries xxxxi) Coir and Coir Products xxxxii) Steel Re-rolling and /or Pencil Ingot making Industries xxxxiii) Zinc Sulphate xxxxiv) Welding Electrodes

A list of Well Established and Improved Technologies is enclosed at Appendix-I. The cost of plant and machinery mentioned in Appendix I is only indicative. Actual cost may be taken for the purpose of calculation of subsidy

xxxxv) Sewing Machine Industry

Nodal Agengy

The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) will continue to act as the Nodal Agencies for the implementation of this scheme.

As decided in the 5th meeting of the Governing and Technology Approval Board (GTAB) of the Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS) held on February 17, 2006 the following nine Public Sector Banks/ Government Agencies have also been inducted as nodal banks/agencies for implementation and release of capital subsidy

S.No	Name of Bank	Related Link
1.	Canara Bank	http://www.canarabank.com/english/scripts/prioritycredit.aspx
2.	NABARD	http://www.nabard.org/nonfarm_sector/clcss.asp
3.	SIDBI	http://www.sidbi.com/governmentclcss.asp
4.	Bank of Baroda	http://www.bankofbaroda.com/bbs/clcss.asp
5.	Punjab National Bank	http://www.pnbindia.in/En/ui/Home.aspx
6.	The Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.	http://www.tiic.org/incentives.html
7.	Andhra Bank	http://andhrabank.in/english/clcss.aspx

Elgible Criteria

The eligible beneficiaries include sole Proprietorships, Partnerships, Co-operative societies, Private and Public limited companies in the SME sector. Priority shall be given to women entrepreneurs

Existing SMEs registered with the State Directorate of Industries, which upgrade their existing plant and machinery with the state- of the -art technology, with or without expansion

New SMEs which are registered with the State Directorate of Industries and which have set up their facilities only with the appropriate eligible and proven technology duly approved by the GTAB/TSC.

Industry graduating from small scale to medium scale on account of sanction of additional loan under CLCSS shall be eligible for assistance. Labour intensive and/or export oriented new sectors/ activities will be considered for inclusion under the scheme.

Technology upgradation would ordinarily mean induction of state-of-the-art or near state-of-the-art technology. In the varying mosaic of technology obtaining in more than 7500 products in the Indian small scale sector, technology upgradation would mean a significant step up from the present technology level to a substantially higher one involving improved productivity, and/or improvement in the quality of products and/or improved environmental conditions including work environment for the unit. It would also include installation of improved packaging techniques as well as anti-pollution measures and energy conservation machinery. Further, the units in need of introducing facilities for in-house testing and on-line quality control would qualify for assistance, as the same is a case of technology upgradation.

Replacement of existing equipment/technology with the same equipment/technology will not qualify for subsidy under this scheme, nor would the scheme be applicable to units upgrading with second hand machinery.

After considering these issues, the CLCSS has been amended as follows:

- (i) the admissible capital subsidy is to be calculated with reference to the purchase price of plant and machinery, instead of the term loan disbursed to the beneficiary unit; and
- (ii) the practice of categorisation of MSMEs in different slabs on the basis of their present investment for determining the eligible subsidy has been done away with.

(iv) Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGMSE)

The Credit Guarantee Fund Scheme for Micro and Small Enterprises (CGMSE) is to make available collateral-free credit to the micro and small enterprise sector. Both the existing and the new enterprises are eligible to be covered under the scheme. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Small Industries Development Bank of India (SIDBI), established a Trust named Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) to implement the Scheme. The corpus of CGTMSE is being contributed by the Government of India and SIDBI in the ratio of 4:1 respectively and has contributed Rs.1906.55 crore to the corpus of the Trust up to March 31,2010. As announced in the Package for MSEs, the corpus was to be raised to Rs.2500 crore by the end of 11th Plan.

Eligible Lending Institutions

The institutions, which are eligible under the scheme, are scheduled commercial banks (Public Sector Banks/Private Sector Banks/Foreign Banks) and select Regional Rural Banks (which have been classified under 'Sustainable Viable' category by NABARD). National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC), North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi) and SIDBI have also been made eligible institutions. As on March 31, 2010, there were 112 eligible Lending Institutions registered as (MLIs) of the Trust, comprising of 27 Public Sector Banks, 16 Private Sector Banks, 61 Regional Rural Banks, 2 Foreign Bank and 6 other Institutions viz., NSIC, NEDFI, SIDBI and The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation(TNIIC).

CGTMSE has adopted multi-channel approach for creating awareness about its guarantee scheme amongst banks, MSE associations, entrepreneurs, etc. through print and electronic media, by conducting workshops/seminars, attending meetings convened at various district/state/national fora, etc.

One of the major causes for low availability of bank finance to this sector is the high risk perception of the banks in lending to MSEs and consequent insistence on collaterals which are not easily available with these enterprises. The problem is more serious for micro enterprises requiring small loans and the first generation entrepreneurs.

Eligible Credit Facility

The credit facilities which are eligible to be covered under the scheme are both term loans and working capital facility up to Rs.100 lakh per borrowing unit, extended without any collateral security or third party guarantee, to a new or existing micro and small enterprise. For those units covered under the guarantee scheme, which may become sick owing to factors beyond the control of management, rehabilitation assistance extended by the lender could also be covered under the guarantee scheme. It is noteworthy that if the credit facility exceeds Rs.50 lakh, it may still be covered under the scheme but the guarantee cover will be extended for credit assistance of Rs.50 lakh only. Another important requirement under the scheme is that the credit facility should be availed by the borrowing unit from a single lending institution. However, the unit already assisted by the State Level Institution/NSIC/NEDFi can be covered under the scheme for the credit facility availed from member bank, subject to fulfillment of other eligibility criteria. Any credit facility in respect of which risks are additionally covered under a scheme, operated by Government or other agencies, will not be eligible for coverage under the scheme.

Guarantee Cover

The guarantee cover available under the scheme is to the extent of 75 per cent of the sanctioned amount of the credit facility. The extent of guarantee cover is 80 per cent for (i) micro enterprises for loans up to Rs.5 lakh; (ii) MSEs operatedand/or owned by women; and (iii) all loans in the North-East Region. In case of default, Trust settles the claim up to 75% (or 80% wherever applicable) of the amount in default of the credit facility extended by the lending institution. For this purpose the amount in default is reckoned as the principal amount outstanding in the account of the borrower, in respect of term loan, and amount of outstanding working capital facilities, including interest, as on the date of the account turning Non-Performing Asset (NPA).

Tenure of Guarantee

The Guarantee cover under the scheme is for the agreed tenure of the term loan/composite credit. In case of working capital, the guarantee cover is of 5 years or block of 5 years.

Fee for Guarantee

The fee payable to the Trust under the scheme is one-time guarantee fee of 1.5% and annual service fee of 0.75% on the credit facilities sanctioned. For loans up to Rs.5 lakh, the one-time guarantee fee and annual service fee is 1% and 0.5% respectively. Further, for loans in the North-East Region, the one-time guarantee fee is only 0.75%.

Website

Operations of CGTMSE are conducted through Internet. The website of CGTMSE has been hosted at www.cgtsi.org.in.

(v) ISO 9000/ISO 14001 Certification Reimbursement Scheme

The MSME Sector has emerged as dynamic and vibrant sector of Indian Economy and it has been making significant contribution to industrial production, export and employment generation. The process of economic liberalization and market reforms has opened up the Indian small scale sector to the global competition.

In order to enhance the competitive strength of the sector, the Government introduced an incentive scheme for their technological upgradation/quality improvement and environment management. The scheme provides incentive to those small scale/ ancillary undertaking who have acquired ISO 9000/ISO 14001/HACCP certifications. The scheme for ISO 9000 reimbursement in operation since March, 1994 has now been enlarged so as to include reimbursement of expenses for acquiring ISO 14001 certification Up-to 31st march 2009, 18778 Micro & Small units have been benefited from the scheme.

The amount of incentive/subsidy/grant already availed for acquiring ISO 9000 or ISO 14001/HACCP Certification under any Central Govt. (including DC(MSME) Incentive Scheme)/State Govt. /Financial Institution shall be adjusted against the entitlement of reimbursement.

Only one time reimbursement is allowed against a E.M.Number for acquiring ISO-9000/ISO-14001/HACCP certification; irrespective of the fact whether the concerned SSI has one or more than one Unit(s) within the same premises/location or outside .

In case an ISO-9000/ISO-14001/HACCP certificate is obtained jointly by MSMEs (even having a separate Permanent E.M.Number) under the corporate/group of Industries category, the total reimbursement shall be limited to 75% of the total expenditure incurred by the concerned units or Rs. 75,000/- whichever is less; and each SSI unit shall get the amount on pro-rata basis.

The Salient features of the Scheme

- i. The Scheme envisages reimbursement of charges of acquiring ISO-9000/ISO-14001/HACCP certifications to the extent of 75% of the expenditure subject to a maximum of Rs. 75,000/- in each case.
- ii. The Permanent Registered Small Scale/ancillary/Tiny/Small Scale Service Business Enterprises (SSSBE) units are eligible to avail the Incentive Scheme.
- iii. The Scheme is applicable to those SME/ancillary/Tiny/SSSBE units who have a ready acquired ISO-9000/ISO-14001/HACCP certification.
- iv. It is an all India Scheme administered by Development Commissioner (MSME), Ministry of MSME, Govt. of India. With effect from 30.8.2006 procedure of the Screening Committee to decide the reimbursement has been discontinued and the Screening Committee has been dismantled to reduce delay in the sanctioning of reimbursement to the applicants.

- v. The Scheme shall provide one time reimbursement only against a Entrepreneurship Memorandum Number. The amount of incentive/subsidy/grant already availed for acquiring ISO 9000 or ISO 14001/HACCP Certification under any Central Govt. (including DC(MSME) Incentive Scheme)/State Govt. /Financial Institution shall be adjusted against the entitlement of reimbursement.
- vi. It means the total entitlement of reimbursement of acquiring one or more than on certifications shall be up to the maximum limit of Rs. 75,000/- only. In case a unit has received reimbursement/subsidy/grant from Central Govt./State Govt./Financial Institution against any one of the certifications for an amount less than maximum limit of Rs. 75,000/-, the unit shall be eligible to receive the balance amount only.
- (a) Only one time reimbursement is allowed against a E.M.Number for acquiring ISO-9000/ISO-14001/HACCP certification; irrespective of the fact whether the 1.concerned SSI has one or more than one Unit(s) within the same premises/location or outside.
- (b) In case an ISO-9000/ISO-14001/HACCP certificate is obtained jointly by SSI units (even having a separate Permanent E.M.Number) under the corporate/group of Industries category, the total reimbursement shall be limited to 75% of the total expenditure incurred by the concerned units or Rs. 75,000/- whichever is less; and each SSI unit shall get the amount on pro-rata basis.

(vi) Market Development Assistance for MSME Exporters (MSME MDA)

A Market Development Assistance Scheme is currently operated by the Ministry of Commerce with a view to encourage exporters (including MSME exporters) to access and develop overseas markets. The scheme offers funding for participation in international fairs, study tours abroad, trade delegations, publicity, etc. Direct assistance under MDA for MSMEs is given for individual sales-cum-study tours, participation in fairs/exhibitions and publicity. SIDBI operates a scheme of direct assistance for financing activities relating to marketing of MSME products.

The Office of DC(MSME) has an existing scheme for participation in international fairs, whereby MSME entrepreneurs are encouraged to display their products at international exhibitions abroad. MSME-DO provides exhibition space and shipment of exhibits ex-Mumbai free of cost for this purpose.

In pursuance of the above announcement and in recognition of the fact that (i) MSME exporters need to be encouraged in their efforts at tapping and developing overseas markets; and (ii) MSME-DO's participation in international fairs, if coupled with the presence of actual exporters, would lead to substantial increase in export business, it has been decided to operate a new scheme called MSME Exporters Market Development Assistance (MSME-MDA) Scheme.

The scheme to be operated in addition to the existing MSME-DO scheme for participation in international fairs will cover all activities for which direct assistance is given under the existing MDA scheme of the Ministry of Commerce. In addition, the scheme would also provide for financial assistance for commissioning market study reports and for initiating/contesting anti-dumping cases.

Objective

- (i) To encourage Small & Micro exporters in their efforts at tapping and developing overseas markets.
- (ii) To increase participation of representatives of small/micro manufacturing enterprises under MSME India stall at International Trade Fairs/ Exhibitions.
- (iii) To enhance export from the small/micro manufacturing enterprises
- (iv) To popularise the adoption of Bar Coding on a large scale.

The scheme offers funding for:

- 1. Participation by manufacturing Small & Micro Enterprises in International Trade Fairs/ Exhibitions under MSME India stall.
- 2. Sector specific market studies by Industry Associations/ Export Promotion Councils/ Federation of Indian Export Organisation.
- 3. Initiating/ contesting anti-dumping cases by MSME Associations and
- 4. Reimbursement of 75% of one time registration fee (w.e.f. lst January 2002) and 75% of annual fees (recurring) (w.e.f. lst June 2007) paid to GSI (Formerly EAN India) by Small & Micro units for the first three years for bar code.

Eligibility criteria

- i) Unit having valid permanent registration with Directorate of Industries/ District Industries Centre.
- ii) The selection of small/ micro manufacturing units would be done by MSME-DIs as per display product profile, theme of the fair and space availability.
- iii) Micro & Small manufacturing enterprise can avail this facility only once a year
- iv) Only one person of the participating unit would be eligible for subsidy on air fare.
- v) the participating units under MSME India stall at International Trade Fairs/ Exhibitions has to pay 50% of space rental charges of booked space (min. 6 sq.mtr.) by enterprises of General categories through MSME-DIs by a DD favouring PAO (MSME), New Delhi at least one month advance of the commencement of the event. In addition to this, selected units can book more space in multiple of 1x3 sq.mtr. on pro-rata basis and make payment accordingly.

However, women, SC&ST entrepreneurs & entrepreneurs from North Eastern Region need not to pay space rental charges.

vi) The representatives of the participating units are required to carry and manage the samples (to and fro including custom clearance etc.) for display under MSME India stall at the International Trade Fairs/ Exhibitions.

The scheme offers funding upto 75% in respect of to and fro air fare for participation by MSME Entrepreneurs in overseas fairs/trade delegations. The scheme also provide for funding for producing publicity material (upto 25% of costs) Sector specific studies (upto Rs. 2 lakhs) and for contesting anti-dumping cases (50% up-to Rs. 1 lakh).

Permissible subsidy

- (i) The Govt. of India will reimburse 75% of air fare by economy class and 50% space rental charges for Micro & Small manufacturing enterprises of General category entrepreneurs.
- (ii) For Women/SC/ST Entrepreneurs & Entrepreneurs from North Eastern Region Govt. of India will reimburse 100% of space rent and economy class air fare.
- (iii) The total subsidy on air fare & space rental charges will be restricted to Rs.1.25 lakh per unit.

Sector-Specific Market Studies

Financial assistance for the conduct of market studies would be available for industry associations/EPCs/FIEO. These should be sector specific and in respect of those sectors where MSMEs have a significant presence. This will include studies commissioned by industry associations to on a specific sector. The Office of DC(MSME) may also commission such studies independently under this scheme. Assistance for commissioned studies would be limited to an overall ceiling of Rs.2 lakhs per study.

Anti-dumping Cases

With the opening up of the economy, the use of unfair trade practices has come into sharper focus. Establishing the use of unfair trade practices such as dumping requires much groundwork. Assistance for initiating/contesting anti-dumping cases will therefore be made available to MSME associations. Such assistance would be limited to 50% of total costs involved or Rs. 1 lakh whichever is lower.

(vii) Mini Tool Rooms and Training Centres

The Government of India have set up a few Tool Room & Training Centres of large size involving estimated cost of over Rs. 50 crores each, in order to provide facilities for design and manufacture of toolings, and also for training to improve the skill of tool markers, for the benefit of industries in MSME sector.

A typical such centre can be set up at an estimated cost of around Rs. 15 crores (including Rs. 10 crores towards cost of machinery/equipment). However, the cost may vary depending upon the activities proposed to be undertaken. The Centrel assistance will be in the form of one time grant-in-aid equal to 90% of the cost of machinery/equipment (restricted to Rs. 9.00 crores in each case)

in the case of a new Mini Tool Room, and 75% of the cost of machinery/equipment (restricted to Rs. 7.50 crores) in case of an existing Mini Tool Room to be upgraded/modernised. The balance cost of machinery/equipment, the cost of land and buildings and the recurring costs would be met by the States/State Agencies.

Objectives

The objectives of the Mini Tool Room & Training Centres are:

- (a) To manufacture jigs, fixtures cutting tools, gauges, press tools, plastic moulds, forging dies, pressure casting dies and other toolings for SME industries. Advanced tool making process using CAD/CAM techniques are to be adopted.
- (b) To provide training facility in tool manufacturing and tool design to generate a work force of skilled workers, supervisors, engineers/designers etc.
- (c) To work as a Nucleus Centre for providing Consultancy, information service, documentation etc., for solving the problems related to tooling of industries in the region.
- (d) To act as a common facility Centre for small scale industries and to assist them in product and prototype development,

(viii) Assistance to Entrepreneurship Development Institutes

The scheme of Entrepreneurship Development Institutes (EDIs) will be implemented by the Small Industry Development Organization (MSME-DO) which has the responsibility of promoting and developing the MSME sector in the country through State Governments/Union Territories.

The central assistance to be provided would be only catalytic and supplementary to the contributions and efforts of the States/UT Governments and other agencies involved in the programme. The financial assistance will be for specific needs of each case for improvement in areas like building, training aids/equipment and other support services and will be on matching basis, say 50% of the cost restricted to Rs. 100.00 lakh in each case.

The State Government will examine the expansion/modernisation programmes of EDIs and forward the same to the Office of Development Commissioner (MSME). Nirman Bhawan, New Delhi-110011, recommending central assistance. The proposals would indicate clearly the item-wise estimated cost of the project, and also the sources of finance. The proposals of EDIs received through State Govt. would be scrutinized by the Screening Committee.

(xi) Scheme of Micro Finance Programme

Creating self employment opportunities is one way of attacking poverty and solving the problems of unemployment. The Scheme of Micro-Credit has been found as an effective instrument for lifting the poor above the level of poverty by providing them increased self-employment opportunities and making them credit worthy. Total requirement of micro-credit in the country has been assessed at Rs.50,000 crore. Micro-credit programme works through NGOs/SHGs and the merit lies in weekly monitoring and refund of instalments.

The Government has launched a Scheme of Micro Finance Programme in 2003-04. The Scheme has been tied up with the existing programme of SIDBI by way of contributing towards security deposits required from the MFIs/NGOs to get loan from SIDBI. The scheme is being operated in underserved States and underserved pockets/districts of other states.

The Government of India provide funds for Micro-Finance Programme to SIDBI, which is called 'Portfolio Risk Fund'(PRF). At present SIDBI takes fixed deposit equal to 10% of the loan amount. The share of MFIs/NGOs is 2.5% of the loan amount (i.e. 25% of security deposit) and balance 7.5% (i.e. 7.5% of security deposit) is adjusted from the funds provided by the Government of India.

The rate of recovery under SIDBI's Micro credit programme is as high as 98%. Though there are various Departments and Organisations implementing micro-credit schemes in the areas of activity falling under their purview but their total reach is very low i.e. not more than Rs.5,000 crore. Thus the existing programmes cater to only 5 to 10% of total requirements and there is considerable scope for expansion of such programmes.

In India, Micro-credit programmes are run primarily by NABARD in the field of agriculture and SIDBI in the field of Industry, Service and Business (ISB). The success of Micro-credit programme lies in diversification of services. Micro Finance Scheme of SIDBI is under operation since January, 1999 with a corpus of Rs. 100 crore and a network of about 190 capacity assessed rated MFIs/NGOs.

It is felt that Government's role can be critical in expanding reach of the scheme, ensuring long term sustainability of NGOs / MFls and development of Intermediaries for identification of viable projects.

a. Arranging Fixed Deposits for MFIs/NGOs:

The SIDBI is already running a Micro-Credit Programme with a network of capacity assessed rated MFIs/NGOs. The scheme of Micro-Finance Programme has been tied-up with SIDBI by way of contributing towards security deposits required from the MFIs/NGOs to get loans from SIDBI. The MFIs/NGOs may avail the loan from the SIDBI for further on lending on the support of the security deposit. The activities covered under the scheme are manufacturing, service sector and non-farming activities.

b. Training and Studies on Micro-Finance Programme:

The Government of India would help SIDBI in meeting the training needs of NGOs, SHGs, intermediaries and entrepreneurs and also in enhancing awareness about the programme. This task would be performed through National Level Entrepreneurship Development Institutes (EDIs) and Small Industries Service Institutes (SISIs). The Research Studies would also be arranged through reputed agencies.

c. Institution Building for 'Intermediaries' for identification of viable projects:

The Government of India would help in institution building through identification and development of 'intermediary organization', which would help the NGOs/SHGs in identification of product, preparation of project report, working out forward and backward linkages and in fixing marketing/ technology tie-ups. The SISIs would help in the identification of such intermediaries in different areas.

(x) Scheme of National Award

The MSMEs in India have seen a vast development in the last five decades. They have registered tremendous growth as well as also progress in terms of quality production, exports, innovation, product development and import substitution, very much beyond the expected objectives of setting up MSMEs by the planners of industrial production base in the country.

Entrepreneurial efforts have made it possible to produce number of items, which hitherto were imported. In quite a few cases new variants so produced are having additional attributes than their original versions and are capable of solving a multitude of user problems. This all has become possible owing to the ambitions and visionary spirit of entrepreneurs of MSMEs

Objective

The Ministry of MSMEs with a view to recognizing the efforts and contribution of MSMEs gives National Award annually to selected entrepreneurs and enterprises under the scheme of National Award.

Periodicity & Eligibility

The Awards are given for every calendar year to deserving entrepreneurs of MSMEs having permanent registration/have filed Entrepreneurs Memorandum with the authorities notified by respective State Governments/UT Administration in accordance with the provisions contained in the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act 2006, which came into force on 2 October 2006. The MSMEs should have been in continuous production/service for last four years. A brief details about the award schemes functioning under DC(MSME) is as below.

Details of the Scheme

- a) Micro, Small and Medium Enterprises for Outstanding Efforts in Enterpreneurship (In Details)
- b) Research & Development Efforts in Micro, Small and Medium Enterprises (In Details)
- c) Quality in Selected Products in Micro, Small Enterprises (MSEs) (In Details)
- d) National award Entrepreneurship Services

National awards are given to first three entrepreneurs a cash prize of Rs 1 lakh, Rs 0.75 lakh and Rs 0.50 lakh respectively. Special national awards to SC/ST and NER entrepreneurs are also given a cash prize of Rs 1 lakh.

(xi) Scheme to Support 5 Selected University / Colleges to Run 1200 Entrepreneurship Clubs per Annum

A package for the promotion of Micro and Small Enterprises, based on the Circular No.2(6)/2006-MSME Policy dated the 7th November, 2006 has been approved by the Cabinet Committee for Economic Affairs (CCEA). The scheme to support to 5 selected Universities / colleges to run 1200 Entrepreneurship Clubs is one of the components of the promotional Package for Micro and Small Enterprise declared in Lok Sabha on 27th Feburary, 2007 and in Rajya Sabha on 2nd March 2007

The scheme is to support five universities to run Entrepreneurship Clubs (one each from Northern, Western, Eastern, Southern and North East region). Each university will have to run 240 clubs per year and each club may have a membership of 50 entrepreneurs. In a period of five years, three lakh entrepreneurs are to be benefited in all.

Objectives

The scheme has been devised to encourage entrepreneurs to run self-employment ventures of Micro or Small Enterprises. Moreover, this will be a very important scheme bringing the entrepreneurs, universities and MSME-Development Institutes (MSME-DI) together. In addition, this will create a base to entrepreneurs for coming together to solve their common problems a shift from Lobbying Mode to Facilitation Mode, giving hard intervention in the form of technology and soft intervention like arranging workshops, seminars, guidelines to obtain ISO certification, ISI Marks, participation in Trade Fairs, implementation of Quality Management Tools.

Outcome of the Scheme

The Clubs will be a forum for exchange of ideas on:

- New Technology
- 2. Market Trend and Potential
- 3. Training for Human Resources
- Initiative to new concepts etc.
- 5. Credit
- 6. Suggestions for Antidumping
- 7. "Watch" activities on items flowing in our country because of globalization. (This list is illustrative only).

These clubs will meet once a month and decide action to be taken for activities listed above. Any study needed for providing shift in policies by the Government in the state or centre could also be taken up. Besides, participation of the members in the exhibitions in the country may also be funded by the Club

Steps for Implementation

After the MoU is signed, Entrepreneurship Clubs will be formed as per guidelines. These clubs will meet once a month and decide actions to be taken for activities. Director, MSME –DI will be authorized to give money for the clubs but only in the name of the university for the approved activities. Director will give money in advance to the university, if convinced, that it is needed. Director will have the powers to distribute the money keeping the needs of each club in mind with in the overall allocation. (More money for more active clubs and less money for less active clubs). The proposed provision of budget in the Eleventh Plan was allocated of Rs.12.50 crores.

14

Programmes & Schemes of the Ministry of MSME

In order to protect, support and promote small enterprises as also to help them become self-supporting, a number of protective and promotional policy measures have been undertaken by the Government. The following promotional measures cover:

- (i) industrial extension services:
- (ii) institutional support in respect of credit facilities;
- (iii) provision of training facilities;
- (iv) supply of machinery on hire-purchase terms;
- (v) assistance for domestic marketing as well as exports; and
- (vi) technical consultancy and financial assistance for technological upgradation; etc.

The Reservation Policy has been the most important policy of the Government of India for the MSME sector. It has the twin objectives of ensuring increased production of consumer goods in the MSME; and expanding employment opportunities through setting up of small scale industries. Reservation of items for exclusive manufacture in SME sector is statutorily provided for in the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. The overwhelming consideration for reservation of an item is its suitability and feasibility for being made in the MSME sector without compromising the quality aspect. But, with a view to providing to the sector, opportunities for technological upgradation, promotion of exports and economies of scale, items so reserved have been dereserved from time to time. The issue of reservation/de-reservation of product is examined on a continual basis by an Advisory Committee on Reservation constituted under the Act. During the year 2006-07, 180 items reserved for manufacture in SME industries have been dereserved. As on 13 March, 2007, 125 items were dereserved and as on 8 February, 2008, 79 more were dereserved. At present, the total number of items reserved for exclusive manufacture in the micro and small scale sector are 35.

Besides, several schemes and programmes have been undertaken by the Government with the aim of facilitating access to:

- (i) adequate credit from financial institutions;
- (ii) funds for technology upgradation and modernisation;
- (iii) integrated infrastructural facilities;
- (iv) modern testing facilities and quality certification laboratories; and
- (v) modern management practices, entrepreneurship development and skill upgradation through appropriate training facilities; etc. The schemes so announced include:

- > Tax Holiday Scheme
- Composite Loan Scheme
- Industrial Estate Scheme
- Scheme for International Cooperation
- Scheme of Surveys, Studies and Policy Research
- Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)
- Scheme of Product Development, Design Intervention and Packaging (PRODIP)
- Scheme of Khadi Karigar Janashree Bima Yojana for Khadi Artisans
- Scheme of Interest Subsidy Eligibility Certification (ISEC)
- Financial Assistance for using Global Standards (GS1) in Bar Coding

Implemented directly by Ministry

- Scheme of Surveys, Studies and Policy Research
- Guidelines of Scheme for Assistance to Training Institutions (English/Hindi)
- Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)
- Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana (RGUMY)

Implemented through NSIC

- Marketing Assistance Scheme (English/ Hindi)
- Performance and Credit Rating Scheme (English / Hindi)

Implemented through KVIC

• Guidelines of the Market Development Assistance (MDA) on Production Scheme

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

- Product Development, Design Intervention and Packaging (PRODIP)
- Khadi Karigar Janashree Bima Yojana for Khadi Artisans
- Interest Subsidy Eligibility Certification (ISEC)

- Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industry and Artisans
- Workshed Scheme for Khadi Artisans implemented through coir board
- Rejuvenation, Modernization and Technology Upgradation of the Coir Industry

An Electronic Network has been undertaken for Small & Medium Enterprises, Central/State Governments, other Central/State agencies engaged directly or indirectly in the promotion and development of the SME sector, national/state level industry associations, NGOs and entrepreneurs. This is to promote network alliance amongst information providers and seekers concerning the development of the SME sector. Some of the schemes have included in the proceeding paras.

(i) Scheme of Surveys, Studies and Policy Research

The objectives of the "Scheme of Surveys, Studies and Policy Research" are:

- (i) To regularly/periodically collect, from primary, secondary and other sources, relevant and reliable data on various aspects and features of micro, small and medium enterprises (MSME) engaged in manufacturing and services (whether in the category of tiny/small scale industries, khadi, village industries or coir) as a composite group or specific segments thereof.
- (ii) To study and analyse, on the basis of empirical data or otherwise, the constraints and challenges faced by the MSME as well as the opportunities available to them, in the context of liberalisation and globalisation of the economy.
- (iii) To use the results of these surveys and analytical studies

(ii) Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI)

Government has launched the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries (SFURTI) under which 100 traditional industry clusters (of khadi, village industry and coir) would be taken up for comprehensive development over 5 year. The KVIC and the Coir Board are the nodal agencies for the Scheme, which will be the first comprehensive initiative for regeneration of the khadi and village industries sector, based on the cluster development methodology. The guidelines for the SFURTI have been issued on 3.10.2005. All State Governments/Union Territories have been asked to send their proposals for cluster development to this Ministry for consideration/approval. A Core Group under the chairmanship of Secretary (SSI & ARI) has been constituted on 13.01.2006 with the following composition to assist the Scheme Screening Committee for examining the proposals received in the Ministry for cluster development:

(iii) Product Development, Design Intervention and Packaging (PRODIP)

Scheme

This scheme was launched in November 2002 with a view to improving the quality of khadi products and also to diversify into new

products. The scheme envisages improvement in product quality, introducing new designs and better packaging of products.

(iv) Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana (RGUMY)

It has been observed that entrepreneurs particularly new entrepreneurs, generally face difficulties in availing full benefits under available schemes of the Governments / financial institutions, completing and complying with various formalities and legal requirements under various laws/regulations, in selection of appropriate technology, tie-up with buyers and sellers etc. In order to bridge the gap between the aspirations of the potential entrepreneurs and the ground realties, there is a need to support and nurture the potential first generation as well as existing entrepreneurs by giving them handholding support, particularly during the initial stages of setting up and managing their enterprises.

The objectives of Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana (RGUMY) are:

- (i) To provide handholding support and assistance to the potential first generation entrepreneurs, who have already successfully completed or undergoing Entrepreneurship Development Training Programme (EDP) / Skill Development Training Programme (SDP)/ Entrepreneurship cum Skill Development Training Programme (ESDP) /Vocation Training Programmes (VT), through the selected lead agencies i.e. 'Udyami Mitras', in the establishment and management of the new enterprise, in dealing with various procedural and legal hurdles and in completion of various formalities required for setting up and running of the enterprise.
- (ii) To provide information, support, guidance and assistance to first generation entrepreneurs as well as other existing entrepreneurs through an 'Udyami Helpline' (a Call Centre for MSMEs), to guide them regarding various promotional schemes of the Government, procedural formalities required for setting up and running of the enterprise and help them in accessing Bank credit etc.

Eligibility

Under RGUMY, financial assistance would be provided to the selected lead agencies i.e. **Udyami Mitras** for rendering assistance and handholding support to the potential first generation entrepreneurs. Following agencies/ organizations can be appointed as the lead agency i.e. **Udyami Mitra**:

- i. Existing national level Entrepreneurship Development Institutions (EDIs).
- ii. Micro, Small and Medium Enterprises Development Institutes (MSMEDIs) / Branch MSMEDIs.
- iii. Central/ State Government public sector enterprises (PSEs) involved in promotion and development of MSEs e.g. National Small Industries Corporation (NSIC) and State Industrial Development Corporations etc.
- iv. Selected State level EDIs and Entrepreneurship Development Centers (EDCs) in public or private sectors;

- v. Khadi and Village Industries Commission (KVIC).
- vi. Special Purpose Vehicles (SPVs) set up for cluster development involved in entrepreneurship development;
- vii. Capable associations of MSEs/SSIs;
- viii. Other organizations/training institutions/NGOs etc. involved in entrepreneurship development/ skill development.

Role and Responsibilities of Udyami Mitras

The selected lead agencies i.e. Udyami Mitras would be expected to render assistance and handholding support for following services:

- (i) Networking, coordinating and follow up with various Government departments/ agencies/ organizations and regulatory agencies on the one hand and with support agencies like Banks/financial institutions, District Industries Centers (DICs), technology providers, infrastructure providers on the other hand, to help the first generation entrepreneurs in setting up their enterprise. Udyami Mitras are expected to help the first generation entrepreneurs in:
 - a) Identification of suitable project/product/enterprise and preparation of bankable project report for the same;
 - b) Creation of the proprietorship firm/ partnership firm/ Company/ Society/ Self Help Group (SHG) etc;
 - c) Filing of Memorandum (as prescribed under MSMED Act 2006);
 - d) Accessing bank loans, admissible capital subsidy/ assistance under various schemes of the Central /State Government and other agencies/organizations/financial institutions/ Banks etc. by networking with respective agencies
 - e) Assistance and support in establishment of work shed/office;
 - f) Sanction of Power load/connection;
 - g) Selection of appropriate technology and installation of plant and machinery/office equipment etc;
 - h) obtaining various registrations/ licenses/ clearances / No Objection Certificates (NOCs) etc. from the concerned regulatory agencies/ Government departments/ local bodies/ Municipal authorities etc.;
 - i) Allotment of Income Tax Permanent Account Number (PAN) and Service Tax/ Sales Tax/ VAT registration etc;
 - j) Sanction of working capital loan from the banks;
 - k) Arranging tie up with raw material suppliers;
 - I) Preparation and implementation of marketing strategy for the product/ service and market development; and
 - m) Establishing linkage with a mentor for providing guidance in future

- n) Creation of web page and email identity;
- (ii) Once the enterprise has been successfully set up, the Udyami Mitras would also monitor and follow up on the functioning of the enterprise for a further period of minimum 6 months and provide help in overcoming various managerial, financial and operational problems.

Empanelment of Udyami Mitras

The organizations of Ministry of MSME engaged in the task of entrepreneurship development i.e. the three national-level EDIs, (i.e. NIESBUD Noida, IIE Guwahati and NIMSME Hyderabad) MSMEDIs/ Branch MSMEDIs, KVIC, NSIC, Coir Board and such other organisations, as approved by Ministry of MSME, would be empanelled as per the Category.

Targets

Annual targets will be allocated to the lead agencies i.e. Udyami Mitras, for taking up of post-EDP/SDP/ESDP/VT activities in the form of handholding of potential first generation entrepreneurs trained under various EDPs / SDPs /ESDPs/VTs.

Allocation of targets for handholding support to Category-I Udyami Mitras would be done by the Ministry of MSME directly after assessing their capacity and past performance.

Targets to the other lead agencies i.e. Categories II & III Udyami Mitras would be allotted by the Ministry of MSME through State Directorates of Industries, on the basis of capacity and past performance of the lead agencies/Udyami Mitras and the recommendation of the concerned State Government, keeping in mind the availability of Budget as well as the number of EDP/SDP/ESDP/VT trainees available in the State. Reservation for SC/ST would be provided as per the policy of the Government.

Registration of Beneficiaries with Udyami Mitras

The Udyami Mitras would enrol the potential entrepreneurs for providing them handholding support. Only those beneficiaries would be enrolled who have already successfully completed or undergoing Entrepreneurship Development Training Programme (EDP) / Skill Development Training Programme (EDP) / Vocation Training Programmes (VT) of at least two weeks.

Financial Assistance to Udyami Mitras

For setting up of service enterprises, the Udyami Mitras would be provided handholding charges at the rate of Rs. 4000/- (Rupees four thousand only) per trainee that would include a Central grant of Rs. 3000/- (Rupees three thousand only) under RGUMY and contribution of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand only) by the beneficiary (to be deposited in advance).

For setting up of micro manufacturing enterprises, having investment (in plant and machinery) up to Rs. 25,00,000/-, the handholding charges would be Rs. 6,000/- (Rupees six thousand only), including Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) to be contributed by the beneficiary.

For the beneficiaries from special category i.e. SC/ ST/ physically handicapped/women / beneficiaries from North-Eastern Region, the beneficiary's contribution of Rs.1,000/- shall also be provided as a grant under RGUMY.

For small manufacturing enterprises having investment (in plant and machinery) of more than Rs.25,00,000/-, in addition to Government grant (Rs.5000/- or Rs. 6,000/-, as applicable), and entrepreneur's contribution (Rs.1000/- or nil, as applicable), the entrepreneur will also have to make additional contribution towards handholding charges at the rate of 0.1 per cent of the project cost in excess of Rs.25,00,000/-, subject to a ceiling of Rs.10,000/-.

Monitoring and Evaluation

The progress of the scheme will be reviewed and monitored on a regular basis by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises as well as by the Commissioner/ Director of Industries of the concerned States/ UTs. The Category -I Udyami Mitras and the concerned Commissioner/ Director of Industries would submit periodic (monthly/quarterly/half yearly) returns to Ministry of MSME. Further, the consolidated information and progress report compiled on the basis of above returns, if any, will be placed before the Screening Committee/Ministry for review and analysis.

(v) Scheme of Khadi Karigar Janashree Bima Yojana for Khadi Artisans (JBY)

A Group Insurance Scheme for khadi workers, namely, "Khadi Karigar Janashree Bima Yojana" was launched during X Five Year Plan through KVIC on 15th August 2003 by the Government of India (in the erstwhile Ministry of Small Scale Industries and Agro & Rural Industries), with LIC of India as insurers. The Scheme covers spinners, weavers, pre-spinning artisans and post-weaving artisans engaged in the khadi sector. This scheme, like other Group Insurance Schemes, does not have any terminal benefit for the beneficiaries as this is not a Life Insurance Scheme. The scheme provides only risk cover for death/disability and the worker is not entitled to get any returns on the premium paid by him or paid on his behalf by KVIC/khadi institutions, if he survives the entire period of insurance.

Benefits under the scheme are than this scheme initially provided each artisan with risk cover of upto (i) Rs. 20,000 for natural death and Rs. 50,000 for death due to accident, (ii) Rs. 50,000 for permanent disability (loss of two eyes/limbs of use) due to accident, and (iii) Rs. 25,000 for partial disability upto 2005-06 while w.e.f. 2006-07 the LIC of India has enhanced risk cover for the khadi artisans and the revised risk cover provided to each artisan is (i) Rs. 30,000 for natural death and Rs. 75,000 for death due to accident, (ii) Rs. 75,000 for permanent disability (loss of two eyes/limbs of use) due to accident, and (iii) Rs. 37,500 for partial disability, without charging any additional cost either to the beneficiary or to the Government of India.

The Shiksha Sahayog Yojana is add-on coverage under JBY, without any additional premium. The wards of the khadi artisans (benefit restricted to two children per member/family) covered under the JBY are entitled to receive upto Rs. 1200 per annum per ward towards tuition fee under the Shiksha Sahayog Yojana. This benefit is only for wards studying in classes IX to XII, including those studying in Industrial Training Institutes (ITI).

Amount of Premium

The annual premium payable for each khadi artisan insured the premium payable has been fixed at @Rs.100/-.

The scheme is first of its kind in the country covering such a big number of artisans in the unorganized sector and has been successful. With the experience gained by the LIC of India and KVIC, both the agencies simplified the operational modalities. The field offices of KVIC now need to deal with one designated unit of LIC for taking service of the scheme. The State/Divisional Directors of KVIC have been authorized to countersign and to furnish the list to such of LIC designated offices and whenever claims arise they are being settled on the basis of this list.

Both KVIC and LIC nominated the Nodal Officers at their respective Central Offices to attend to queries, problems etc. faced by field offices of KVIC, LIC and Khadi institutions. They are free to contact these nodal officers directly.

(vi) Scheme of Interest Subsidy Eligibility Certification (ISEC)

The Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme is the major source of funding for the khadi programme. It was introduced in May 1977 to mobilise funds from banking institutions to fill the gap in the actual fund requirement and its availability from budgetary sources. Under the ISEC Scheme, credit at the concessional rate of interest of 4 per cent per annum for capital expenditure as well as working capital is given as per the requirement of the institutions. The difference between the actual lending rate and 4 per cent is paid by the Central Government through KVIC to the lending bank and funds for this purpose are provided under the khadi grant head to KVIC. Institutions registered with the KVIC/State Khadi and Village Industries Boards (KVIBs) can avail of financing under the ISEC scheme. The ISEC scheme now supports only the khadi and the polyvastra sector.

(vii) Integrated Infrastructure Development (IID Scheme)

MSMEs particularly the first generation of entrepreneurs faced difficulties in accessing bank credit because of their inability to provide adequate collateral security for loans. Considering this, the Government launched the Credit Guarantee Fund Scheme for Small Industries on 30th August, 2000 with a view to alleviating the problem of collateral security and impediment to flow of credit to Small Scale Industries (SSI) sector.

The Government approved Credit Guarantee Fund Scheme for Small Industries on 19th May, 2000 with the objective of making available credit to MSMEs, particularly tiny units, for loans up to Rs. 10 lakhs without collateral/third party guarantees. The Scheme is being operated by the Credit Guarantee Trust Fund for Small Industries (CGTSI) set-up by Government of India and SIDBI. The Trust was incorporated on 27.7.2000. The Scheme has been operationalised with effect from 1st January, 2001. Subsequently, the Government decided to increase the eligibility limit of loans to be guaranteed from Rs. 10 lakhs to Rs. 25 lakhs. Salient Features of the Scheme are given below.

Eligibility and Coverage

Any collateral free credit facility (both in terms of loan as well as working capital) extended by lending institutions on or after 1st June, 2000 to new as well as existing manufacturing MSMEs, including Information Technology and Software Industry, particularly in the tiny sector, with a credit cap of Rs. 25 lakhs per operating unit, can be extended guarantee cover.

With effect from September 1, 2003, the credit facilities up to Rs. 25 lakhs sanctioned without collateral security and/or third party guarantee by the lending institutions to the new and existing Small Scale Service and Business (Industry Related) Enterprises (SSSBEs) have also been made eligible for coverage under the scheme. Any credit facility which has been sanctioned by the lending institution against collateral security and/or third party guarantee, however, is not eligible for guarantee cover under the scheme. The guarantee cover available is up to 75% of the loans extended by the lending institutions. The Guarantee cap per borrower is Rs. 18.75 lakh. The rate of interest that can be charged to the borrower by the lending institution shall not be more than 3% over the prime lending rate of the lending institution.

Guarantee and Annual Service Fee

The lending institutions availing guarantee from the Trust have to pay one time guarantee fee of 2.5% of the credit facility sanctioned and the service charges of 1% per annum on the outstanding loan amount as on 31st March each year.

Commencement of guarantee cover

The guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the term credit in respect of term credit/composite credit. Where working capital alone is extended to the eligible borrower, the guarantee cover shall be for a period of 5 years or a block of 5 years, or for such period as may be specified by the Trust in this behalf.

Invocation of guarantee

The lending institution may invoke the guarantee in respect of eligible credit facility if the following conditions are satisfied:

The guarantee in respect of that credit facility is in force;

The lock-in period of 24 months from either the date of last disbursement of the loan to the borrower or the date of payment of the guarantee fee in respect of credit facility to the borrower, whichever is later, has elapsed;

The amount due and payable to the lending institution in respect of the credit facility has not been paid and the dues have been classified by the lending institution as Non Performing Assets. Provided that the lending institution shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said credit facility if the loss in respect of the said credit facility has occurred owing to action/decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust; and

The loan facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law.

The trust shall pay 75 per cent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the lending institution, within 30 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the lending institution.

Eligible Institutions

All scheduled commercial banks and Regional Rural Banks (categorized under "sustainable viability") or such of those institutions as may be directed by Government of India. As on 31tst March 2004, 45 eligible institutions comprising 26 Public Sector Banks, 10 Private Sector Banks, 6 Regional Rural Banks and 3 other institutions viz. National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC), North Eastern

Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) have become Member Lending Institutions (MLIs) of CGTSI for participating under the Credit Guarantee Scheme.

The Government of India and SIDBI contribute towards the corpus fund of the CGTSI in the ratio of 4: 1. The Trust was set-up with an initial corpus of Rs.125 crore, which was enhanced to Rs. 250 crore by the end of FY 2001-02 and to Rs.427.02 crore by the end of FY 2002-03. The corpus fund was further raised to Rs. 686.19 crore during the FY 2003-04. With a view to augment the corpus so as to make the scheme self-sustaining, a budgetary provision of Rs.196.29 crore has been made by the Government during the current FY 2004-05. At present, the corpus fund is of Rs.767.44 crore.

(viii) Scheme for setting up of Testing Centres by Industries Associations & Modernisation/ Expansion of Quality Marking Centres of State Governments and their Autonomous Bodies

The Ministry of MSME introduced a scheme in 1995 to render financial assistance to Industries Associations of this sector for establishing quality counselling and common testing facilities, with a view to:

- (a) Encouraging the Industries Associations to establish and offer testing facilities in the area of testing of raw-materials/components and of finished products as per relevant standard specifications so that MSMEs could be helped in improving quality of their products and become licensed users of ISI quality marking logo.
- (b) Offering consultancy services to MSMEs in improving quality, standardisation and providing necessary information relating to specifications of raw materials and finished products.

The financial assistance under this Scheme was equal to 50% of the cost of machinery and equipment, restricted to from the existing Rs. 20 lakh to Rs. 50 lakh without any condition of matching contribution by the State Govt in each case, provided the State Govt. also committed itself to release matching funds to the Association, and the Association provides fully developed infrastructure to accommodate testing centres and also meets the recurring cost of running the Centre. This Scheme has also been extended to States for modernisation and expansion of the existing Quality Marking Centres run by the Industries Department of the State Govts. since November, 1997. The upper limit of Rs. 20 lakhs as Central assistance has not been found attractive enough,

Modification in the Scheme

Govt. of India has therefore reviewed the scheme, and it has been decided to modify it by raising the upper limit of Central assistance. This is also in the package includes, interalia one time capital grant equal to 50% of the cost of testing machinery and equipment restricted to Rs.50 lakh to the Industries Associations, which wish to set up and operate testing laboratories, provided such laboratories are of international standards.

Coverage of the modified Scheme

The modified scheme will cover the Testing Laboratories established by Industries Associations including Chambers of Commerce, Industrial co-operatives registered under the Societies (Registration) Act or under any statutory Act. It will also cover

expansion/modernisation of the existing Centres under the aegis of State Governments, State Government funded autonomous bodies or by Industries Associations.

All Industry Associations including Chamber of Commerce and Industries and Industrial Co-operatives interested in availing one time grant-in-aid under this scheme have to be registered under the Societies Registration Act, 1860 or any other statute.

Objectives

The objective of the Scheme is to promote setting up of testing centers to offer facilities mainly to Industrial units including MSMEs units located in the state for testing the quality of raw-materials, components and the end products as per the relevant standard specifications within the ambit of testing facilities available at the Centres, with a view:-

To help the MSMEs in obtaining ISI Marks for their products.

To offer consultancy services with a view to improve the quality of products.

To promote standardisation and provide necessary information in regard to material specifications and specifications for end products.

To extend quality assurance and assist promotional institutions and testing laboratories such as the Bureau of Indian Standards, Export Inspection Agency, National Productivity Council, and other Government and non-Governmental organizations.

To promote the total quality management concept among small scale sector industrial units and to assist the units in obtaining accreditation for ISO-9000/BIS 14000.

Eligibility Criteria

The applicant constitutes an exclusive Governing Council to look after the working of the testing Centre having representation from the concerned State Directorate of Industries, where testing laboratory is proposed to be set up.

In case the Associations/State Govts, have availed themselves of any other grant-in-aid from the State/Central Govt, for setting up of the testing centers including the assistance under the earlier Scheme they may indicate so and prepare a fresh project proposal for expansion of testing centers/modernisation of Quality Marking Centre to international standards and forward the same to the Office of the DC(SSI) through the Director of Industries of the State with their recommendation. However, before making themselves eligible under the present scheme, they will furnish the Utilisation Certificate in the prescribed form GFR19A, duly audited by the Chartered Accountant, for the entire amount received by them to Development Commissioner (SSI) through Director of Industries of state.

Maximum amount payable under the modified Scheme

A capital investment of Rs. 1 crore in the testing machinery & equipment is considered adequate for setting up of a testing laboratory with reasonable modern facilities for a few products. Therefore, maximum amount of Govt. of India grant- in-aid under this scheme would be 50% of the cost of testing equipment and machinery installed in the laboratory of the testing centre subject to an upper limit of Rs.50 lakh as one time grant-in-aid.

Fund requirement

SIDO HQ Office will prepare the estimates of grant-in-aid to be disbursed to eligible Associations every year, and to start with the budget provision of Rs. 0.50 crore for the financial year 2001-02 has been made. A fund of Rs 1.00 crore has been year marked in BE for the year 2006-07.

Implementation of the Scheme

A. Registered Associations will appoint a Chief Executive Officer (CEO) and other required staff to establish the testing centers for products manufactured by their member units.

Project

Detailed project report indicating the land and building requirements, the testing machinery and equipments required along with their cost, working capital requirement and financial arrangements, personnel requirement and viability etc. will be submitted by the Industry Association/Quality Marking Center to the respective State Directorate of Industries for their examination.

Director of Industries of State Govt., after scrutiny of the proposal, will forward the same with his recommendations to the Office of the DC (SME), Nirman Bhavan, New Delhi.

The recommended applications received from the Directorate of Industries of the respective States will be considered by a Screening Committee under the Chairmanship of AS&DC(SSI) and will comprise of members from Deptt. of Science & Technology (DST), BIS, IF Wing of the Ministry of SSI&ARI, IA(MODN.) in the Office of DC(SSI), Director of Industries of the concerned States, Director, RTC in the Office of DC(SSI) will be Member Secretary. The Committee will approve the proposal to be assisted in future in principle.

The Central Govt. grant-in-aid of the 50% of the value limiting to Rs.45 lakh will be released in two installments of Rs. 22.50 lakh each to the Association/ quality marking center of the concerned State Govt. depending upon the purchase progress made by these Agencies.

The final installment of the Govt. of India approved grant-in-aid limited to maximum of Rs. 5 lakhs and will be released only after the testing laboratory of the Industry Association/ State Govt. obtains accreditation from BIS/NABL/any other reputed international Organisations or their authorized representatives and submits Photostat copies of the accreditation certificate, the details of expenditure etc. duly certified by a Chartered Accountant and submission of utilization certificate on quarterly basis. for the entire amount of grant in aid received by the Association/Quality Marking Center of the State Govt.

The Utilisation Certificate for the last installment of Govt. of India grant-in-aid released to the Association/ State Govt. shall be submitted in the prescribed form GFR - 19 A within a period of one year from the date of release of installment of the Central grant-in-aid.

For inviting applications under the Scheme, the Regional Testing Centre Division at HQ Office of DC(SSI) will advertise in the leading newspapers periodically and send copies of the paper cuttings to all Commissioner/Director of Industries.

Conditions for the release of Funds

Grant-in-aid from the Govt. of India to the maximum amount of Rs.50 lakh or 50% of the cost of the testing machinery and equipments, whichever is less, shall be considered for release if the following conditions are satisfied:

The Industry Association will constitute the Governing Council comprising executive members of the Association. State Government will also be given representation in this Governing Council.

The Industry Association will not dispose of any of the assets created out of the grant-in-aid received from the Central Government without Government's written permission.

In case, the Association fails to abide by this condition, necessary proceedings to recover the same as land revenue will be initiated against it and its office bearers. An undertaking in this regard will be given by the Industries Association in the prescribed form.

The Industry Association/ State Govt. will submit the duly certified Utilisation Certificate to the Directorate of Industries of the concerned State Govt. The Directorate of Industries of the concerned State Govt. after certifying the Utilisation Certificate will forward the same to the Office of the DC(SSI) New Delhi.

Central Government grant-in-aid is only towards the cost incurred for the purchase of testing machinery and equipment and will not be utilized to meet the recurring expenditure or any other expenditure of capital nature.

Duration

The Scheme will be in operation for an initial period of 5 years w.e.f. 2001-2002 and extension thereafter will be decided taking into consideration, the performance of the scheme and its success. After launch of this Scheme, the existing scheme as mentioned will be subsumed in the modified scheme, and shall cease to be in operations.

15 National Small Industries Corporation Ltd

Marketing, a strategic tool for business development, is critical for the growth and survival of micro, small & medium enterprises. Marketing is the most important factor for the success of any enterprise. Large enterprises have enough resources at their command to hire manpower to take care of marketing of their products and services. MSME sector does not have these resources at their command and thus needs institutional support for providing these inputs in the area of marketing.

The broad objectives of the Marketing Assistance Scheme, inter-alia, include:

- 1 To enhance marketing capabilities & competitiveness of the MSMEs.
- 2 To showcase the competencies of MSMEs.
- 3 To update MSMEs about the prevalent market scenario and its impact on their activities.
- 4 To facilitate the formation of consortia of MSMEs for marketing of their products and services.
- 5 To provide platform to MSMEs for interaction with large institutional buyers.
- 6 To disseminate/ propagate various programmes of the Government.
- 7 To enrich the marketing skills of the micro, small & medium entrepreneurs.

The Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, inter-alia, through National Small Industries Corporation (NSIC), a Public Sector Enterprise of the Ministry, has been providing marketing support to Micro & Small Enterprises (MSEs) under Marketing Assistance Scheme. The NSIC was established with a view to promoting, aiding and fostering the growth of micro, small and medium enterprises in the country, with a focus on commercial aspect of their operations. It implements several schemes to help the MSMEs in the areas of raw material procurement, product marketing, credit rating, acquisition of technologies, adoption of improved management practices, etc. The NSIC Schemes are as below.

- Bill Financing
- Working Capital Finance
- Export Development Finance
- Equipment Leasing Scheme
- Raw Materials Procurement Support
- Marketing Assistance Programme and Exports Assistance;
- Stores Purchase Programme
- Single Point Registration Scheme and other services.

16

Khadi and Village Industries Commission and Coir Board

The Ministry of MSME is the nodal agency for coordination and development of khadi and village industries and coir sector. The policies and programmes/schemes related to agro and rural industries are implemented by the Ministry through the Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Coir Board with coopertion and participation by the Reserve Bank of India, nationalised and other schedules baks and the State government. The Ministry implements a credit-linked subsidy scheme called the Prime Ministrer's Employment Generation Programme (PMEGP) with KVIC as nodal agency at the national level and the SFURTI through nodal agency that is KVIC and Coir Board for development of more than 100 clusters to make the traditional industries more productive and competitive and to increae the employment opportunities in the rural areas of the country.

KVIC was established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956, is a statutory organisation engaged in promotion and development of khadi and village industries for providing employment opportunities in the rural areas. KVIC is responsible for the planning, promotion, organisation and implementation of various programmes and schemes. The objectives of the KVIC include providing employment through production of saleable articles and creation of rural community spirit.

Coir Board is also a statutory body, established under the Coir Industry Act, 1953, for the promotion and development of coir industry in India as well as for uplifting the living conditions of the workers engaged in this traditional industry.

7 Important Policies, Regulations and Procedures Governing Foreign Trade

- Customs Act 1962
- Customs Tariff Act 1975
- India Foreign Trade (Development and Regulation) Act (1992)
- Foreign Trade (Regulation) Rules 1993
- Foreign Trade Policy of India 2009 14
- International Trade Agreements
- Foreign Exchange Management Act 1999

Getting IEC Code

Eligibility condition and Legal Provisions are given for IEC Code Number Application in Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993 and Directorate General of Foreign Trade Policy Circular No.15 (RE-2006)/2004-2009 Date: 27th July, 2006).

Broad procedure is as under:

- Application to be made by the Registered/Head Office of the applicant to the nearest Regional Authority of Directorate General Foreign Trade in the 'Aayaat Niryaat Form ANF2A' along with Appendix-18B.
- Application Fee of Rs 250/- has to be paid by Demand Draft or through Electronic Fund Transfer to nominated bank.
- Only one IEC is issued against a single PAN number.
- An IEC number allotted to an applicant is valid for all its branches/divisions/units/factories.

18 Tax Holiday Scheme

Deduction in respect of profits and gains for new MSMEs is available under Sec. 80lB. The deduction allowed is 25% of profits for 10 years. For units in the NE & specified backward States, the deduction allowed is 100% for first five years and 25% for the next five years.

- State Governments offer incentives to MSMEs in respect of Sales Tax. Some give a tax holiday for periods ranging from 5 to 10 years while others offer deferment of tax.

A five year tax holiday has been granted for new industrial undertakings located in all of the North Eastern States, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, Goa and U.T. of Andaman and Nicobar Islands, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Lakshadweep and Pondicherry.

19 Industrial Estate Programme

Industrial Estate Programme in India is perhaps the biggest undertaken by any developing country. The programme started in 1952 when the first such estate was established at Hadapsar in Maharashtra.

The main objective of the programme is to encourage and support the creation, expansion and modernisation of MSME through provision of factory accommodation, common service facilities and assistance and servicing throughout, all stages of establishment and operation and developing sub-contracting relationships within the small scale and large scale industries and specialised manufacturing activities.

Subsequently, the programme has also assumed the role of regional development through provision of built-in factory accommodation with the requisite facilities and services in semi-urban, rural and backward areas.

Apart from the Industrial Estate programmes of the State Government, the Government of India launched its Industrial Growth Centre Scheme and the Export Promotion Industrial Park Scheme which promoted setting up of industrial estates. The Industrial Growth centre has since been discontinued. The Integrated Infrastructre Development Scheme has been launched to set up industrial estates exclusively for MSMEs. It will now also include cases of upgradation of existing estates.

20

Micro, Small and Medium Enterprises Sector: A Profile

Quick Estimate of 4th Census (2006-07)*						
•	Number of MSMEs	26.1 million				
•	Number of Manufacturing Enterprises	7.5 million				
•	Number of Service Enterprises	18.6 million				
•	Number of Women Enterprises	1.9 million (7.4%)				
•	Number of Rural Enterprises	13.5 million (51.8%)				
•	Employment	59.5 million				
•	Per unit employment	5.93				
•	Per unit fixed investment (Registered)	Rs.32.26 lakh				
•	Per unit original value of Plant & Machinery (Registered)	Rs.7.81 lakh				
•	Per unit gross output (Registered)	Rs.45.69 lakh				
•	Employment per one lakh fixed investment (Registered)	0.18				

Revised in August, 2010.

REFERENCES

- 1. Ministry of MSME, A Guide to Self-Employment: Schemes and Programmes of the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, 3rd edition.
- 2. www.dcesme.gov.in
- 3. www.msme.gov.in
- 4. www.planningcommission.nic.in
- 5. www.smeworld.org
- 6. Subrata Chakraborty, *Preparing MSMEs for retail FDI*, www.business-standard.com
- 7. Ramnath Pradeep, "Financing: Customisation Funding...", The Financial Express, 18 January 2013.
- 8. "Small biz loans in poor growth, RBI moves to aid", *The Hindustan Times, 2 January 2013.*
- 9. Cover design, www.google.co.in
- 10. G.Srinivasan, "Dangers posed by FDI in retail" The Hindu Business Line, 20 December 2012.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के लिए गाइडः भारत की नीतियाँ और प्रोत्साहन

भूमिका

देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) के योगदान को मान्यता प्राप्त है। एमएसएमई क्षेत्र देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 45% और विनिर्माण उत्पादन के लिए 30 हजार करोड़ रूपये से अधिक है और निर्यात में 12 हजार करोड़ रूपये से अधिक का योगदान है। यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9% के करीब योगदान है जिसमें आठ हजार से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में एक अनुमानुसार 26.1 मिलियन उपक्रमों में लगभग 59.7 मिलियन लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

भारत का एमएसएमई क्षेत्र उद्यमों, उत्पादों और सेवाओं की विविधता और नियोजित प्रौद्योगिकी स्तर के आकार के संदर्भ में बेहद विषम है। यह क्षेत्र उद्यमशीलता की एक नर्सरी है और अक्सर व्यक्तिगत रचनात्मकता और नवाचार के द्वारा संचालित होता है। एमएसएमई स्पेक्ट्रम के एक छोर पर उच्च अभिनव और उच्च विकास उपक्रम है तो दूसरे छोर पर अधिक से अधिक 94% अपंजीकृत हैं।

लघु उद्योगों में संभावित रोजगार व चुनौतियों का सामना करने की क्षमता को देखते हुए लघु उद्योग मंत्रालय इसके विकास और वृद्धि पर जोर देती है। यह मंत्रालय भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए उनके संवर्धन व विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं, उनके क्रियान्वयन और समन्वय संबंधित निर्माण के लिए नोडल मंत्रालय है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए सभी नीतियों और प्रोत्साहन को इस गाइड में प्रकाशित करके भारतीय लघु और मध्यम उद्योग परिसंघ ने एक प्रयास किया है जिससे इस क्षेत्र के उपक्रमों के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु जिससे भारत की लघु क्षेत्र की नीतियाँ/कार्यक्रमों से उनको लाभ हो।

यह गाइड विभिन्न वेबसाइटों से एकत्र सेकेन्ड्री डेटा पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए पाठक उन वेबसाइटों को पुन: देख सकते हैं।

> **डॉक्टर महेश वाई रेड्डी** महानिदेशक भारतीय लघु और मध्यम उद्योग परिसंघ

मार्च 2013 नई दिल्ली

विषय सूची

1.	परिचय	74			
2.	लघु, सूक्ष्म उपक्रम तथा ग्रामीण नीति विवेचना (६ अगस्त १९९१)				
3.	सूक्ष्म, त	नघु व मध्यम उपक्रम की भूमिका81			
4.	सूक्ष्म, त	नघु तथा मध्यम उपक्रमों पर टास्क फोर्स रिर्पोट83			
5.	प्लॉनिंग	कमीशन एमएसएमई क्षेत्र के लिए पहल86			
6.	प्राईवेट	सैक्टर निवेशः एमएसएमई क्षेत्र के लिए उप-समूह89			
7.	क्रेडिट	संबंधी नीति91			
8.	सूक्ष्म, त	नघु तथा मध्यम उपक्रमों हेतु वित्त92			
9.	एक्सजी	म बेंक उदगार पूर्ण निर्माण स्कीम एसएमई हेतु94			
10.	सिडबी	की प्रोमोशनल तथा विकासात्मक गतिविधियाँ98			
11,	असंगिट	उत क्षेत्र में उपक्रमों के लिए नेशलन कमीशन101			
12.	रिटेलिंग	ा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: उद्यमियों पर प्रभाव102			
13.	विकास	आयुक्त कार्यालय की योजनाएं105			
	(i)	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी)105			
	(ii)	कुटीर एंव लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)106			
	(iii)	प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिड़ी स्कीम (CLCSS)107			
	(iv)	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGMSE)112			
	(v)	ISO9000/ISO14001 प्रमाणन प्रतिपूर्त्ति योजना114			
	(vi)	एमएसएमई निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए)115			

	(vii)	मिनी टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र	.117
	(viii)	उद्यमिता विकास संस्थान को सहायता	118
	(ix)	लघु वित्त कार्यक्रम योजना	.119
	(x)	राष्ट्रीय पुरूस्कार योजना	120
	(xi)	पाँच चयनीत विश्वविद्यालय/कॉलेजों को जो 1200 उद्यमिता प्रतिवर्ष समर्थन योजना	.121
14.	एमएसए	एमई मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएँ	.123
	(i)	सर्वेक्षण, अध्यन और पॉलिसी रिसर्च योजना	125
	(ii)	परिम्पारिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना (SFURTI)	125
	(iii)	उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैंकिजिंग (PRODIP) स्कीम	125
	(iv)	राजीव गांधी मित्र योजना (RGUMY)	126
	(v)	खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना	129
	(vi)	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन योजना (ISEC)	130
	(vii)	एकीकृत संरचना विकास (IID) योजना	130
	(viii)	उद्योग संघो द्वारा परीक्षण केन्द्रो की स्थापना ओर आधुनिकीकरण/गुणवत्ता का विस्तार राज्य सरकारों के केन्द्र चिहिन्त और उनके स्वायत्त निकाओं की योजना	.132
15.	राष्ट्रीय	लघु उद्योग निगम लिमिटेड	.136
16.	खादी व	त्र ग्रामोउद्योग और कोयर बोर्ड	.137
17.	विदेश	व्यपार को शसित के तहत महत्त्वपूर्ण नितियाँ और प्रक्रियाँ	.138
18.	टैक्स हं	ोलीडे स्कीम	.139
19.	औद्योगि	ाक एस्टेट क्रार्यक्रम	.140
20.	सूक्ष्म, त	नघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रः एक प्रोफईल	.141

01 परिचय

अंतर्राष्ट्रीय विपणन और निर्यात

पूरे विश्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम एमएसएमई समान विकास व आर्थिक विकास के इंजन के रूप में स्वीकार्य किया जा चुका है। इस सेक्टर की महत्वपूर्ण विशेषता कम लागत में रोजगार की संभावना है। उच्च उपक्रम की तुलना में इस एमएसएमई की क्षमता अधिक है। प्राय: सभी आर्थिक केन्द्र के रूप में एमएसएमई 90% तकें है। जो तीव्र रोजगार उत्पादन के रूप में तथा उच्च औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात के रूप में प्रसिद्ध है। भारत में भी, एमएसएमई देश के सम्पूर्ण आर्थिक-औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान समय में एमएसएमई ने लगातार उच्च विकास दर हासिल की है। अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक मंदी और कम आर्थिक विकास में भी इस क्षेत्र ने नव ऊर्जा और नये विकासात्मक पक्षों को अपनाया है।

भारत में विशिष्ट सूक्ष्म तथा लघु उपक्रम क्षेत्र ने सतत आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के औद्योगिक उत्पादन में इसका योगदान 45% है। तथा निर्मित उत्पादन में इसका हिस्सा 39000 करोड़ रूपये का है। पूर्ण निर्यात में इसका योगदान 12,000 करोड़ रू॰ है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम लगभग 8000 उत्पादों को बनाता है जो भारत के जी॰ डी॰ पी॰ का करीब-करीब 9 प्रतिशत है। उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार एमएसएमई के चतुर्थ जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 59.7 मिलियन लोग 26.1 मिलियन उपक्रम में फैले हुए हैं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय एक अग्रणी मंत्रालय के रूप में नीतियाँ बनाने, रूपरेखा बनाने, लागू करवाने तथा विकास एवं प्रसार में सहयोग देता है। भारत में इस मंत्रालय ने राज्यों को लघु उद्योग के विकास में अपना सहयोग दिया है। इसने इस उदार आर्थिक नीति में प्रतियोगात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद की है। सूक्षम, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास संस्था ने विविध स्तर की सुविधाएँ, तकनीकी सहायता, मार्केटिंग सहयोग, उपक्रमीक विकास में काफी मदद की है।

02

लघु, सूक्ष्म उपक्रम तथा ग्रामीण उपक्रम की नीति विवेचना (६ अगस्त १९९१)

(क) लघु एवं सूक्ष्म उपक्रम

1.0 भूमिका

- 1.1 लघु उद्योग उपक्रम क्षेत्र ने अस्सी के दशक में एक सक्रीय एवं वैविधतापूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है। साँतवी योजना के समाप्ति के बाद यह लगभग 35 प्रतिशत कुल मूल्य के उत्पादन में योगदान देता है। निर्माण क्षेत्र में तथा देश के कुल निर्यात में 40 प्रतिशत योगदान है। यह 12 मिलियन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।
- 1.2 नब्बे के दशक में इस लघु उद्योग औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नई शक्ति व विकास मंत्र प्रदान करना है तािक वे अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था में योगदान दें। जिससे उत्पादन, रोजगार में वृद्धि तथा निर्यात संभव हो सके। इस क्षेत्र को सामान्यत: लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। दूसरा प्रयास है कि इसे पुर्वज रेगुलेट तथा नौकरशाही से मुक्त कर विकास में बाधक सभी चीजों को दूर करना है तथा लघु एवं नवीन उपक्रम में अधिक विश्वास पैदा करना है।
- 1.3 सभी प्रकार की नीतिगत, अवधारणा तथा प्रक्रिया पर पुर्न विकास तथा जहाँ जरूरी हो बदलाव कर सुनिश्चित करना है ताकि लघु एवं ग्रामीण उपक्रम को कोई नुकसान न हो।

2.0 सूक्ष्म उपक्रम (सूक्ष्मतम उपक्रम)

- 2.1 सरकार ने लघु उद्योग के प्लान्ट तथा मशीनरी में निवेश की सीमा को बढ़ा दिया है इसमें एन्सीलियरी यूनिट तथा निर्यात, संबंधी यूनिट को 6 मिलियन से बढ़ाकर 7.5 मिलियन तथा क्रमश: 200 हजार रू से 2500 हजार रू तक कर दिया है। प्लान्ट और मशनरी के निर्माण निर्धारण की सीमा अभी तक 10 मीलियन रू है। अत्यन्त सूक्ष्म के लिए यह 2.5 मीलियन रू तथा एव एम एस बी ई के लिए 500 हजार रू है।
- 2.2 सेवा उप क्षेत्र एक प्रगतिशील क्षेत्र है तथा इसी रोजगार निर्माण की एकता को देखते हुए अधिक मदद की जरूरत हैं इसलिए औद्योगिक आधारित सेवा तथा व्यापार उपक्रम को लघु उद्योग के रूप में पहचान व निवेश सूक्षम उपक्रम की तुलना में समानुपातिक है।
- 2.3 एक अलग पैकेज इस सूक्षम उपक्रम के विकास के लिए शुरू किया गया है। यह सरकार की नई नीति को दर्शाता है।
- 2.4 जबिक लघु उद्योग क्षेत्र (सूक्ष्म उपक्रम के अलावा) मूलरूप से एक बार लाभ के सुलभ है। जैसे जमीन निर्धारण में वरीयता देना, बिजली कनेक्शन, कार्यकुशलता तथा तकनीक पुर्नरोद्धार की सुविधा देना। सूक्ष्म उपक्रम निरन्तर अधिक सहयोग के योग्य होगे। औद्योगिक वित्तीय सहायता, सरकारी क्रमनीति में प्राथमिकता तथा श्रम नियमों में छूट जैसे सहयोग शामिल हैं।

2.5 यह निर्णय लिया जा चुका है कि नेशनल इक्वीटी फंड स्कीम के दायरे का विस्तार किया जायेगा जिससे 1 मिलीयन रू इक्वीटी सहयोग जैसे प्रोजेक्ट सीमा में आ जाए करीब (15 प्रतिशत, एकल विन्डो ऋण स्कीम को बढ़ाया गया है जिससे लागत कार्यशील पूंजी करीब 2 मिलियन रू तक आ जाए और कार्यशील पूँजी का मार्जिन 1 मीलियन रू की सीमा तक रहे। कम्पोजिट लोन एकल विन्डो स्कीम अब केवल राज्य फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (एस. एफ. सी.) के द्वारा ही उपलब्ध है तथा दोनों कार्य राज्य लघु औद्योगिक विकास निगम एम॰ एस॰ एम॰/ ई॰ डी॰ वि॰ एस॰ कार्मिशयल बैंको की मदद से चैनेलाइज्ड किया जायेगा। यह अधिक संख्या में उपलब्ध उपक्रमों की मदद करेगा।

3.0 वित्तीय सहायता मापदंड

- 3.1 क्रेडिट की अनुपलब्धता लघु समय व दीर्घ अवधि दोनों में ही लघु उद्योग के लिए एक समस्या है। सबसिडाइज्ड/चीप क्रेडिट पर अब विशेष जोर देना कुछ विशेष लक्ष्य समूह को छोड़कर तथा यह भी प्रयास करना चाहिए कि समुचित क्रेडिट फ्लो और डेलीवरी में गुणवत्ता सामान्त: बना रहे। इस क्षेत्र के विस्तृत संचालन हेतु इसकी आवश्कता है। एक विशेष निगरानी एजेंसी स्थापित करने की जरूरत है ताकि लघु उद्योग क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को समझ सके।
- 3.2 पूँजी बाजार की सुगमता और इसकी आधुनिकरण व तकनीकी सुधार के लिए अन्य औद्योगिक अधिग्रहण की इस क्षेत्र में (एम. एस.एम.ई) शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। शेयरधारकों की सीमा 24 प्रतिशत से अधिक न हो सके। यह एक शक्तिशाली एन्सीलरआईजेशन और सबकौनट्रैक्टींग को बढ़ावा देगा जिससे रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी होगी।
- 3.3 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रेग्युलेटरी प्रोविजन प्रबधंन के संदर्भ को उदार किया गया है। एक लिमिटेड पार्टनरिशप एक्ट लघु उद्योग क्षेत्र में लागू किया जायेगा ताकि रिस्क कैपिटल की उपलब्धता को बढ़ावा दे सके। इस प्रकार के अधिनियम वित्तीय जिम्मेदारी को सीमित करेगा जो नये अक्रिय पार्टनर/उपक्रम पुँजी निवेश करना चाहते हैं।
- 3.4 लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) द्वारा उद्योगों की स्थापित करने तथा दीर्घ समय तक न भुगतान जैसी समस्याओं के समाधान की शुरूआत की जा चुकी है। पूरे देश में इस प्रकार का नेटवर्क स्थापित किया जायेगा और व्यावसायिक बैंको के द्वारा संचालन किया जायेगा। लघु उद्योगों को तुरन्त भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल अध्यादेश लाया जायेगा।

4.0 ढाँचागत सुविधाएँ

- 4.1 ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना तथा कृषि और उद्योग के बीच मजबूत कड़ी हेतु एक नई स्कीम इंटिगरेटेट इंफ्रास्टकचरलॅ (तकनीकी बैकअप सेवा सहित) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए लागू किया जायेगा जिसमें राज्य सरकारें तथा वित्तीय संस्थानों की सिक्रिय भागीदारी होगी।
- 4.2 लघु उद्योग विकास संस्थाओं में एक तकनीकी विकास सैल (टी.डी.सी.) स्थापित किया जायेगा जो लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पाद की गुणवत्ता व प्रतियोगी में तकनीकी सहयोग करेगा। टी.डी.सी टूलरूम, प्रेसकम प्रोडक्ट विकास केन्द्र (पी.पी.डी.सी) में समन्वय स्थापित करेगा जो पूर्व तथा एस.आई.डी.ओ. के अधीन स्थापित होगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य औद्योगिक शोध व विकास संस्थाओं से भी बातचीत करेगा।

- 4.3 लघु उद्योग क्षेत्र को परम्परागत व आयातित कच्चे माल की पर्याप्ता तथा समान वितरण को सुनिश्चित करना विशेष कर सूक्ष्म उपक्रम क्षेत्र की। इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए जो किसी दूसरे नये यूनिट की स्थापना के खिलाफ न हो। जरूरत पर अधिक सूक्ष्म/लघु उद्योगों की परम्परागत कच्चे मालों के पुर्निनिर्धारण में प्राथमिकता देनी चाहिए।
- 4.4 जिला के स्तर पर एक संपूर्ण इन्सेंटिव पैकेज व सेवाओं की सही व समुचित व्यवस्था को इजाद करना व लागू करना आवश्यक है।

5.0 मार्केटिंग और निर्यात

- 5.1 विस्तृत घरेलू बाजार के होने के बावजूद लघु तथा सूक्ष्म उपक्रमों के लिए मार्केटिंग एक समस्या है। व्यवास्थित के द्वारा बहु उपभोक्ता श्रमिक सिक्रय उत्पाद की बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म/लघु उद्योग इस बाजार के कुछ अंश ग्रहण करने में असमर्थ है। वर्तमान में संचालित सहयोग व्यवस्था के अलावा मार्केट प्रामोशन में सहकारिता/पब्लिक सेक्टर उपक्रम, अन्य विशेषज्ञ पेशेवर मार्केटिंग एजेंसी तथा कनर्सेटिया अप्रोच जैसे जरूरी इन्सेंटिव से युक्त होंगे।
- 5.2 एक संयुक्त ब्रॉंड नाम के तहत बहु उपभोक्ता वस्तुओं को राष्ट्रीय लघु औद्योगिक कॉरपोरेशन (एन.एस.आई.सी) के द्वारा केन्द्रीकृत किया जायेगा।
- 5.3 सरकार ने दीर्घ लघु व मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की पहचान की है जिसमें उत्पादन में प्रसार एवं विस्तार की आवश्यकता है। पार्ट, कम्पोनेंट, सह एसेंबल आदि में दीर्घ प्राईवेट व पिल्लिक क्षेत्र को उत्पादन में बढ़ावा देने की जरूरत है जिसे लघु स्तरीय एन्सीलियरी यूनिट को आर्थिक तथा नकनीकी सहायता मिल सके। औद्योगिक संगठन को बढ़ावा मिले जिससे सब-कोंटेंक्टींग बदलाव समस्त किया जा सके। प्रतियोगिता कम्पोनेंट बाजार को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।
- 5.4 जबिक आंतरिक व बाह्य दानों क्षेत्रों के निर्यात में लघु उद्योग महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है फिर भी बहुत बड़ा भाग अभी बाकी है। ए. आई. डी. ओ. को एक नोडल ऐंजेंसी के रूप में पहचान किया गया है जो लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात में बढ़ावा देगा। निर्यात विकास केन्द्र एस. आई. डी. ओ. में स्थापित होगा जो लघु उद्योग को मदद करेगा। पूरे नेटवर्क औद्योगिक के द्वारा निर्यात गितविधियों को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।

6.0 आधुनिकीकरण, तकनीकी व गुणवत्ता सुधार

- 6.1 लघु उद्योग क्षेत्र में राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय मानक के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन में लाया जायेगा।
- 6.2 औद्योगिक संघ को बढ़ावा व सर्मथन मिलेगा साथ ही कांउसलिंग व गुणवत्ता जाँच सुविधाएँ स्थापित किया जायेगा। तकनीकी सूचना केन्द्र आधुनिक ढ़ग की तकनीकी व बाजार संबंधी सूचना हेतु स्थापित किया जायेगा।
- 6.3 जहाँ गुणवत्ता में कमी व मानकता के अनुरूप नहीं होगी जो मानव जीवन तथा जनस्वस्थ्य के लिए खतरा होगा तो अनिर्वाय गुणवत्ता कंट्रोल को लागू किया जायेगा।

- 6.4 आधुनिकरण व तकनीकी पुर्नरूद्धार प्रोगाम का लक्ष्य उत्पान में वृद्धि, प्रभावी व लघु उद्योग में कम लागत का बढ़ाना है। विशेष उद्योगों को दीर्घ निगरानी कलस्टर में चिन्हित किया जायेगा जो सिडबी और अन्य बैंको से जुड़ा होगा। इस प्रारूप को शिक्षण व्यापारिक सुलभता, आधुनिकीकरण को स्थापित करने में मदद देगा तथा वित्तीय मदद की जायेगी इस प्ररूप के उद्योगों के अधुनिकीकरण हेतु।
- 6.5 इंडियन इस्ट्रीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आई.आई.टी.) व अन्य चुने हुए क्षेत्रीय व अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज तकनीकी सूचना, डिजाइन तथा विकास केन्द्र को उनके अधीन क्षेत्र में सहयोग करेगी।

7.0 उपक्रम विस्तार

- 7.1 सरकार प्रथम पीढी के उपक्रमों को लगातार ट्रेनिंग के द्वारा सहायता करती रहेगी। वृद्धि पैमाने पर ई.डी.पी. ट्रेनर तथा मोटिवेटर को तैयार किया जायेगा जिसमें उपक्रम विस्तार को बढ़ावा मिल सके। औद्योगिक संघ को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इस प्रकार की गतिविधियों में पुर्ण तरीके से भाग ले सके।
- 7.2 वोकेशनल व अन्य प्रकार के कोर्सेज में ई. डी. पी. को तैयार किया जायेगा।

8.0 नियम व प्रावधानों का सरलीकरण

- 8.1 लघु स्तरीय यूनिट में लगातार कम्प्लेंट बड़े पैमाने पर नियम व कानून का विषय है। जिसमें अधिक रिकार्ड व रिर्टन को रखा जाय विशेषरूप से तीन महीने के भीतर इसकी जाँच हो सके।
- 8.2 तरीके को सरल बनाया जायेगा। नौकरशाही कंट्रोल प्रभावी रूप से कम किया जायेगा। गैर जरूरी दखलंदाजी को खत्म किया जायेगा तथा कागजी कार्य को कम से कम किया जायेगा ताकि उपक्रम उत्पादन व मार्केटिंग कार्य पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

बी, ग्रामीण उद्योग

9.0 हैन्डलूम सेक्टर

- 9.1 हैन्डलूम सेक्टर देश के कुल उत्पादन में 30 प्रतिशत का योगदान देता है। सरकार की यह नीति है कि हैन्डलूम को बढ़ावा मिले जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिले तथा हैन्डलूम बुनकरों के जीवन में सुधार हो सके।
- 9.2 हैन्डलूम सेक्टर के लिए स्कीम को पुर्न विचार किया जायेगा ताकि क्षेत्रीय तथा लोकल जरूरतों को पूरा किया जा सके। पहुँच में आने वाली अड़चनों को दूर किया जायेगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो बाह्य तथा सरकारी क्षेत्र में हैं उन्हें शामिल किया जा सके।
- 9.3 वर्तमान में चल रहे स्कीम को पुर्न निर्मित व तीन मुख्य रूपों में उसी अनुरूप में बदला जायेगा।
 - (ए) प्रोजेक्ट पैकेट स्कीम के तहत उत्पादन हेतु क्षेत्र आधरित प्रोजेक्ट तकनीकी परिवर्तन, मार्केटिंग सुविधाओं में सुधार को लागू किया जायेगा।

- (बी) वेल्फेयर पैकेज स्कीम- बहुत सारी वेल्फेयर स्कीम तथा फंड की उपलब्धता को स्थापित किया जायेगा।
- (सी) संगठनात्मक विकास पैकेज- शेयर बाजार में भागेदारी योजनाओं को चालू किया जायेगा जिससे संस्थानात्मक विकास पैकेज के तहत होगा जिससे उपयुक्त प्रबंधन प्रणाली वर्तमान राज्य ऐजेन्सी के अनुरूप कार्य कर सकें।
- 9.4 जनता क्लॉथ स्कीम जो बुनकरों को निम्नतम जीवन स्तर को चलाने में मददगार होगा को धीरे धीरे खत्म किया जायेगा तथा आठँवी योजना के तहत ऑक्नीबस प्रोजेक्ट पैकेज स्कीम के द्वारा जोड़ा जायेगा तथा उपयुक्त वित्तीय मदद व लाभ के आधुनिकीकरण के लिए ट्रैनिंग के लिए, अच्छे डिजाईन के लिए, अच्छे डाईज व रसायिनक तथा मार्केटिंग सहयोग के लिए दिया जायेगा।
- 9.5 नेशलन हैन्डलूम विकास कॉरपोरेशन के कार्य को बढ़ावा मिलेगा जो एक नोडल ऐजेन्सी के रूप में होगी, हैंक्ययार्न की सप्लाई बढ़ाने में तथा केमिकल व डाइज के बढ़ाने में कार्य करेगी। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिक सहयोग प्रदान करेगा। सीड मनी के रूप में जो काटन (सूत निर्माता) तथा बुनकर स्पीनिंग मिल के लिए।
- 9.6 हैन्डलूम उत्पाद के बाजार को बढ़ाकर स्कीम को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद सुधार व डिजाईन, एक्सीविशन तथा डिजाइन की तथा विज्ञापन को ध्यान में रखा जायेगा। हैन्डलूम बुनकरों को शिक्षित करने के लिए एक विशेष स्कीम बनाएगा जो प्राय: कम मूल्य के वस्तुएँ को उच्च मूल्य उत्पाद के निर्यात बाजार के लिए होगा। यह अच्छी डिजाइन इनपुट के द्वारा, तकनीकी सुधार द्वारा बुनकारों सूत से सिल्क की ओर झुकाव तथा टेशर बुनकरी के लिए होगा। लूम उत्पाद के आधुनिकीकरण तथा उपयुक्त निर्यात हेतु एक विशेष प्रोजेक्ट की क्रियान्वित किया जायेगा।

10.0 हैन्डीक्रॉफ्ट सेक्टर

- 10.1 हैन्डीक्रॉफ्ट का मुख्य क्षेत्र जो ग्रामीण औद्योगिकरण उत्पादन और मार्केटिंग में मदद करेगा। ट्रैनिंग, डिजाईन विकास, उत्पादन व मार्केटिंग सहयोग के लिए स्कीम को लागू किया जायेगा जिससे उत्पादन बढ़ सके।
- 10.2 इस क्षेत्र के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए जो रोजगार व निर्यात की दुष्टि से जरूरी है यह प्रस्तावीत किया जाता है कि उत्पादन आधार को बढ़ाने हेतु समुचित विकास प्रहार पर बल दिया जाए। जिससे क्रॉफ्ट के जिरए आय व रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, अधिक गतिविधियों तथा जरूरी इनपूट प्रदान कर गुणवत्ता सुधार को जिससे देश व विदेशों में प्रभावी माकेटिंग संभव हो सके बाजार सहायता क्रॉफ्ट के पंरापरिक तरीकों को बचाने का प्रयास होगा लेकिन पीढ़ीगत गुण जो क्रॉफ्ट जन के पास है उनको बाजार आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बदलाव करें।
- 10.3 निम्नलिखित बिन्दुओं पर बल दिया जाएगा:
 - सेवाओं में बढ़ोतरी जैसे कच्चे माल की सप्लाई, डिजाइन तकनीकी सुझाव, बाजार सहायता, प्रशिक्षण तथा संबंधित मैटिरीयल/इनपूट का ग्रहण जो समुचित व क्षेत्र आधारित हो जिसे क्रॉफ्ट विकास केन्द्र स्थापित कर तथा गॉवों का कल्स्टर की पहचान कर किया जायेगा।

- मार्केट विकास सहयोग पैकेज सहायता के रूप में मार्केटिंग आधारभूत ढाँचा के विस्तार, प्रर्दशनी, विज्ञापन आदि के लिए जो केन्द्रीय व राज्य हैन्डीक्रॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा प्रत्यक्ष मार्केटिंग गतिविधियों की स्वैच्छिक संस्थाओं व हथकरों द्वारा किया जाएगा।
- प्रशिक्षण गतिविधियों में राज्य हैन्डीक्रॉफ्ट विकास कॉरपोरेशन, सहकारिता तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक से अधिक शामिल किया जाए।
- हैन्डीक्रॉफ्ट के निर्यात बढ़ोतरी को बनाये रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। नये मार्केटिंग चैनल के द्वारा जिसमें ट्रेडिंग कम्पनी, डिपार्टमेंन्टल स्टोर आदि शामिल हो।

11.0 अन्य ग्रामीण उद्योग

- 11.1 सरकार ने ग्रामीण व कुटीर उद्योग की बढ़ोतरी की आवश्यकता समझी है जिससे अधिक से अधिक रोजगार अवसरों को बढ़ावा मिले।
- 11.2 खादी तथा ग्रामीण उद्योग कमीशन की गतिविधियों तथा राज्य खादी व ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड व संस्थाओं का विस्तार होगा जो अनेक उत्तरदायित्वों को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करेगा।
- 11.3 गुणवत्ता सुधार व उत्पादन के बाजारीकरण हेतु विशेष जोर दिया जायेगा जिसमें ग्राहकों के अनकूल होगा न कि छूट और सब्सिडी पर केन्द्रित होगा।
- 11.4 जबिक ग्रामीण उद्योगों की नीति उपलब्धता पर बल होगा। परन्तु अधिकतम क्रेडिट फ्लो हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेगें। वित्तीय संस्थाओं से क्रेडिट फ्लो को अधिक सहयोगात्मक तथा विभिन्न विकास स्कीमों का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ऐजेन्सियों का उपयुक्त इस्तेमाल किया जाय। प्रोजेक्ट का इस क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान की जाए।
- 11.5 खादी व ग्रामीण उद्योग का गहन विकास प्रोग्राम जो क्षेत्रीय पहुँच तथा डी आर डी ए (DRDA) ट्राइसंम (TRYSAM) तथा अन्य चालू विकास प्रोग्राम से जोड़ा जाय जिससे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं की स्थिति में सुधार आये।
- 11.6 परम्परागत ग्रामीण उद्योगों को विशेष महत्त्व मिलेगा। परम्परागत व विकास स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल कर उनको विशेष उत्साहवर्द्धन किया जायेगा।
- 11.7 के वी आई (KVI) क्षेत्र में एग्रो कृषि प्रसंस्करण व खाद्य उद्योग को उपयुक्त तकनीकी सुविधाओं से युक्त बनाकर बढ़ावा दिया जायेगा ताकि क्षेत्रीय कृषि आधारित उत्पाद का प्रयोग होगा तथा देश में ही रोजगार व स्त्रोत उत्पादन संभव हो सके।
- 11.8 फन्कशनल औद्योगिक एस्टेट को इस क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा जो कृषि व हॉर्टीकल्चर उत्पाद पर केन्द्रित हो।
- 11.9 रिसर्च व विकास (R&D) के वी आई (KVI) क्षेत्र में मजबूत किया जायेगा। जिसे C.S.L.R (सी एस आई आर) से अधिक जोड कर व इस क्षेत्र के अलग अनुसंधान संस्थाओं से <mark>जोड़ा जायेगा। ताकि इसके उत्पादन फीनिशिंग, पैके</mark>जिंग, प्रोशेस विकास में नये औजारों को लागू किया जा सके।
- 11.10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत व तर्कशील बनाया जायेगा ताकि (के. वी. आई. सी.) के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को बढावा मिले।

03 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम की भूमिका

वैश्विक स्तर पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों को विकास के इंजन के रूप में पहचान है। इस क्षेत्र की विशेषता कम लागत निवेश, लचीलापन, लोकेशन वाइज मोविलिटी तथा आयात सबसिटीच्यूशन है। भारत में प्रथम कॉप्रीहेन्शिव अध्यादेश सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास एक्ट 2006 (MSMED Act 2006) है। जो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों की विस्तृत उपक्रमों तक पहुँच रखता है। इस एक्ट में मध्यम क्षेत्र तक पहुँच रखता है। इस एक्ट में मध्यम क्षेत्र व सूक्ष्म उपक्रमों को पहली बार परिभाषित किया गया है। उद्योगों के सिद्धान्त को भी उपक्रम तक विस्तृत किया गया है। उपक्रमों का विस्तृत रूप में दो भागों में बाँटा गया है उपक्रम जो निर्माण/उत्पादन में शामिल है किसी भी उद्योग के लिए तथा उपक्रम को प्लॉन्ट व मशीनरी में निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जो भूमि व निर्माण में छोड़ कर है। एम एस एम ई 2006 (MSME ACT 2006) के अनुसार इन उपक्रमों को दो भागों में बाँटा गया है जो तीनों सेग्मेंट को शामिल किये हुए है—

- (अ) निर्माता उपक्रम- उपक्रम जो वस्तुओं के निर्माण व उत्पादन में शामिल हैं यह किसी भी उद्योग के लिए है जो प्रथम निर्गत औद्योगिक (विकास एवं अधिनियम) एक्ट 1951 में दर्ज है। प्लांट और मशीनरी में निवेश के रूप में निर्माण उपक्रम को परिभाषित किया जाता है।
- (ब) सेवा उपक्रम- उपक्रम जो सेवा क्षेत्र में शामिल है तथा इक्यूपमेंट में निवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है प्लॉन्ट और मशीनरी/इक्यूपमेंट में निवेश की सीमा जो निर्माण सेवा उपक्रम हेतु अधिसूचित है वह S.0 1642 दिनांक 29.09.2006 के अधीन है जो इस प्रकार है:

मैन्युफैक्चरींग सेक्टर	
उपक्रमों	प्लांट व मशीनरी में निवेश
सूक्ष्म उपक्रमों	रू 25 लाख से अधिक
लघु उपक्रमों	रू 25 से अधिक किन्तु रू 5 करोड़ से अधिक न हो।
मध्यम उपक्रमों	रू 5 करोड़ से अधिक किन्तु रू 10 करोड़ से अधिक न हो।
सेवा क्षेत्र	
उपक्रमों	इक्यूपमेंट में निवेश
सूक्ष्म उपक्रमों	रू 10 लाख से अधिक न हो
लघु उपक्रमों	रू 10 लाख से अधिक किन्तु रू 2 करोड से अधिक नहीं।
मध्यम उपक्रमों	रू 2 करोड़ से अधिक किन्तु रू 5 करोड़ से अधिक न हो।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम की भूमिका

नये उपक्रमों को शुरू से ही चिन्हित किया जा चुका हो। यह इसलिए है कि अधिकतर उपक्रमों को शुरू करने वाले अपने व्यवसाय सूक्ष्म यूनिट के रूप में शुरू करते हैं जो उनके वृद्धि एवं निवेश को बढ़ाने का अवसर देते हैं। अपने विचारों को प्रयोग करके नये रूप देने व बदलने में मदद करते हैं। जो वस्तुओं और सेवाओं को पोषित कर अन्तत: मध्यम यूनिट के रूप में विकसित होते हैं।

विगत कई वर्षों से भारत में एम. एस. एम. ई. (MSME) सामान्य उपभोगता वस्तुओं को लेकर बहुत ही उत्कृष्ट वस्तुओं के निर्माण में अपना विकास किया है। जैसे इलेक्ट्रानिक कंट्रोल सिस्टम, माइक्रोवेव कम्पोनेंट, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्यूपमेंट आदि।

आर्थिक उदारीकरण व बाजार सुधारों की प्रक्रिया ने इन उपक्रमों को घरेलू व वैश्विक स्तर पर प्रतियोगितात्मक बना दिया है। इसके लिए जो मुख्य चुनौती है वह यह है कि क्षेत्र का विकास कलस्टर स्तर तक पहुँच सके। परिणाम स्वरूप, प्राइवेट व पब्लिक क्षेत्र की संस्थाएँ जो राज्य व केन्द्र स्तरीय है ने क्लस्टर विकास के शुरूआत में शामिल हैं।

कलस्टर को क्षेत्रीय व भौगोलिक उपक्रमों की संस्तुति के रूप में परिभाषित किया जाता है। विशेषकर, लघु व मध्यम उपक्रमों जो सामान्य अवसरों व भय जो बाहरी आर्थिक बढ़ोतरी से संबंध है जो संकट में विशेषज्ञ तकनीकी, प्रशासनिक व वित्तेय सेवाएँ से संबंध है। जो विकास के लिए अनुकूलवातावरण बनाने, आंतरिक सहयोग, क्षेत्रीय उत्पादन को बढ़ावा, नई सोच तथा सामुहिक ज्ञान के लिए आवश्क है। कलस्टिरंग एवं नेटवर्किंग ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों को प्रतियोगितापूर्ण बनाने में मदद की हो, भारत में करीब 400 MSME कलस्टर तथा 2000 आर्टिशन कलस्टर हैं।

यह अनुमान है कि कलस्टरों का विनिर्माण व निर्यात का भारत में 60 प्रतिशत योगदान है। लगभग सम्पूर्ण जेम और ज्वैलरी निर्यात सूरत और मुम्बई के कलस्टर के कारण नहीं है। कुछ एमएसएमई कलस्टर इतने बढ़े है कि वे भारत के कुल चुनिंदा उत्पादन के 90 प्रतिशत तक हैं जैसे कलस्टर चेन्नई, आगरा तथा कलकत्ता (लेदर) चर्म व चर्म उत्पाद के लिए विख्यात हैं।

सरकार इस क्षेत्र को नीतियों द्वारा प्रोत्साहन व सर्मथन दे रही है जैसे आधारभूत ढ़ाँचागत सहयोग, तकनीकी पुनरोद्धार, क्रेडिट में महत्व उत्पादों का आरक्षण विशेष, इसी क्षेत्र के निर्माण हेतु क्रय में विशेष वरीयता देना आदि प्रमुख हैं। ये पैकेज और स्कीम व पुरूस्कार विशेष संस्थाओं के द्वारा प्रदान कर रही है। वित्तीय सहयोग दे रही है मार्केटिंग मदद, तकनीकी सुझाव, ट्रेनिंग तथा तकनीकी पुनरोद्धार जैसे कार्य शामिल है।

04 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों पर टॉस्क फोर्स रिपोर्ट

प्रधानमंत्री के प्रधान सिचव की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स का गठन किया था एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाने के लिए। जैसा कि भारत में एमएसएमई क्षेत्र बहुत ही हेटेरोजिनियश स्थित में है अपने आकार में, अपने बहु उत्पादों में, सेवाएँ देने में तथा जिस प्रकार की तकनीकी विद्यमान है। जबिक एक तरफ एमएसएमई बहुत ही नवीनतम तथा बहुत ही विकासोन्मुख उपक्रम है जिससे 90 प्रतिशत से अधिक डैडम् का रिजस्ट्रेशन नहीं है। अधिकतम संस्थाएँ अनॉयमानीक व असंगठित क्षेत्र में है। इस क्षेत्र की विकास संभावनाओं के बाबजूद इस क्षेत्र का निर्माण एवं मूल्यांकन क्रम में प्रमुख भूमिका है। हेटेरोजेनिटी तथा असंगठित प्रकृति के भारतीय एमएएमई का महत्वपूर्ण योगदान है। जिसे नीति निर्धारण तथा प्रोग्राम को लागू करने में जरूरत है। टॉस्क फोंस के अनुसार एमएसएमई निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं को संक्षेप में बताया जा रहा है:

- यथोचित और समयबद्ध क्रेडिट की कमी
- क्रेडिट का अधिक मूल्य
- कोलेटरल आवश्यकताएँ
- इक्वीटी पूँजी में सीमित पहुँच
- सरकारी विभागों तथा एजेंसियों की सप्लाई में समस्या
- प्रतियोगी मूल्य पर कच्चे माल का ग्रहण करना
- रखरखाव, डिजाइनिंग, पैकेजिंग तथा उत्पाद प्रदर्शन की समस्या
- ग्लोबल बाजार में पहुँच कम
- आधारभृत ढाँचा में कमी, बिजली, पानी व सडक आदि की सुविधाओं में कमी होना
- निम्न तकनीकी स्तर तथा आधुनिक तकनीकी का कम इस्तेमाल
- कुशल श्रम की कमी निर्माण में, मार्केटिंग तथा सेवाओं में
- लेबर कानून की अधिकता तथा बहुत ही जटिल प्रक्रिया इन नियमों को मानने में
- उपयुक्त उपायों की कमी जो इन बीमार उपक्रमों को तुरन्त सुधार कर सके तथा पूर्णत: सूक्ष्म उपक्रमों की तुरन्त बन्द कर सके।
- प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की समस्याओं तथा प्रविधि।

पिछली कई सिमतियाँ/शैक्षणिक समूहों ने एमएसएमई की समस्यों पर ध्यान केन्द्रित किया है। इनमें प्रमुख हैं:

 संस्थागत क्रेडिट को जाँचने की सिमिति विशेषकर एसएसएमई क्षेत्र में श्री पी. आर. नायक की अध्यक्षता में उप राज्यपाल (1991)।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों पर टॉस्क फोर्स रिपोर्ट

- 2. लघु उपक्रम, विशेषज्ञ समिति श्री अबिद हुसैन की अध्यक्षता में, सदस्य पूर्व, प्लानिंग कमीशन (1995)।
- 3. एस.एस.आई क्रेडिट हेतु उच्चस्तरीय सिमिति श्री एस. एल. कपूर की अध्यक्षता में, सदस्य बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीयल एन्ड फाइनाशियल रिकस्ट्रक्शन (BIR), पूर्व सिचव/SSI तथा ARI भारत सरकार (1998)।
- 4. 'लघु उद्योगों' के विकास हेतु शैक्षणिक ग्रुप डॉ॰ एस. पी. गुप्ता की अध्यक्षता में तत्कालीन सदस्य प्लॉनिंग कमीशन (1999)।
- 5. 'कार्यशील समूह एस.एस.आई' के क्रेडिट फ्लो हेतु डॉ॰ ए. एस. गांगुली की उध्यक्षता में (2003)।
- 6. कार्यशील समूह बीमार एस . एम. आई. (SMES) के जीर्णोद्धार हेतु डॉ के. सी. चक्रवर्ती तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (2007)।

सरकार ने विशेषकर असंगठित क्षेत्र में (NCEUS) 'राष्ट्रीय उपक्रप कमीशन' की स्थापना 2004 में की तािक असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों की समस्याओं की पड़ताल की जा सके तथा एक यथोचित सुधार को लागू की जाए जिससे तकनीकी मार्केटिंग, क्रेडिट सहयोग इन उपक्रमों को मिल सके। एन. सी. इ. यू. एस ने ग्यारह रिर्पोट प्रस्तुत की है।

टॉस्क फोर्स ने सभी समान इश्यू को 6 प्रमुख वर्गो में रखा है तथा अलग से उपसमूह का गठन किया है तािक इसकी विस्तृत पड़ताल की जाये। प्रासंगिक क्षेत्र है (1) क्रेडिट, (2) मार्केंटिंग, (3) श्रम, (4) पुर्नरूद्धार तथा निर्गत नीित, (5) आधारभूत ढ़ाँचा, तकनीक तथा स्कील विकास, (6) कर ढांचा हेतु एक अलग उपसमूह भी गठित किया गया है जो उत्तर पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर के एम.एस.एम.ई. के विकास को देखेगें। सभी उपसमूह ने विशेष प्रावधानों की पड़ताल की है। अधिक मीटिंग तथा उन शेयरधरकों से विस्तृत विचार विमर्श करके जिसमें संगठन एमएसएसई संगठन शामिल है अपनी रिर्पोट टॉस्क फोर्स को जमा कर चुके हैं। पहले की समितियों के सुझावों जिसमें कार्यशील समूह व शैक्षणिक समूह शामिल है, के प्रमुख सुझावों जो अभी के संदर्भ में प्रासंगिक हैं को टॉस्क फोर्स तथा उपसमूह ने मान लिया है।

टॉस्कफोर्स के सुझावों का सार

निम्नलिखित उपायों व सुझावों की एम.एस.एम.ई. के मदद तथा स्थायित्व के लिए सुझाया गया है विशेषकर वर्तमान अर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए:

(अ) तत्कालिक उपाय:

- 1. सरकार को एम.एस.एम.ई. के बढ़ावा देने के लिए पैकेज को एक साल के लिए बढ़ा देना चाहिए कम से कम 31 मार्च 2010 तक।
 - 2. सरकार को तय लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। व्यावसयिक बैंको को सूक्षम उपक्रमों हेतु (20 प्रतिशत वार्षिक विकास दर सूक्ष्म व लघु उपक्रमों को साथ ही 60 प्रतिशत सूक्ष्म उपक्रमों को)
 - 3. कुछ किमयों को देखते हुए यदि संभव हो तो, व्यावसायिक बैंको द्वारा तय एम.एस.ई. लिक्षित क्रेडिट के अनुरूप सिडबी (SIDBI) के साथ एक अलग फंड बनाये। इसका नाम सूक्ष्म उपक्रमों हेतु विशेष फंड रखा जाय जिसका उपयोग सिर्फ सूक्ष्म उपक्रमों के विकास व उपयोग के लिए हो।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों पर टॉस्क फोर्स रिपोर्ट

- 4. एक पब्लिक उर्पाजन नीति जैसा कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास एक्ट 2006 में है, को जल्दी लागू किया जाए। इस प्रकार की नीति को लागू करना ताकि सरकारी विभागों एवं पी. एस. यू तक सीमित समय में पहुँच सके। कम से कम 20 प्रतिशत का लक्ष्य वार्षिक क्रम में सूक्ष्म तथा लघु उपक्रमों (MSEs) के लिए निर्धारित हो तथा उसे वार्षिक रिर्पोट में शामिल करने का निर्देश दिया जाय।
- 5. सरकार की ऑफसेट नीति, विशेषकर रक्षा एवं उड्डयन क्षेत्रों में डैडम् को प्राथमिकता दी जाय। [संदर्भ अध्याय XIII पैरा (9)] रक्षा उत्पादन संचिवों, MSME एवं नागरिक उड्डयन एवं रक्षा अधिकारियों, रक्षा पी. एस. यू को भी इसमें शामिल किया जाए।
- 6. आधारभूत ढ़ाँचा निर्माण व संस्थागत स्थापना हेतु सरकार को अतिरिक्त पब्लिक खर्च को करीब रू 5,000- रू 5,500 करोड़ भी उसे 5 साल के लिए करना चाहिए विशेषकर इस प्रकार के फंड का उपयोग।
 - (क) राज्य में पुर्ननिवेशन (पुर्न प्रतिष्ठापन) की स्थापना में सहयोग ताकि संभावित बीमार इकाई को ठीक कर सके।
 - (ख) एम.एस.एम.ई को सहयोग देना कि आधुनिक स्वच्छ तकनीक की प्राप्ति हो तथा तकनीकी बैंक एवं उत्पाद केन्द्रित तकनीकी विकास केन्द्र की स्थापना हो सके।
 - (ग) प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक सेवा भी सुलभ हो।
 - (घ) विद्यमान औद्योगिक संस्थाओं का पुर्नरूद्धार तथा एम.एस.एम.ई क्षेत्र हेतु नये आधारभूत ढाँचा का विकास करे जिससे शहरी प्रशासनिक उपायों द्वारा स्थायी समृद्ध हो।
 - (ङ) जिला स्तरीय औद्योगिक केन्द्र को मजबूत करे, पूर्व यांत्रिकृत को, ताकि वे अधिक से अधिक सिक्रय कार्य कर सकें। इनकी भृमिका एम.एस.एम.ई की क्षमता को बढाने में करे तथा उनका पूर्न प्रतिष्ठान कर सकें।
 - (च) एनएसआइसी इक्वीटी को मजबूत करें जिससे एम.एस.एम.ई को अधिक से अधिक मार्केट समर्थन मिल सकें।
 - (छ) वर्तमान कार्यक्रम को नया रूप दे। एम.एस.एम.ई के लक्ष्य को प्राप्त करने में उपक्रमीक व कुशलता विकास प्रोग्राम को बढ़ावा दें। यह पुन: निर्गत किया जाता है कि स्कीम का ब्यौरा प्रदान किया जाय जिसे पुन: पड़ताल करके तय किया जाय। इन स्कीमों के लागू करने में प्रविधिक देरी को कम किया जाये। वार्षिक प्लान 2010-11 एक रेखीय बिन्दु को शामिल किया जाये एम.एस.एम.ई मंत्रालय के द्वारा।

05

प्लॉनिंग कमीशन एम.एस.एम.ई क्षेत्र के लिए पहल

एम.एस.एम.ई क्षेत्र का निर्माण उत्पादन में यह महत्वपूर्ण योगदान है। देश में रोजगार सृजन तथा निर्यात में इसका अहम योगदान है। इस क्षेत्र ने स्वरोजगार एवं नौकरी के अधिकतम अवसर कृषि से क्षेत्र अलग प्रदान किए हैं। इस क्षेत्र की अन्तरिक स्थिति को रेखांकित करने की आवश्यकता हेतु मूल्यवर्धित करीब 50 प्रतिशत एम.एस.एम.ई समाज असुरक्षित लोगों के अधीनस्थ है। इस क्षेत्र को वैश्वक बाजार का मूल्य खिलाड़ी बनाने की जरूरत है। भारत सरकार ने वर्तमान में कई प्रकार की नीतिगत पहल की है। एम.एस.एम.ई विकास एक्ट 2006 के तहत एम.एस.एम.ई (एम.एस.ई) की परिभाषा क्षेत्र को विस्तृत रूप प्रदान किया गया है। जो उपक्रम सिद्धान्त की पहचान मैन्यूफैक्यचरींग तथा सेवा दोनों क्षेत्रों में हो। इसके अलावा मध्यम उपक्रम को परिभाषित करने तथा बोर्ड ऑफ डेवेलिपंग पॉलिसी की स्थापना तथा अधिग्रहण करने की नीति को लागू करना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में भी योजना आयोग के एम.एस.एम.ई के लिए एक कार्यशील समूह का गठन किया है। कार्यशील समूह ने अपने सुझाव थेमेटीक वर्टीकल, क्रेडिट तथा संस्थागत वित्त के ऊपर दिये हैं। संस्थागत वित्त, तकनीक व इनोवेशन खादी व ग्रामीण उद्योग, कोर सेक्टर, संस्थागत ढ़ाँचा, आने वाले तकनीक, विशेष क्षेत्र व समूह हैं तथा असंगठित क्षेत्र के बारे में सुझाव दिये गये। सभी सुझावों को एम.एस.एम.ई के विकास के लिए कार्यशील समूह द्वारा माना गया तािक 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हों। सुझावों व प्रस्तावों को लागू करना इस वैश्विक बाजार में एम.एस.एम.ई क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है।

उदारीकरण तथा वैश्विक बाजार एकीकरण की प्रक्रिया में एम.एस.एम.ई क्षेत्र के लिए अवसर व चुनौतियाँ को विस्तृत किया है। पारदर्शी व प्रभावी नीति अधिनियम फ्रेमवर्क समय की आवश्यकता है जो परम्परागत और आधुनिक का बंधन जो कि औपचारिक क्षेत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। जो एम.एस.एम.ई पिरामिड के निचले स्तर पर है। एक नई उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, जिसका उद्देश्य भारत को मैन्युफैक्चरींग हब बनाना तथा सेक्टोरल में मैन्युफैक्चरींग शेयर की बढ़ोत्तरी को जी.डी.पी का 25 प्रतिशत अगले शताब्दी में संभव जो कि वर्तमान में 15-16 प्रतिशत है। एम.एस.एम.ई क्षेत्र को सतत सहयोग तािक वर्तमान 12-13 प्रतिशत वािर्षिक वृद्धि दर में गुणात्मक वृद्धि हो सके।

जहा तक कि किसी प्रोजेक्ट की वित्तीय सहायता का संबंध है, सामान्यत: बैकों का कर्ज आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसे प्रारंभ करने परिवर्तित व्यापार मॉडल तथा उच्च असफलता के जाखिम विद्यमान हैं। विश्वभर में एंजल फंड और उसके बाद वेंचर पूँजी सहयोग प्रारम्भ करने के लिए देता है। जब व्यापार मॉडल व्यवसायिक सफलता के स्तर पर पहुँच जाता है। तब विकास दर स्वाभविक रूप से फनोमिनल हो जाता है तथा अपनी गतिविधियों को विस्तृत रूप देने के लिए पूर्णत: ऑफिस औद्योगिक स्थानों को ग्रहण करते हैं जिसमें बैंकों का वित्तीय सहयोग लिया जाता है।

एंजल निवेश तथा प्रांरिभक स्तर वेंचर पूँजी के बारे में वर्तमान योजना आयोग रिपोंट में कहा गया है कि भारत की क्षमता है कि वह अगले 10 वर्षों में करीब 2,500 उच्च कुशल व्यवसाय लगाने में सक्षम हैं। संभावित अनुमान अनुपात के आधार पर 10,000 प्रारंम्भिक स्तर को विकसित कर 2,500 दीर्घ व्यवसाय को बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के व्यवसाय करीब 10 लाख करोड़ रू रेवेन्यू का निर्माण करेंगें (+200 बिलियन) जी.डी.पी. में इसका योगदान होगा जो रोजगार सृजन जैसा कि आई. टी. तथा आई. टी. अद्योगों में संभावित है।

प्लॉनिंग कमीशन एम,एस.एम.ई क्षेत्र के लिए पहल

रिर्पोट के मुताबिक 3 लाख करोड़ रू जो करीब +55 बिलियन पूँजी, अगले दशक तक आवश्यक है। जिसमें आधा उधार होगा भारत में एक बहुर्स्पधी उपक्रमीय पयार्वरण को बनाने में सहायक होगा।

उपक्रमीय वेंचर हेतु आवश्यक बृहद पूँजी विस्तार को देखते हुए वर्तमान में भारत के निवेश की स्थिति उपयुक्त नहीं है। प्रांरिभक स्तरीय देश में निवेश उच्च उपक्रमीय गतिविधियों एंजल निदेशकों के द्वारा चलाया जा रहा है। फंड देकर, उपक्रम के नेटवर्क मिलाकर एंजल निवेशकों ने इस व्यवसाय को बढ़ाने में महत्ती भूमिका निभायी है। इन्होंने संस्थागत निवेशकों जैसे वेचर कैपिटल फंड के लिए आकर्षक बनाया है।

समिति ने इस क्षेत्र की पहचान की है जो उपक्रम अधिक विकास की क्षमता रखते है जो तीव्र उपक्रमीय संचालित विकास मैन्युफैक्चरींग/आई.टी. हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो अवयवों, फूड प्रोसेसिंग), सॉफ्टवेयर, तकनीक व टेलिकॉम, अर्फोडेबल स्वास्थ्य, स्वच्छ तकनीक (स्वच्छ पानी तथा सैनिटेशन) तथा व्यक्तिगत देखभाल शामिल हैं। इसमें बहु विस्तृत उपक्रमीय पयार्वरण को चिन्हित किया है।

प्रारंभिक पूँजी हेतु वैश्विक स्तर पर एंजल/वेंचर फंड शुरूआती फंड के स्त्रोत के रूप में है। जबिक इस प्रकार के फंड किसी भी प्रोजेक्ट को अपने विश्लेषण व मूल्याकंन व स्वयं नीशक के आधार पर वित्त प्रदान करते हैं। समूहों का मानना है कि सरकार को इस जाखिम को कम करने में कुछ मदद करनी चाहिए। यह गारन्टी सरकार द्वारा प्राधिकृत वेंचर फंड के सह-निवेश से संभव है। इस संदर्भ में सिडिबी प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

एम.एस.एम.ई के कार्यशील समूह ने अम्ब्रेला स्कीम सीधे रूप में सुझाए है। जैसे 1. क्रेडिट एवं वित्त, 2. तकनीक व नये प्रयोग, 3. आधारभूत ढाँचा, 4. मार्केटिंग, 5. विकास व ट्रैनिंग स्कीम, 6. संस्थागत ढाँचा।

स्कीम/प्रस्ताव जो ऊपर निर्दिष्ट है जिसके प्रत्येक को अम्ब्रेला स्कीम के अवसर के रूप में माना जायेगा। इसके कई गुण हैं। इसमें फंड की उपलब्धता में लचीलापन होगा। फंड को अवयवों में स्थानान्तरण किया जा सकता है जो अच्छे कार्य कर रहे है। विभिन्न अवयवों को लागू करना मूल्य व समय बचत को बढ़ाता है। चूँिक दूसरे अवयावों के साथ जोड़कर इसे एक-दूसरे अवयवों को एक साथ चलाया जा सकता है। जैसे – जमीन प्रप्ति तथा ब्रैष्ट से संबंधित बिल्डिंग का निर्माण।

जाँच प्रयोगशाला, विस्तृत औद्योगिक संयंत्र मॉडलर इंडस्ट्रीयल इस्टेट, औजार घर, टी. डी. सी आदि को एक साथ एक छत के नीचे लाया जा सकता है जबकी विभिन्न अवयवों के लिए एक ही जगह जमीन व आधारभूत ढ़ाँचा का प्लान तैयार किया जायेगा। इस अम्ब्रेला स्कीम को लागू करने का सबसे बड़ा लाभ इस प्रकार के स्कीम के लागू करने के प्रभाव को देखना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यशील समूह ने विस्तृत रूपरेखा प्रदान की है। जिसमें प्रस्तावित हस्तक्षेप बड़े वटिर्कल केवीआई तथा कोयर क्षेत्र में संभव हैं।

प्लॉनिंग कमीशन एम.एस.एम.ई क्षेत्र के लिए पहल

क्र.स.	वर्टीकल	12वीं योजना में प्रस्तावित बी.ई (रू करोड़ में)
1.	क्रेडिट व वित्त	19450
2	तकनीकी विकास	9500
3.	आधारभूत ढ्राँचागत विकास	113600
4.	विपणनं एण्ड प्राप्ति	2110
5.	कुशलता विकास व ट्रैनिंग	3600
6.	संस्थागत ढाँचा	3100
7.	खादी एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र	14800
8.	कोयर सेक्टर	870
	कुल	64760

कार्यशील समूह ने सुझाया है कि एम.एस.एम.ई. क्षेत्र भारत में आज अपने प्रतियोगितापूर्ण व गुणात्मक उत्पाद के द्वारा वैश्विक विकास के आरंम्भिक है। जबिक सरकार की ओर से आवश्यक है कि तकनीकी तरक्की का खर्च कम किया जा सके। बाजार विस्तार आधारभूत ढ़ाँचा का आधुनिकीकरण आदि संभव है। इतिहास दर्शाता है कि इस क्षेत्र में लगातार व प्रभावी सरकारी समर्थन की आश्यकता है। कई देशों जैसे जापान, कोरिया आदि के एस.एम.ई. वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। पी. एम. टॉस्क फोर्स क्षेत्र में पहले से ही महत्वपूर्ण पहल कर चुकी है। उपर्युक्त कार्यशील समूह का सुझाव 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अति महत्वपूर्ण है जो गुणात्मक वृद्धि के लिए जरूरी है। एम.एस.एम.ई. का विकास सरकार के सिम्मिलित, पारदर्शी तथा स्केलेवल नीति व स्कीम के द्वारा ही संभव है।

06

पाईवेट सेक्टर निवेशः एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के लिए उप-समूह

वर्तमान समय में एक सांख्यिकीय सर्वे से पता लगता है कि भारत में एम. एस. एम. ई. क्षेत्र के क्रेडिट स्तर अनुमान का कोई भी शोध उपलब्ध नहीं है। जबिक राष्ट्रीय उपक्रमीय कमीशन अंसगिठत क्षेत्र (NCEUS) ने अनुमान लगाया है कि केवल सूक्ष्म उपक्रम का क्रेडिट दूरी मार्च 2012 तक 73 प्रतिशत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के टिर्मिनल वर्ष का प्लान है जबिक इस प्रकार के असंगठित सूक्ष्म उपक्रमों का अनुमान 70 मिलीयन था जिसका औसत क्रेडिट 1.23 लाख रू प्रति उपक्रम था। यह एम.एस.एम.ई. सेक्टर के विपरित है जिसमें अनुमानत 32.2 मिलियन उपक्रम जिसका औसत क्रेडिट ऑफटेक 7.16 लाख रू मार्च 2013 के अंत तक का है जो चुनिंदा व्यवसायिक बैकों के आकड़ों पर आधारित है।

ऑकडों की अनुलब्धता के कारण में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की क्रेडिट मांग है। क्रेडिट गैप, उप-समूह ने अनुमान लगाने का प्रयास किया है सप्लाई व मांग का गैप 12वीं पंचवर्षीय योजना में है।

12वीं योजना अविध के प्रारम्भ में एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की आउटस्टैडिंग क्रेडिट गैप का अनुमान 62 प्रतिशत है जो कि मार्च 2013 में इसे 43 प्रतिशत तक आने की उम्मीद है। इस पूर्वानुमान के साथ कि वार्षिक दर कम से कम 20 प्रतिशत का विकास सूक्ष्म क्षेत्र का हो तथा वर्ष दर वर्ष क्रेडिट विकास मध्यम उपक्रम का 10 प्रतिशत अधिसूचित क्रमिक बैंकों के द्वारा है। जबिक अधिसूचित क्रमिक बैंकों को निर्देश दिया गया है कि कम से कम 22 प्रतिशत आउटस्टैंडिंग क्रेडिट विकास सूक्ष्म मध्यम उपक्रम का बना रहे। यह विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष (वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14) तक बना रहे तथा बाकी तीन वर्षों में कम से कम 25 प्रतिशत हो (वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16, तथा वित्तीय वर्ष 2016-2017) एम.एस.एम.ई. क्रेडिट गैप पुन: कम होकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 32 प्रतिशत आ जाए।

इस प्रकार के क्रेडिट गैप की गिरावट को पाने के लिए तथा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र की क्रेडिट वातावरण को बनाने के लिए उपसमूह ने कई सुझाव दिये हैं। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष 22% क्रेडिट विकास मध्यम उपक्रम के लिए वित्त वर्ष (2012-2014 में 25% इसके बाद वर्ष दर वर्ष 25% वित्त वर्ष 2014-17 तक अपेक्षित है। 3% प्रतिशत का ब्याज संवद्भिप सूक्ष्म उपक्रमों हेतु समान बैंक आवेदन फार्म, अधिक वित्त फंड सिडबी के लिए ताकि वित्त वर्ष 2017 में 10,000 करोड़ रू तक पहुँच सके। इसमें क्षमता निर्माण एम.एस.एम.ई. ऋण अधिकारियों की नवीनतम उपाय ताकि ब्रांच रहित बैंकिंग संभव हो सके।

प्लॉनिंग कमीशन एम.एस.एम.ई क्षेत्र के लिए पहल

अंत में	SCBs द्वारा MSMEs को क्रेडिट	मध्यम उपक्रमों को SCBs द्वारा क्रडिट	कुल SCB द्वारा एम.एस.एम.ई को क्रेडिट	प्रोजेक्टेट कार्यशीलपूँजी SCBs द्वारा	प्रोजेक्टेट WC द्वारा सीमित RRBs	प्रोजेक्टेट WC द्वारा सीमित 4CBs	प्रोजेक्टेट वित्तीय मदद उद्योग कम्पनी द्वारा	प्रोजेक्टेट कार्यशील पूँजी वितरण एम.एस.एम.ई. द्वारा
2010-11	485942	158069	644012	450808	2033	39527	12125	504492
2011-12	583130	173876	757006	529904	2439	53361	14550	600255
2012-13	699756	191263	891020	623714	2927	72037	17460	716139
2013-14	839708	210390	1050098	735068	3513	97250	20952	856783
2014-15	1007649	231429	1239078	867355	4215	131288	25142	1028000
2015-16	1209179	254572	1463751	1024626	5058	177239	30171	1237094
2016-17	1451015	280029	1731044	1211731	6070	239272	36205	1493278

07 क्रेडिट संबंधी नीति

एम. एस. एम. ई. सेक्टर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कुछ महत्वपूर्ण क्रेडिट की घोषणा की है जो इस प्रकार है:

- सभी अधिकृत व्यापारिक बैंको में सूक्ष्म व लघु उपक्रमों में वर्ष दर वर्ष 20% क्रेडिट विकास करना चाहिए तािक क्रेडिट विस्तार होता रहे।
- एम.एस.ई. को एडवांस सूक्ष्म उपक्रम हेतु 60% देना जो कई चरणों में प्राप्त करें जैसे 50% वित्त वर्ष 2010-11, 55% वित्त वर्ष 2011-12 तथा 60% वित्त 2012-13।
- सभी अधीसूचित व्यावसायिक बैंको को कम से कम 10% वार्षिक विकास दर हासिल करना चाहिए विशेषकर सूक्ष्म उपक्रमों के खाता के हिसाब से।
- एम.एम.ई. के लिए कोलेटरल ऋण सीमा को 5 लाख रू से बढ़ाकर रू 10 लाख रू तक करना।

इन सुझावों के आधार पर रिजर्व बैंक ने सुनिश्चित किया है कि सभी प्रकार का कोलेटरल सुरक्षा को स्वीकार करे, करीब 10 लाख रूपये के ऋण के लिए इन एस.एम.इ. क्षेत्र को देने में।

इसके बदले में बैंक सी. सी. एस. के अधीन कोलेटरल फ्री क्रेडिट सुविधाएँ प्रदान करें। सूक्ष्म उपक्रमों को बैंक द्वारा ऋण देने में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा को रिजर्व बैंक ने बढ़ा दिया है। इसमें बदलाव जो कि लिखित है कुल 25 लाख रू इन सूक्ष्म उपक्रमों हेतु जैसा कि परिभाषित है सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उपक्रम एक्ट में जिस पर मूल्य वृद्धि व कर्ज इनपुट के आलोक में विचार किया जायेगा।

सूक्ष्म तथा लघु उपक्रमों को पुर्निनर्धारित ऋण देने उपलक्ष्य के अनुसार, 40% अग्रिम राशि का सूक्ष्म (मैन्यूफैक्चरींग) उपक्रम को मिलना चाहिए। जो प्लान्ट और मशीनरी में 10 लाख रू वर्क निवेश कर सके (वर्तमान सीमा 5 लाख रू है)। सूक्ष्म (सेवा) उपक्रमों के सदर्भ में इक्यूपमेंट में निवेश की सीमा को 4 लाख रू तक कर दिया गया है (2 लाख रू के स्थान पर) इसके अलावा, कुल अग्रिम राशि का 20% सूक्ष्म उपक्रमों (मैन्यूफैक्चरींग) में प्लॉन्ट और मशीनरी के निवेश में होना चाहिए। 10 लाख रू के ऊपर (वर्तमान लिमिट 5 लाख रू) तक का निवेश हो। सूक्ष्म (सेवा क्षेत्र) उपक्रम में 25 लाख रू जो उपकरण को लिये निवेश तथा 4 लाख रू (2 लाख रू) से 10 लाख रू तक है।

इस वास्तिवकता को देखते हुए आर.बी.आई. की स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव किया है कि केन्द्रीकृत क्रेडिट प्रोससिंग (सी.पी.सी.) की स्थापना की जाय। जबिक बैकों को निर्देश है कि एम.एस.एम.ई. के लिए सी.पी.सी. शेल की स्थापना करे। ये शेल एकल पोइंट के रूप में एप्रेजल, सैनसन, डोक्यूमेंटेशन, ऋण नवीनीकरण व लोन बढ़ोतरी जैसे कार्य कर सके। यह व्यवस्था देरी को कम करेगी। उनके प्रश्नों को सुलझाएगीं तथा सही पद्धित को अपनाएगीं एम.एस.एम.इ. क्षेत्र के लिए भारत सरकार ऋण प्रावधान की दुरूस्त करने की योजना बना रही है। राज्य अधिकृत बैंको को समान ऋण आवेदन पत्र 25 लाख रूपये तक के लिए निकालने को कहा है। सरकार ने बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक ऋणधारकों का ऋण आवेदन पत्र की जाँच करने तथा ऋण की स्थिति जानने में आसानी होगी। यह बैंक अधिकारीयों की विशेषधिकार को कम करेगी। जो एम.एस.एम.ई. को ऋण प्रदान करने में मिली हुई है।

8 सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रमों हेतु वित्त

एम.एस.एम.ई. क्षेत्र समय पर तथा समुचित फंडिंग बैंकिंग क्षेत्र से अपेक्षित है। एम.एस.एम.ई. की प्राथमिक चुनौती बैंक फंड प्राप्त करने में आती है। फौलोअप की अधिकता, कोलेटेरल सुरक्षा दने में असर्मथता तथा वित्तीय प्रबंधन में पूर्ण ज्ञान का न होना है। वित्तीय प्रबंधन में नीति, रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क तथा एम.एस.एम.ई. की विश्वसनीय क्रडिट सूचना शामिल है।

बैंक को एम.ए.एम.ई. को वित्त प्रदान करना एक चुनौती मानते हैं। यह बहुत सी मुद्दों से उत्पन्न होती है। जैसे उपक्रमों की खातावाही का अभ्यास इस प्रकार से चुनौती पूर्ण काम के बावजूद कुछ बैंको ने एमएसएमई को उधार देना प्रारंभ किया है। बैंक उन उपक्रमों को मदद करती है तािक वित्तीय व्यावसाियक योजना व विकास को संमझें। कभी-कभी बैंक विशेष उदार वित्तीय योजना प्रदान करती है। औद्योगिक सेवाएँ एम.एस.एम.ई. के वातावरण को सुधार सकते हैं।

प्रत्येक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र हेतु बैंकिंग क्षेत्र को उपयुक्त नीति तथा उत्पाद बनाने की जरूरत हैं। जबिक सूक्ष्म क्षेत्र को फिन्डिंग देते समय वित्तीय समावेश प्रोजेक्टत की आवश्यकता है। लघु व मध्यम उपक्रम चालु उत्पादों से भी चलाने में समर्थ है। कुछ फिन्डिंग नियम व वित्तीय क्राइटेरिया क्रेडिट की उपयुक्ता को जाँचने में सक्षम है। एम. एस. एस. इ. क्षेत्र की मदद हेतु सरकार ने सूक्ष्म तथा लघु उपक्रमों के लिए 'क्रेडिट गारन्टी फंड ट्रस्ट' (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) की स्थापना की है। जिसमें 75% को डिफाल्ट स्कीम में रखा है। समेरा (एस.एम.इ. रेटिंग एजेन्सी) तथा एमएसएमई एक्ट को कार्यशील बनाकर इस क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना जैसे कदम सरकार ने उठाये है। कुछ हद तक रेग्यूलेटरी क्षेत्र के उधार हेतु प्रावधान बनाने से फन्ड विस्तार में मदद मिली है।

लैनडिंग (देय) कोड

देयता की काफी विशेषताएँ है आवेदन पत्र जमा करने से लेकर ऋण प्राप्ति तक। इसके अलावा यह शेष रकम की उगाही भी करता है। एन.पी.ए. समस्या, बीमारी सेवा व पूर्णिनर्माण आदि कार्य भी करती है। ये सभी एम.एस.ई. का महत्त्वपूर्ण पक्ष है इसलिए इस संदंभ में बैंको ने निम्नलिखित रूपों को जानना अति आवश्यक है। वास्तव में यह कोड एम.एस.इ. के अधिकार के रूप में बैंको से वित्त प्रप्ति में कार्य करता है।

पहले व अब भी आर.बी.आई. का निर्देश है कि बैंक कम से कम उनके 20% प्रति वार्षिक टर्नओवर के अनुकूल क्रेडिट (कार्यशील क्रेडिट) प्रदान करेगे। इस 'नायक कमीशन सुझाव' के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्य से मद अभी भी केवल किताबों तक सीमित है, तथा कभी कभार एम.एस.ई. इस निर्देश के अनुसार ही कार्यशील पूँजी प्राप्त कर रहे हैं। किन्तु अब कोड ने वादा किया है "अब हम (बैकों) सूक्ष्म व लघु उपक्रमों (मैन्युफैक्चरींग) को उनके वार्षिक टर्नओवर के कम से कम 20% तक कार्यशील पूँजी प्रदान करेगें"। पुन: कोड ने माना है"। "आपके (एम.एस.इ.) निवेदन को मानकर जहाँ उत्पादन बढ़ेगी वहाँ कार्यशील पूँजी में उसी अनुरूप बढ़ोतरी होगी तथा जहाँ प्रारम्भिक कार्यशीलपूँजी का अनुमान यथोचित नहीं होगा व आपने जरूरी कागजात प्रसाण के रूप में उपस्थित कर दिया है, वहाँ बढ़ोतरी की जायेगी"।

क्रेडिट संबंधी नीति

एम.एस.इ. यह मान ले कि कुल र्टनओवर का कम से कम 20% और न की अधिकतम। दूसरे शब्दों में 20% टर्नओवर कम से कम सुनिश्चित है कार्यशील पूँजी हेतु। मद बताता है कि बैंक 20% से ज्यादा भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त डिजीविंग स्थिति में सीजनल उद्योगों के लिए आर.बी.आई. के निर्देशानुसार यह कम से कम कुल टर्नओवर के 30% तक है। आर.बी.आई. ने यह कभी नहीं कहा है कि एम.एस.इ. के लिए 20% अधिकतम था। परन्तु बैंकर बहुत ही चतुर है वे अपने आप आर.बी.आई. का हवाला देकर 20% तक अधिकतम का नियम बना लिये हैं। अब बैंक एम.एस.इ. कोड द्वारा कम से कम 20% और अधिक जरूरत के अनुसार मान चुके है जो एम.एम.ई. को आने वाले दिनों में अधिक कार्यशील पूँजी मिलने में मददगार होगें।

क्रेडिट गारंटी

कोलेटरल मुक्त ऋण जबिक एम.एस.एम.ई को प्रदान किया जायेगा। जो हमेशा एक व अन्य अभ्यास से पता चलता है कि बैंको ने उसे नकारा ही है। एम.एस.ई. पूर्णत: बैंको को समर्पित कर चुके है जितना कोलेटरल माँगा गया है देकर वित्त प्राप्त करने के लिए जबिक यिद वह उपयुक्त न भी हो। कई बार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए यह बैंकर की दया पर निर्भर करता हैं अब कोड ने एम.एस.इ. को कोलेटरल मुक्त ऋण देने पर विवश हैं कोड ने वादा किया है "हम (बैकों) 10 लाख रू तक की रकम तक कोलेटरल की माँग पर जोर नही देगें तथा आर.बी.आई. के समय दर समय दिये गये विशेष निर्देशों के अनुसार तय सीमा पर भी।

भारतीय एम.एस एम.ई. को सलाहकार सेवाओं की जरूरत है ताकि इस वैश्विक दुनिया में उच्च प्रतियोगिता पूर्ण अन्तराष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतियोगिता को बढ़ा सकें। एमएसएमई मानते हैं कि विख्यात राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय सलाहकारों की सेवाएं अब सस्ती नहीं रह गई हैं तथा प्राय: यह फोकस भी नहीं है। इस ज्ञान की कमी को पहचानते हुए भारत को आयात निर्यात बैकों इन सेवाओं को देने पर विलय कर रही है। ताकि एम.एस.एम.इ. ग्राहक को सेवा मिल सके। इसमें मुख्यत: व्यापार शिवर, निर्यात, संविदा प्राप्ति को जीतने पर सुरक्षित रखना तथा पीढ़ी से चली आ रही निर्यात व्यापार को सहयोग देना है। इस सफलता के लिए देशों/क्षेत्रों को सूचना प्राप्ति, क्षमता में वृद्धि तथा गुणवत्ता सुरक्षा निर्यात बाजार तथा वित्तीय सहायता सेवाएँ आदि में सहायक है।

09

एक्सजीम बैंक उदगार पूर्ण निर्माण स्कीम एस.एम.इ. हेतु

आर.बी.आई. ने अपने सर्कुलर No. DBOD:BP:BC, No. 34@21] No. 04-132@2005&06 दिनांक 6 सितम्बर 2005 को निर्देश जारी किया है कि उनके सुधार को पुर्न निर्मित किया जाय जो लघु तथा मध्यम उपक्रम इस योग्य है जिन शर्तो पर कम से कम सी.डी.आर. जो बैंकिंग क्षेत्र में सुलभ है उनके शर्तो के आधार पर। उपयुक्त आर.बी.आई. निर्देशानुसार सभी बैंको को लघु मध्यम उपक्रमों हेतु अपने उधार पुर्न निर्माण स्कीम बोर्ड बनाने की जरूरत है। उसी अनुरूप एक्सजीम बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 जनवरी, 2006 की मिटिंग में निम्नलिखित उधार पुर्निनर्माण स्कीम एस.एम.इ. के लिए प्रस्ताविक कर चुके हैं।

एस.एम.इ. की परिभाषा

1. इस स्कीम में शामिल करने के उद्देश्य से एस.एम.इ. की परिभाषा आर.बी.आई. सकुलर संख्या आर. पी.सी.डी.पी.एल. एफ एन. एस. बी. सी. 31/06/02, 2005–2006 दिया जायेगा जो दिंनाक 19 अगस्त 2005 के अनुसार निम्न है:

वर्तमान में लघु औद्योगिक इकाई एक अन्डरटेंकिंग है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश एक करोड़ रूपये से अधिक न हो कुछ विशिष्ट होजियारी वस्तुओं को छोड़कर, हैन्डलूम, ड्रग्स एवं फार्मासेयूटिकल, स्टेशनरी वस्तुएँ, खेलकूद समाग्री को छोड़कर जिसका निवेश सीमा 5 करोड़ रूपये तक बढ़ा दिया गया है। संसद में एक व्यापक अध्यादेश जो कि लघु उद्योग क्षेत्र में व्यापक परिर्वतन करेगा जो लघु तथा मध्यम उपक्रमों को अपने अधीन विचार कर सकेगा। इस प्रकार के अध्यादेश को पेंडिंग रहने से काम नहीं ब्लिक वर्तमान में एस.एस.आई. /सूक्ष्म उद्योगों को जारी रखने में बाहय है। इकाई जिसकी निवेश सीमा प्लान्ट और मशीनरी में जो कि एस.एस.आई. लिमिट से अलग है तथा 10 करोड़ रूपये तक की मध्यम उपक्रम (एम.इ.) के अन्दर सम्भाला जाय।

योग्यता निर्धारण

- 2. इस प्रकार के निर्देश निम्नलिखित एनटीटीज के लिए है जो कि मूल्यवान हैं या मूल्य सक्षम है।
- सभी नॉन कारपोरेट एस.एम.इ. बैंक की देनदारी के अलावा
- सभी कारपोरेट एसएस.एम.इ. जो कि बैंकिंग सुविधाएँ एक ही बैंक से ले रहे है बैंक के देनदारी के अलावा
- सभी कारपोरेट एस.एम.इ. जो कि फन्डेड तथा नॉन फन्डेड आडट स्टैंडिंग 10 लाख रूपये के अन्दर हो जो मल्टीपल कॉर्न्सोटियम बैंकिंग व्यवस्था से संबंध हो।
- खाता जो जानकर डिफाल्ट, फ्रॉड तथा मालाफिशेन्स इस निर्देश के अनुसार पुर्ननिर्माण में योग्य नही हैं।
- बैंक जिसे "लॉस एसेट" खाता मान चुका है वह भी योग्य नहीं है।
- बी.आई.एफ.आर. के सदर्भ में बैंक सुनिश्ति करेगा कि सभी प्रक्रियों को अप्रूवल लेने में पूरा करता हो बी. आई. एफ. आर. पैकेज को लागू करने से पहले।

एक्सजीम बैंक उदगार पूर्ण निर्माण स्कीम एस.एम.इ. हेतु

वायबीलिटी क्राईटेरिया

- 3. सात साल के अन्दर इकाई चालू हो तथा पुन: बाकया के देने की पुर्निनर्माण उधार 10 वर्ष से अधिक का न हो। इस उद्देश्य हेतु सभी योग्य इकाई आयेगे जो निम्न विषय जो कि किसी भी छूट के लिए बैंक अधिकारियों की सिमिति (सीओइ) द्वारा दी जाय या बोर्ड/एमसी (यदि वास्तविक सेनसन बोर्ड/एम.सी. के तहत हो) केस की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए छूट दी जाय।
- (i) डेब्ट सेवा कवरेज रेशों (डी.एस.सी.आर.): डी.एस.सी.आर. औसतन 1.25 से अधिक होना चाहिए, तथा प्रोजेक्ट समयाविध के किसी वर्ष में 1.00 से अधिक हो।
- (ii) ब्रेकइवन विश्लेषण को पूरा करना चाहिए तथा क्रियान्वयन तथा कैश ब्रेकइवेन पोइन्ट को तय कर लेना चाहिए।
- (iii) कम्पनी का विगत सफलता 3-5 वर्षो तक का तथा भविष्य की योजनाएँ की समयाविध व पुन: देनदारी की जाँच की जायेगी।
- (iv) प्रोमोटर का त्याग तथा अधिक उनके द्वारा लाये गए अधिक फन्ड जोकि कम से कम 15% तक क्रेडिट त्याग के बराबर हो।

"स्टैडर्ड" खातों का प्रबंध पुनिर्मित शर्त पर

- 4.(ए) मूलधन के इस्टालमेंट का अकेले पुर्निर्निधारण है जो मानक एस्टेस को कम-मानक की श्रेणी में वर्गीगत नहीं करेगा, बशर्ते की उधार लेने वाले की आउटस्टैडिंग की सुरक्षापूर्ण करता है। जबिक वास्तविक सुरक्षा स्थिति इस संदर्भ में उपयुक्त नहीं है जहाँ बकाया 5 लाख रू हो, चुिक कोलेटरल जरूरत 5 लाख रू तक के ऋण के लिए एसएसआई/सूक्ष्म क्षेत्र के ऋण के लिए हटा दिया जाता है।
- (बी) ब्याज का पुनर्निधारण तत्व एसेस्ट को कम-मानक श्रेणी में नीचे लाने का कारण नहीं बनेगा जो कि समयविधि के विशेष मात्रा का त्याग यदि कोई हो तो ब्याज के तहत मूल्य के रूप में मापा जाए, या तो छोड़ दिया जाए व कोई प्रोविजन रूपी त्याग संभव हो तो उसको लागु किया जाए।
- (सी) जिन केसों में वर्तमान वैल्युटर्म्स में ब्याज का त्याग हो जैसा कि ऊपर (बी) में बताया है तब त्याग को छोड़ दिया जाए व प्रोविजन रूपी त्याग संभव हो तो उसको लिया जाए।
- 5. "सब-स्टैर्डड"/"डाऊटफुल" खातों का प्रबंध पुनिर्मित शर्त पर:
- (ए) मूलधन के इस्टालमेंट का अकेले पूर्विर्निधारण जो कि मानक एस्टेस है, संदेहास्पद एसेट कम-मानक में जारी रहेगा। विशिष्ट समयाविध संदेहास्पद स्थिति के लिए जारी रहेगा। पहले भूगतान के प्रथम वर्ष के तिथि के उपरान्त या मूलधन जो कि पहले ही, सुनिश्चित अविध के अन्दर आता हैं उस दौरान संतुष्ट सफल विषय के अनुरूप हो उधार लेने वाले की आऊटस्टैंडिंग की सुरक्षा पूर्ण करता है। जबिक वास्तविक सुरक्षा स्थिति इस संदर्भ में उपयुक्त नहीं है जहाँ बकाया 5 लाख रू हो, चूँिक कोलेटरल जरूरत 5 लाख रू तक के ऋण के लिए एस.एम.आई/सुक्ष्म क्षेत्र के ऋण के लिए हटा दिया जाता है।

एक्सजीम बैंक उदगार पूर्ण निर्माण स्कीम एस.एम.इ. हेतु

- (बी) ब्याज का पूर्निर्निधारण तत्व सब-स्टैन्डर्ड/संदेहपूर्ण एसेट का बढ़ता है। योग्य एसेट सब-स्टैन्डर्ड संदेहपूर्ण के अधीन जारी रहेगा जोिक विशिष्ट समयाविध के लिए विशेष मात्रा का त्याग यिंद कोई हो तो ब्याज के तहत वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाय तो छोड़ दिया जाए या कोई प्रोविजन रूपी त्याग संभव हो तो उसको लिया जाए।
- (सी) फिर भी उन केसों में जहाँ पिछला बकाया ब्याज को त्याग कर माफ कर दिया हो, एसेटस 'सब स्टेन्डर्ड'/'संदेहपूर्ण माना जाएगा।'

अतिरिक्त वित्त

6. पूर्नरूद्धार पैकेज बैंक के पुर्नपरिवर्तन में शामिल होगा जब बैंक द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा मुहैया हो यदि जरूरी हो। इस प्रकार अतिरिक्त वित्त को स्टैन्डर्ड ऐसटस के रूप में माना जायेगा। प्रथम वर्ष के प्रथम भुगतान के समय या मूलधन जो भी पहले हो जो इस पुर्निनर्माण प्रक्रिया के पैकेज के तरह आता है। यदि पुनिर्माण पैकेज ऐसेटस पुनरूद्धार के योग्य नहीं है। उपयुक्त समयाविध के अन्त का अतिरिक्त वित्त इसी पुनिर्माण वर्ग के अन्तर्गत मिलेगा।

पुर्ननिर्माण खातों का पुर्नरूद्धार

7. निम्न श्रेणी व संदेहात्मक खाता जो पैरा 5 (ए) तथा 5 (बी) में निर्दिष्ट है जो कि पुर्निनर्माण हेतु है जो चाहे मूलधन या ब्याज निवेश के लिए हो, यदि जिस रूप में हो उन्हे मानक स्तर के पुर्नरूद्धार के योग्य माना गया है, जो कि एक निश्चित अवधि जो कि भुगतान के एक वर्ष के अधीन हो जो भी पहले होगा उन सुनिश्चित शर्तों के अधिन आयेगा जो कि उस वर्ष के सतुष्टपूर्ण सफलता पर निर्भर है।

ऐसेट वर्गीकरण स्थिति

8. सुनिश्चित एक वर्ष की अवधि में, ऐसेट वर्गीकरण स्थिति सुनिश्चित खातों में कमी आयेगी यदि इस अवधि के दौरान संतुलित संतुष्ट सफलता को दिखाया जाता है। इस स्थिति में जब संतुष्टपूर्ण सफलता एक वर्ष में नहीं प्रमाणित होती है। तब ऐसेट वर्गीकरण शर्ते उपयुक्त प्रूडेंशियल प्रविधि के तहत शासित होगा। उन पूर्व भुगतान किये गये पूर्व पूर्विनिर्मित शर्तों के अनुरूप होगा। ऐसेट (पूँजी) वर्गीकरण बैंको के आधार पर होगी जो प्रत्येक बैंक ऋण रिकवर करेगें, इसमें वर्तमान समय में जो नियम लागू है वे लागू रहेगें।

पुनः पुर्ननिर्मितिकरण

9. विशेष ऐसेट वर्गीकरण डिस्पेंशन लागू है जो कि पैरा 4, 5, 6 और 7 में उपर्युक्त वर्णित है यदि पहली बार खाता को पुर्निनर्धारण किया जाता है में लागू होगी।

10. तरीका

(अ) लेनदार एक आवेदन पत्र एक्सजीम बैंक को देगा अपने <mark>बैंक खाते के पुर्निनधीरण हेतु जो लघु तथा मध्यम उपक्रमों के लिए आर.</mark> बी. आई. ऋण पुर्निनिर्मितिकरण स्कीम के तहत होगा।

एक्सजीम बैंक उदगार पूर्ण निर्माण स्कीम एस.एम.इ. हेतु

- (ब) योग्य एस.एम.इ. की स्थिति में जो कि कन्सोरिटयम/बहुबैंकिंग व्यवस्था के अधीन है लेनदार एक आवेदन पत्र बैंक को देगा जिसमें अधिकतम आडटस्टैडिंग हो। जबिक पुर्निनिर्मित पैकेज बैंको के साथ विचार विर्मश करके तय किया जायेगा जो कि इसमें उनका दुसरा बड़ा हिस्सा शेयर है।
- (स) सभी पाये गये आवेदनों को चयनित कर सुनिचिश्त किया जायेगा कि वे प्राथमिक दृष्टि में तय मानको के अनुरूप इस योग्य हैं।
- (द) पुनिर्निर्तिकरण की सभी प्रस्तावों को सी.ओ.इ. बोर्ड/एम.सी. के पास रखा जायेगा यदि वास्तविक सैनसन बोर्ड/एमसी के अनुरूप हुए हो।
- (घ) सैनसन की प्राप्ति के बाद, पुर्नीनर्मितिकरण हेतु जरूरी दस्तावेजों को लागू किया जायेगा।
- (न) संपूर्ण प्रक्रिया को आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जायेगा।

मदद और छूट

11. एक्सजीम बैंक अपने अनुसार ब्याज में कुछ छूट दे सकती है। पुर्निनिर्मितिकरण पैकेज में बैंको के पी. एल. आर. (बी.पी.एल.आर.) के कम से कम 2% तक छूट दे सकती है। जबिक अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो तो बी.पी.एल.आर. को दी जायेगी।

पुर्नविचार

12. सी.ओ.इ. तिमाही आधार पर पुनरूदृरित तथा पुर्निनिर्मित एस.एम.इ. खातों के विकास पर पुर्निवचार करेगा तथा अर्द्धवार्षिक आधार पर बोर्ड को लागू किया जायेगा।

घोषणा

- 13. एस.एम.इ. की ऋण पुनरूद्धार योजना का बैंको के वेबसाइट पर डाला जायेगा तथा उसकी एक प्रति सिडबी को भेजी जायेगी ताकि वह वेबसाइट पर डालें। बैकों द्वारा जारी वार्षिक बैलेंस शिट को प्रकाशित व प्रकट किया जायेगा तथा नोट्स ऑन एकाउन्ट निम्न रूप में होगा।
 - (क) कुल ऐसेट की रकम जो कि एस.एम.इ. के पुर्निनिर्मितिकरण के विषयानुरूप हो [(a) = (b) + (c) + (d)]
 - (ख) मानक ऐसेट की कुल रकम जो एस.एम.इ. का हो तथा पुर्ननिर्मितकरण हेतु हो।
 - (ग) एस.एम.इ. की उप-मानकीकृत रकम जो पुर्ननिर्मितिकरण हेतु हो।
 - (घ) एस.एम.इ. एस. की संदेहात्मक ऐसेट जो पुर्निनर्मितकरण हेतु हो।

10

सिडबी की प्रोमोशनल तथा विकासात्मक गतिविधियाँ

एम.एस.एम.इ. क्षेत्र के लिए क्रेडिट की भूमिका को पहचानते हुए प्रारंभिक दिनों से ही एक क्रेन्द्रीकृत क्रेडिट नीति बनी हुई है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों की देनदारी इसका मुख्य अवयक है। इसके अधीन बैकों को कुल देनदार का प्रतिशत तय करना आवश्यक है। इस प्राथमिक क्षेत्र के कुल देनकारी का प्रतिशत जरूरी है। जिसमें सभी लघु उद्योग शामिल है। संस्थागत प्रबंधन के हिसाब को भारत में लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना की गई है जो कि एपेक्स पुर्न वित्त बैंक होगा। स्टेट फाइनेंनसियल कॉरपोरेशन (एस.एफ.सी.एस.) तथा अधिसुचित बैंको द्वारा सावधि ऋण दिया जाता है।

एक एपेक्स वित्तीय संस्था के प्रोमोशन के लिए लघुक्षेत्र में वित्तीय तथा औद्योगिक विकास हेतु सिडबी विविध विकासात्मक जरूरतों को पुरा करता है। एस.एम.इ. क्षेत्र के विस्तृत प्रोमोशनल तथा विकासत्मक (पी.एण्ड डी.) गतिविधियों को संचालित करता है। सिडबी पी. एण्ड डी. की शुरूआत का मुख्य लक्ष्य लघु उद्योग क्षेत्र के आंतरिक क्षमता का विकास करना एक तरफ है तो साथ ही सूक्ष्म उपक्रमों के प्रोमोशन द्वारा गरीबो का आर्थिक विकास भी है।

बहुपक्षीय पी. एण्ड डी. गितिविधियों के अनुसरण हेतु व्यवसायिक गितिविधियों को लिक्षित कर लघु उद्योगों को विकास हेतु सिडबी एन.जी. ओ. के साथ साझेदारी की तरफ दावेदार है साथ ही सहायक वित्तीय संस्थानों कॉरपोरेट बॉडिज, रिसर्च एवं विकास प्रयोगशालाएँ, मार्केटिंग ऐजेन्सी आदि की ओर ध्यान दें ताकि राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम पूरा हो सके। सिडबी ने निम्न प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है पी. एण्ड डी. गितिविधियाँ हेतु जो कि विभिन्न एजेन्सियों/संस्थाओं तथा एन.जी.ओ. के साझेदारी के अधीन है।

सिडबी की मुख्य योजनाएँ

नेशनल इक्वीटी फन्ड स्कीम लघु उपक्रमों को छोटे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु इक्वीटी सर्पोट देता है। तकनीकी विकास तथा आधुनिकरण कोष योजना विद्यमान एम.एस.एम.इ. के तकनीकी परिवर्धन/आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सिंगल विंडो स्कीम दोनों तरह के ऋण प्रदान करने हेतु है जो सुनिश्चित ऐसेट तथा कार्यशील पूँजी दोनों के लिए है। संयुक्त ऋण योजना इक्यूपमेंट तथा कार्यशील पूँजी के लिए है साथ ही छोटे क्षेत्रों के कार्यों कलाकारों, ग्रमीण तथा कोटेज उद्योगों के लिए भी है।

महिला उद्ययम निधि (एम.यू.एन.) योजना वुमेन उपक्रमों को इक्वीटी सहयोग देता है, छोटे क्षेत्रों में प्रोजेक्ट लगाने हेतु।

एस.एस.आई. उत्पादों के मार्केटिंग गतिविधियों हेतु स्कीम फॉर फाइनेंनशियल गतिविधि स्कीम है जो कि बहुबाजरीकृत गतिविधियाँ के अधिग्रहण व सहयोग हेतु है। जैसे मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च एवं विकास, उत्पाद सुधार, ट्रेड फेयर और एक्जीबीशन में भागीदारी, विज्ञापन, वितरण नेटवर्क की स्थापना, शोरूम, रीटेल आउटलेट, वेयर हाउसिंग सुविधाएँ हेतु है।

मशीनरी वित्त योजना मशीनरी उपकरणों के अधिग्रहण **कं** लिए है जिसमें डीजल जेनरेटर सेट आदि शामिल है तथा जो किसी विशिष्ट परियोजना का हिस्सा नहीं है।

सिडबी की प्रोमोशनल तथा विकासात्मक गतिविधियाँ

वैंचर कैपिटल स्कीम एस. एस. आई. वेंचर उप अनुबंधित इकाईयों के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है। कैपीटल उपकरण के अधिकरण को भी बढ़ावा देता है। यह उपुयक्त तकनीकी को भी बढ़ावा देता है जो निर्यात क्षमता/ आयात स्थानांतरण को बनाने में सहायता देते हैं। अपनी क्षमता बढ़ाने, कुल गुणवत्ता प्रबंधन तथा आई.एस.ओ. 9000 प्रमाण पत्र ग्रहण करने में सहायता देता है।

आई. एस. ओ. 9000 योजना कन्सलटेंसी के खर्चे को पूरा करने, डोक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रमाण पत्र शुल्क, उपकरण तथा कैलिबटेटिंग उपकरण जो कि आई.एस.ओ 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

सूक्ष्म क्रेडिट स्कीम पूर्ण प्रबंधित स्वैच्छिक ऐजेसिंयों के खर्चे को पूरा करने हेतु है जो कि कम से कम 5 वर्षो से कार्यरत हैं। उनका ट्रैक रिर्काड अच्छा हो, जिनका नेटवर्क स्थापित हो, जो लघु बचत कम क्रेडिट प्रोग्राम में दक्ष हो जो स्वंय सेवी समुह व व्यक्ति हो।

सिडबी की नयी स्कीमः

- (i) एम. एस. एम. इ. की वित्तीय क्षमता में बढ़ोतरी
- (ii) मार्केटिंग सहायता हेतु स्कीम
- (iii) आधार भूत ढाँचा विकास हेतु योजना
- (iv) आई. एस. ओ. प्रमाण पत्र अधिग्रहण योजना
- (v) फैक्ट्री सेवाएँ
- (vi) बिल पुन: छूट योजना जो इनलैंड सप्लाई बिल एम.एस.एम.इ. के लिए ही हों।

सिडबी ने तकनीकी विकास व आधुनिकीकरण कोष (टी. डी. एम. एफ.) योजना की स्थापना की है तािक एस. एम. इ. को प्रत्यक्ष सहायता मिल सके। इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिले। उसकी उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा सके, विकसित तथा अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त करना तािक निर्यात सुविधाओं को मजबूती प्रदान की जा सके। इस योजना के अर्न्तगत सहायता उपलब्ध है तािक कैपिटल उपकरण अधिग्रहण खर्च तथा तकनीकी जानकारी शािमल है। जैसे प्रोसेस तकनीक सुधार, तथा उत्पाद का विकसित रूप, पैकेजिंग सुधार, टी. कृथ. एम. खर्च तथा आई. एस. ओ. –9000 का प्रमाण पत्र अधिग्रहण शािमल हैं।

1. तकनीकी विकास तथा आधुनिकीकरण फंड

सिडबी ने जुलाई 1996 में एस. एफ. सी तथा प्रोमोशनल बैकों को अधिकृत किया है ताकि अधिनिकीकरण परियोजना खर्च पर 50 लाख रूपये तक ऋण प्रदान करे। टी. डी. एम. एफ. स्कीम का दायरा बढ़ा दिया गया है। जोकि 1.9.1999 से प्रभारी है। नॉन एक्पोंटिंग यूनिट तथा एस. एस. आई. से बाहर की इकाइयाँ इस स्कीम के तहत सहायता लेने के योग्य मानी गयी हैं।

सिडबी की प्रोमोशनल तथा विकासात्मक गतिविधियाँ

2. नेशनल इक्वीटी फन्ड

नेशलन इक्वीटी फन्ड (एन. इ. एफ.) जो सिडबी के अधिन है एस. एस. आई. यूनिट को इक्वीटी की तरह सहायता देती है। छोटे इकाईयों को जो कि सेवा चार्ज 5% तक हो। इस योजना का दायरा 2000-01 में विस्तृत किया गया था जिसमें ऋण की सीमा 6.25 लाख रू से बढ़ाकर 10 लाख रू तथा प्रोजेट खर्च सीमा 25 लाख रू से बढ़ाकर 50 लाख रू तक कर दिया गया।

(ए) इस योजना के तहत निम्न सेवाएँ लेने के योग्य हैं:

सूक्ष्म व छोटे क्षेत्रों में नये परियोजना निर्माण हेतु प्रीजरवेशन व वस्तुओं के प्रोसेर्सिंग क्षेत्रों की दूरी को रखते हुए (मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों की यूनिट को छोड़कर) आते है।

- (i) विद्यमान छोटे व लघुउद्योग इकाईयाँ एव सेवा उपक्रम जो उपर्युक्त वर्गित है। वे भी जो एन. इ. एफ. स्कीम को ले चुके है) अधिग्रहण विस्तार आधुनिकीकरण, तकनीकी परिवर्धन तथा क्षेत्रों के बजाय विविद्यता शामिल है (सिर्फ मेट्रोपोलिटन क्षेत्र को छोडकर)।
- (ii) छोटे व लघु उद्योग क्षेत्रों में बिमार इकाइयाँ जिनके सेवा क्षेत्र भी शामिल है (मेट्रोपोलिटन क्षेत्रों की इकाइयों को छोड़कर)।
- (iii) सभी औद्योगिक व सेवा गतिविधियाँ (सडक परिवहन को छोडकर)।
- (बी) प्रोजेक्ट कॉस्ट (कार्यशीलपूँजी का मार्जिन जिसमें शामिल है) 50 लाख रू से अधिक नहीं जो नये प्रोजेक्टस तथा चालू इकाइयों व सेवा उपक्रमों सिहत आउटले विस्तार आधुनिकीकरण तकनीकी परिवर्धन व विस्तारण तथा पुर्नसद्धार सीमा 50 लाख रू प्रति परियोजना से अधिक नहीं।
- (सी) प्रोमोटर की वर्तमान स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा जिनका योगदान परियोजना क्रय का 10% तक हो। जबिक सॉफ्ट ऋण सहायता की सीमा की जो इसके अधिक है को बढ़ाकर 15% से 25% प्रति परियोजना कर दिया गया है जो प्रति परियोजना में अधिकतम 10 लाख रू प्रति परियोजना हो।
- (डी) 30% छोटे इकाईयों में निवेश को माना गया है।

11 असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों के लिए नेशनल कमीशन

असंगठित क्षेत्र में उपक्रमों के लिए नेशनल कमीशन की स्थापना की है जिससे संभावित उत्पादन के पहलुओं को ठीक किया जाए जो इस असंगठित सूक्ष्म और छोटी इकाइयों को प्रभावित करते है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर तीन (इडीआई) (Entrepreneurship Development Institutes) की स्थापना की है जिसमें प्रक्षिण मोड्यल्स का बनाना, अनुसंधान और सलाह सेवा जो एसएमई क्षेत्र के उद्यमियों का विकास कर सकें। ये निम्न है:

- (i) राष्ट्रीय सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उपक्रम संस्थान, हैदराबाद
- (ii) राष्ट्रीय उद्यमिता व लघु व्यापार विकास संस्थान, नौएडा
- (iii) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुहावटी

12

रिटेलिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशः उद्यमियों पर प्रभाव

भारत सरकार ने तर्क दिया है कि मल्टी ब्रैंड रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सभी शेयरधारको को फायदे की ही स्थित रहेगी। इस आशा के बावजूद, एम.एस.एस.इ. क्षेत्र में पर्यवेक्षको को हैरान कर रहा है कि जो कि रिटेल क्षेत्र में कार्यरत है जो कि उनके लिए स्टोर रखते हैं। फिर भी यह आसुरक्षित है कि यह मदद करेगा या नुकशान करेगा। सभी सहमत है कि अवसरों की टोकरी शामिल होगी उसकी रिटेल क्षेत्र में आने से उनकी रिटेल स्केल वितरण काफी महत्वपूर्ण होगी। वर्तमान में छोटे खिलाड़ी के पास पर्याप्त स्केल या वितरण नेटवर्क जो मार्केट को बदल सके नहीं है। संगठित रिटेल के आने के बाद एम.एस.एम.इ.एस. बल्क प्रोडक्शन अपने उत्पादों का करेगा इस गारन्टी के साथ कि उनका उपयोग हो जायेगा। साथ ही एम.एस.एम.इ. द्वारा प्रतियोगितापूर्ण उत्पाद व सेवाए को अत्यधिक क्षमता अग्रिम व पिछले लिंकेज के लिए एक अवसर होगा जो निर्यात में समान रूप से योगदान दे सके। यहाँ थोड़ी सभावनाएँ नहीं हैं। लाभकारी बाजार में लाभ प्राप्त करना महत्वपूर्ण होगा जिससे एम.एस.एम.इ. का विकास व उतपादकता को तय कर सके। मल्टी ब्रॉड रिटेल संग्मेंट खोलने से मल्टी आवश्यक अवसरों का सृजन होगा।

विविध अवसरों के सदंर्भ में एम.एस.एम.इ. को प्राथमिक रूप से ज्ञान की आवश्यकता होगी ताकि नई तकनीक यथोचित वित्तीय सहायता, उच्च श्रेणी का जिससे विकास तथा बदलते रूप में अपने को शामिल करना उनके अपने उद्योग के लिए आवश्यक होगा इस विविध क्षेत्र की तैयारी के लिए ताकि नये स्थिति का सामना कर सके यह एक आसान कार्य नहीं होगा। विविध प्रारूप के प्रयास की आवश्यकता है ताकि सर्वीसींग कवरेज हो सके। एक स्पस्ट समय के साथ कि एक ही साइज इसमें फिट नहीं होगा। प्रयास बहुत बड़ा है तथा अनेक संस्थानों तथा सरकारी विभाग इससे संबंध रखते हैं।

इन संस्थानों व विभागों में एक एम.एस.एम.इ. प्रोसपेक्टिप के कार्य को पूरे ज्ञान के अनुरूप जो एम.एस.एम.इ. क्षेत्र के विकास के अनुरूप हो। वर्तमान में एम.एस.एम.इ. सरकारी विभागों एवं एजेसियों को सप्लाई करने में समास्यों का सामना करती हैं। जैसे कि अधिकांश सरकारी टेन्डर उच्च योग्यता पैमाना रखते हैं। वार्षिक टर्नओवर तथा उच्च अनुभव जिनमें शामिल है। मल्टीनेशलन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने से ये बाहर नहीं जाने वाले हैं। सभी संभावनाओं में क्राइटेरीया काफी जटिल होगा जिससे कि इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए उच्च पैमाना तय किया जायेगा।

अध्ययन से यह सिद्ध हो गया है कि सिर्फ आने से ही प्रतियोगिता नहीं हो जायेगी लेकिन एक प्रकार की डरावनी स्थित बनेगी। नये वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए एम.एस.एम.इ. को आवश्यक प्रतियोगिता पूर्ण माहौल के लिए तैयार करना होगा। इसके अलावा प्रतियोगिता धीरे-धीरे उच्च से उच्चतर प्रवेश अवरोधक को पैदा करेगा अपनी गुणवत्ता की उत्तम मानक तय करके। मूल्य, वितरण समय तथा लचीलापन को लाकर उच्च मानक बनेगा। यह चीजों को मुश्किल बनायेगा एम.एस.एम.इ. क्षेत्र के लिए तािक वे प्रभावी मूल्य को सभी स्तरों पर लागू कर सकें। वे हमेशा वर्तान तकनीक व उत्पादन प्रक्रिया, मार्केटिंग, प्रबंधन, क्रियान्वयन लागत में कमी, प्रभावी एवं निन्तरता लाने में सघर्ष होगा। एम.एस.एम.इ. क्षेत्रिय व वैश्विक स्तर पर साझेदारी बनाने की खोज में है तािक विशिष्ट प्रबंधन तथा मूल्य कम संरचना को समझ सके। इसलिए मल्टी ब्रॉड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एम.एस.एम.इ. के लाभ में कार्य करेगा जिसमें एक विशिष्ट प्रकार का कमीटमेंट पारदर्शिता ईमानदारी तथा लागू करने में एक प्रकार की सच्चाई की आवश्यकता है। तुरन्त तथा उचित निर्णय की आवश्यकता है तािक इस क्षेत्र को उसके अनुरूप तैयार कर सके।

रिटेलिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: उद्यमियों पर प्रभाव

- अधिकतर युक्त योजना तथा विनिमायक वातावरण
- व्यापार के लिए आधारभूत ढाँचा का समर्थन
- उपक्रमशिप जिससे प्रबंधन गुण व मानवीय माप शामिल हो
- वित्तीय सुलभता
- तकनीक क्षमता-बनावट एवं प्राप्ति

औद्योगिक नीति तथा प्रोमोशन विभाग (डी.आई.पी.पी.) के प्रेस नोट 5 (2012सीरीज) 20 अक्टूबर को जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उत्पादित प्रोसेस्ड उत्पाद का 30% मल्टी ब्रांड रिटेल द्वारा खरीदे गये माल भारत की लघु उद्योग से होगें। जिसमें प्लान्ट और मशीनरी में निवेश 1 मिलियन डॉलर से अधिक हो। यह मूल्यांकन स्थापित करने के समय के मुल्य पर आधारित है जिसमें गिरावाट न हो। इसके अलावा यदि किसी भी बिन्दु पर किसी समय यह मूल्योंपन बढ़ता गया तो लघु उद्योग की श्रेणी में नहीं आयेगी।

इसकी संभावनाएँ यह है कि प्रोक्योमेंट जररूतों को पूरा करना होगा। प्राथमिक रूप से पाँच वर्ष के औसत के हिसाब से जो उस समय मूल्य निर्मित/प्रोसेस्ड उत्पाद कुल मूल्य का खरीदा जायेगा जो इस वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगा जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रथम रूप प्राप्त होगा। इसलिए यह वार्षिक आधार पर इसकी पूर्ति होगी। इस नियम का रेशनल है कि एफ. डी. आई. आने से लघु उद्योगों को फायदा होगा। जिसकी 50% कुल एफ.डी.आई. का "बैक एन्ड इन्फास्ट्रकचर" में निवेश होगा। एफ. डी. आई. के प्रथम किश्त के प्रथम तीन वर्षों के अन्दर (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कम से कम 100 मिलियन डालर लाना होगा) जो कि सभी प्रकार के पूँजी खर्चे को पूरा करेगा जैसे प्रोशेसिंग निर्माण वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, लोजिंस्टीक, स्टोकेज, वेयरहाऊस, कृषि बाजार उत्पाद, आधारभूत ढाँचा शामिल है।

यह क्रेता का उत्तरदायित्व है कि उन सारी शर्तों को पूरा करे जो संबंधित ओडिटर से प्रमाणित हो जो स्वयं प्रभारीकरण संयुक्त हो। बहु विदेशी कम्पनी जिनका पैकेज गहरा है उन्हें यह सुविधा होगी कि उपयुक्त ऑडिटर को शामिल कर निर्माण हेतु प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें तथा गेंद उनके पाले में डालें इसके बजाय की वास्तविक सप्लाई को एम.एस.इ द्वारा प्राप्त करें। यह भी इससे अलग नहीं होगा कि लघु स्तरीय उद्योगों की आरक्षण नीति बनाये। जो कि बाद में एम.एस.इ. को बाद में जीवनदान दे सके जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। परन्तु कई वर्षों बाद विशेषकर भारत में उदारीकरण की नीति 1991 के अनुसार 887 आइटमों को समय दर समय उन्हे अनारक्षित कर दिया गया है। अंतिम 2010 में हटाये गय प्रावधान के बाद, वस्तुओं की संस्था जो अनारक्षित श्रेणी में है 20 कर दी गई है। जो केवल फूड तथा सहयोगी उद्योग शामिल है। लकड़ी व लकड़ी के समान, पेपर प्रॉडक्ट, अम्ल रसायन व रासायनिक उत्पाद, ग्लॉस एवं शेरामिक्स, मैकेनिकल इंजीनियंरिंग शामिल है। इसमें परिवहन रसायान जैसे स्टील आलिमरा, रोलिंग शल्टर, पैडलॉक, स्टेनलेंस स्टील उपकरण तथा एल्युनियम के घरेलु सामान शामिल नहीं है।

रिटेलिंग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: उद्यमियों पर प्रभाव

इस स्थिति में एम.एस.एम.इ. का स्थान घटा है तथा यह अपेक्षित है कि इसे मल्टीब्रॉड का 30% जरूरत होगा, रिटेल क्षेत्र में जिसमें स्टोरेज वस्तुएँ वे चीजें शामिल है। 30% जरूरी आरक्षण जो कि व्यवहार में आ सकता है बाकी 70% कम कीमत वाले चीन व बांग्लादेश के डोमेस्टिक उद्योगों से आयात किया जायेगा।

असंगठित खुदरा व्यापार भारत में कम लागत का खुदरा बाजार है। जैसे क्षेत्रिय किराना दुकान स्वचालित व स्वमालिकाना जेनरल स्टोर, पान/बीड़ी दुकान सुविधाजनक स्टोर, हैन्डकार्ट, पेवमेंट वेंडर जो कि यहाँ कार्यशील है। संगठित खुदरा व्यापार जैसे पैन्टालून, शोपरस शोप, मार्क एन्ड स्पेन्शर, हाइपर सिटी, ट्रेंट, रिलायन्स रिटेल, सिमक्षा कुल खुदरा व्यापार का केवल 5% ही है।

भारत का खुदरा व्यापार लाखों स्वरोजगार में लगे लोगों को जीवनयापन की सुविधा प्रदान करता है। बिना उत्पादन आधारित रोजगार का सृजन किये बिना सरकार लाखों लोगों के लिए एक सामाजिक समस्या पैदा कर रही है जो कि व्यापक पैमाने पर होगा यदि यह मान लिया जाय कि एफ.डी.आई रिटेल में अपना योगदान देगा। मुख्य जरूरत यह है कि प्रशासन को चुनौतियों के साथ संतुलन बनाया जाए। बड़ी चुनौती ही बड़ी चुनौतियों से निपटने का उपहार है। वास्तविक रूप में भारत की क्षमता और विवेक इन चुनौतियों से मुकाबला कर सकती है। इसलिए जरूरी कार्यवाही अभी से शुरू होनी चाहिए। यदि यहा जल्दी ही हो तो यह न केवल एम. एस. एम. इ. के लिए काफी होगा बिल्क यह वर्तमान में विभाजित राजनीति को भी इस विषय में कम करने में सक्षम होगा।

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एमएसएमई शीर्ष निकाय है। यह निकाय भारत सरकार की मदद एमएसएमई की सामान्य सुविधाओं, प्रौद्योगिकी समर्थन सेवाओं, विपणन सहायता, उद्यमशीलता विकास सहायता के लिए एक व्यापक रेंज प्रदान करता है। एमएसएमई विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र के लिए कई प्रकार की योजनाएँ चला रहा है। कुछ निम्नलिखित इस प्रकार है:

(i) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीपी)

दुनिया भर में, विनिमार्ण ही विकास को संचालित करता है। विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों, और उन्हें प्रतिर्म्पधा और टैरिफ दरों के उदारीकरण की वजह से जो दबाव बना उसको समायोजित करने के लिए सक्षम हेतु "विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम" का शुभारम्भ किया गया था। विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद ने उद्योग के साथ विचार-विमिश करके इस योजना की रचना करी थी।

निम्नलिखित दस योजनाओं को बढ़ावा देने और एसएमई के लिए विपणन सहायता के लिए तैयार की गयी है। उन योजनाओं का क्रियान्वन पीपीपी मॉडल पर होगा।

- एमएसएमई के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम
- विनिर्माण के क्षेत्र में गुणवत्ता के माध्यम से प्रतिस्पर्धा होने के लिए सक्षम प्रंबधन मानक एवं गुणवत्ता टेक उपकरण (QMS/QTT)
- भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के आई सी सर्वधन (ICT))
- एमएसएमई को प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता (TEQUP)
- विपणन और लघु उद्योगों में प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता
- विपणन सहायता/एमएसएमई को बार कोड सहायता
- एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र में डिजाइन की विशेषता के लिए डिजाइन क्लीनिक स्कीम
- मिनी टूल रूम की स्थापना
- बौद्धिक संपदा अधिकारों पर जागरूकता के लिए राष्ट्रीय अभियान
- इन्क्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई के उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास सहायता।

(ii) कुटीर एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)

डीसी (एमएसएमई) ने MSE-CDP कार्यक्रम की शुरूआत करी। चयनित एमएसई समूहों के समग्र विकास के लिए सहकारी के आधार पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन व समग्र विकास के लिए इस कार्यक्रम को बनाया गया है। देश में उद्यम और उनके सामुदायिक की क्षमता निर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में कलस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाया गया है। इकाईयों के क्लस्टिरंग भी उन्हें विभिन्न सेवाओं के प्रदाताओं के लिए सक्षम बनाता है, बैंको और क्रेडिट एजेंसियों सिहत, उनकी सेवाओं और आर्थिक रूप से प्रदान करते हैं। इस तरह लागत कम करके और सेवाओं की उपलब्धता में सुधार करके इन उद्यमों की सहायता की जा सके। MSE-CDP के उद्देश्य इस प्रकार है:

उद्देश्य

- (i) एमएसई की स्थिरता और विकास का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी कौशल और गुणवत्ता में सुधार, बाजार पहुँच, प्राप्त पुँजी जैसे आम मुद्दों की संबोधित किया गया है।
- (ii) एमएसई की क्षमता का निर्माण करने के लिए स्वयं सहायता समूह, भागीदारी संघो के उन्नयन, आदि के गठन के माध्यम से आम समर्थन द्वारा कार्यवाई।
- (iii) मौजूदा औद्योगिक एमएसई क्षेत्रों में ढाँचागत सुविधाओं को उन्नयन बनाना।
- (iv) आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना जिनमें परीक्षण, प्रशिक्षण केन्द्र, कच्चे माल डिपों, पवाह उपचार उत्पादन प्रक्रियों जैसी सुविधा दी जाएगीं।

इस योजना का स्कोप

- डाइगनोस्टीक अध्यन
- प्रौद्योगिक संसाधन
- निर्माता से अंत उपयोगकर्त्ता के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा
- आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना
- अनुसांधान एवं विकास की आवश्यकता
- सभी लघु उद्यमों के कलस्टरों में प्रौद्योगिकी के तेज प्रचार के लिए सेमिनार व वर्कशपों का आयोजन करना।

इस परियोजना की लागत और भारत सरकार की सहायता

- डाइगनोस्टीक स्टडी-अधिकतम लागत 2.50 लाख रू।
- सोफ्ट हस्तक्षेप-सरकार का अधिकतम योगदान 25 लाख रू या 75% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% जिनमें 50% से अधिक इकाईयों/माइक्रो/गाँव/अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाएं)
- हार्ड हस्तक्षेप अर्थात सीएफसी की स्थापना–अधिकतम पात्र परियोजना लागत 15 करोड़ रूपये की जिसमें भारत सरकार का 70% योगदान होगा (विशेष श्रेणी के लिए 90% उन राज्यों को व 50% से अधिक महिलाओं/माइक्रो/गाँव/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाईयाँ सम्मिलित होगी)।

आधारभूत सरंचना विकास में नए/मौजूदा औद्योगिक सम्पदा क्षेत्रों के लिए अधिकतम पात्र परियोजना 10 करोड़ रूपये की लगात होगी जिसमें भारत सरकार का योगदान 60% होगा (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए और 50% से अधिक महिलाओं के साथ माईक्रो/अनुसूचित जाति/जनजाति इकाईयों समूहों के लिए 80%)।

(iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS)

यह CLCSS एमएसएमई मंत्रालय लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना का काम कर रही है। इस योजना द्वारा उन सभी इकाइयों को जो गाँवों, छोटे, खादी और कॉयर औद्योगिक इकाइयों को क्रेडिट पर उनके उत्पादन (संयत्रं और मशीनरी) उपकरण और तकनीक के आधुनिकरण के लिए लाभ उठाया जा सकेगा।

इस योजना के तहत एमएसएमई संस्थागत वित्त का लाभ उठा सकते है जो उच्छी तरह से स्थापित और सुधार प्रौद्योगिकियों के शामिल करने के लिए निर्दिष्ट उपक्षेत्रों/प्रोडक्टस को मंजूरी दी गयी हो।

अपर्याप्त निवेश और दोनों गुणवत्ता मानकों और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के बारे में जागरूकता की कमी के कारण, इकाइयों का एक बड़ा प्रतिशत पुरानी तकनीक और संयंत्र और मशीनरी साथ जारी है। बढ़ती अर्थव्यवस्था उदारीकरण के कारण प्रतियोगिता के साथ, और लघु उद्योगों के अस्तिव के विकास में गंभीर उनके आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन पर निर्भर है। निर्माण की प्रक्रिया और संयंत्र और मशीनरी के उन्नयन के लिए आवश्यक है कि लघु उद्यमों के उत्पादन की लगात को कम करके व प्रतिस्पर्धा कीमत रखना और एक समय यह जब सस्ता उत्पादों वैश्विक बाजार में आसानी से उपलब्ध करा सकें।

इस योजना का उद्देश्य है कि सूक्ष्म व लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन को स्थापित करने के लिए उनके द्वारा संस्थागत वित्त उठाने पर 15% पूंजी सब्सिड़ी प्रदान करके अनुमोदित सब-सेक्टरस/प्रोडक्टस को सुविधाजनक करना है। संशोधित योजना के तहत स्वीकार्य पूंजी सब्सिड़ी संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की खरीद करने के संदर्भ के साथ गणना की है। इस संशोधित योजना के तहत सब्सिडी की गणना के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा को 40 लाख रूपये से बढ़ाकर 100 लाख रूपये 29-09-2005 से किया गया है।

इसके अलावा, इस योजना को लागू करने में जो अनुभव प्राप्त हुआ, कुछ अन्य संशोधन करके इसे एक बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी उन्नयन करके अधिक छोटे, खादी, गाँव और कायर औद्योगिक इकाइयों सिंहत एमएसएमई के लिए उपयोगी बनाना बनाना था। संशेधित योजना का उद्देश्य ऊपर लिखित ईकाइयों को 15% अग्रिम पूंजी सिब्सिडी 29 सितम्बर 2005 से लागू होगीं। निम्निलिखित उत्पादों/उपक्षेत्रों को प्रौद्योगिकी जरूरत दी जाएगी:

- (i) बाय-टेक उद्योग
- (ii) आम एफ्लुऐंट उपचार संयंत्र
- (iii) कोरोगेटीड बक्से
- (iv) ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स
- (v) रंगों और मध्यवर्ती
- (vi) औषधीय और सुगंधित पौधों पर आधारित उद्योग
- (vii) प्लास्टिक मोल्ड एक्सटुयडीड उत्पाद और कम्पोंनेंटस
- viii) रबड प्रसंस्करण साइकिल/रिक्शा टायर सहित
- (ix) खाद्य प्रसंस्करण आइस क्रीम निमार्ण सहित
- (x) पोल्टरी हैचरी और मवेशी चारा उद्योग
- (xi) आयामी पत्थर उद्योग (उत्खनन और खनन को छोडकर)
- (xii) ग्लास और सिरेमिक आइटम टाइलें सहित
- (xiii) चमड़ा और चमड़ा उत्पाद, जूते और परिधाान सहित
- (xiv) इलेक्ट्रानिक उपकरणों अर्थात मैजीयरिंग और एसैंबली/निर्माण, औद्योगिक प्रक्रिया नियंत्रण विश्लेषणात्मक, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता और उपकरण संचार आदि
- (xv) फैन और मोटरर्स उद्योग
- (xvi) जनरल लाइट सेवा लैंप (GLS)

- (xvii) सूचना प्रौद्योगिकी (हार्डवेयर)
- (xviii) मिनरल फील्ड ताप तत्वों
- (xix) ट्रांसफार्मर/ इलेकिट्रकल स्टांपिंग/लेमीनेशन/कोइलस/चोक्स, सेलेनाइड कोइल्स सहित
- (xx) तार और केबल उद्योग
- (xxi) ऑटो पार्ट्स और कम्पोनेन्टस
- (xxii) साइकिल पार्ट्स
- (xxiii) कोम्बसटन डीवाइसीस/एफालोइन्सीस
- (xxiv) फोर्जिंग और हैड़ टुल्स
- (xxv) ढलाई इस्पात और कास्ट आयरन
- (xxvi) जनरल इंजीनियरिंग वर्क्स
- (xxvii) गोल्ड प्लेटिंग और आभूषण
- (xxviii) ताले
- (xxix) स्टील फर्नीचर
- (xxx) खिलौने
- (xxxi) नान-फेरस फांड्ररी
- (xxxii) खेल सामग्री
- (xxxiii) सौंदर्य प्रसाधन
- (xxxiv) रेडीमेड गारमेंट्स

- (XXXV) लकड़ी के फर्नीचर
- (xxxvi) मिनरल वाटर की बोतलें
- (xxxvii) पेंट्स, वार्निश, अलकाइडस और अलकाइड उत्पाद
- (xxxviii) कृषि औजार और पोस्ट हार्वेस्ट उपकरण
- (xxxix) बेनीफिकेशन ऑफ ग्रेफाइट और फास्फेट
- (xl) खादी और ग्रामोद्योग
- (xli) कॉयर और कॉयर उत्पाद
- (xlii) इस्पात पुन: रोलिगं और/या पेंसिल इनगोट बनाने इंडस्ट्रीज
- (xliii) जिंक सल्फेट
- (xliv) वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स
- (xlv) सिलाई मशीन उद्योग

अच्छी तरह से स्थापित और बेहतर तकनीकों की एक सूची परीशिष्ट में संलग्न है। परीशिष्ट में उल्लेख की गयी संयंत्र व मशीनरी केवल साकेतिंक है। वास्तविक लागत सब्सिडी की गणना के प्रयोजन के लिए ली जा सकती है।

नोडल एजेंन्सी

इस स्कीम को सिडबी एवं नाबार्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगीं। जैसाकि प्रौद्योगिकी अनुमोदन बोर्ड की 5वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि निम्निलिखित नौ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/सरकारी एजेंसियों को भी कार्यान्वयन और पूंजी सब्सिडी की रिहाई के लिए शामिल किया गया है:

- i. केनरा बैंक http://www.canarabank.com/english/scriptsprioritycredit.aspx
- ii. नाबार्ड http://www.nabard.org/nonfarm_sector/clcss.asp
- iii. सिडबी http://sidbi.com/governmentclcss.asp

- iv. बैंक आफ बड़ोदा http://www.bankofbaroda.com/bbs/clcss.asp
- v. पंजाब नेशनल बैंक http://www.pnbindia.in/en/ui/home.aspx
- vi. तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिडेड http://www.tiic.org/incentives.html
- vii. आंध्रा बैंक http://andharabank.in/english/clcss.aspx

ऐलीजीबल क्राईटेरिया

इस स्कीम में जो मानदंड बनाया गया है उसमें एक मात्र प्रोपराईटरशिप, साझेदारी, सहकारी सिमितियों, निजी और एसएमई क्षेत्र में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ शामिल और महिला उद्यमियों को प्राथिमिकता दी जाएगी।

मौजुदा एसएमई जो राज्य उद्योग निदेशालय में पंजीकृत है वे अपनी मौजूदा संयंत्र और मशीनरी, विस्तार या बिना विस्तार, के उन्नयन की स्टेट-आफ-दी आर्ट टकनोलोजी के साथ को उपग्रेड करना चाहते हैं।

नई एसएमई जो राज्य उद्योग निदेशालय के साथ पंजीकृत है और वे GTAB/TSC से स्वीकृत है वे विधिवत अनुमोदित तकनीक सुविधाओं के साथ स्थापना कर चुके हो वे इस सुविधा के उपयुक्त पात्र होगें।

जो छोटे उद्योग मध्यम उद्योग बनने जा रहे है उनको CLCSS के तहत अतिरिक्त ऋण की मंजूरी के पात्र होगें। इस स्कीम में श्रम गहन/या निर्यात उन्मुख नए क्षेत्रों की गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।

आमतौर पर प्रौद्योगिकी उन्नयन का मतलब स्टेट-आफ-दी आर्ट या इसके निकट प्रौद्योगिकी का शामिल होना है। भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र में 7,500 से अधिक उत्पादों में प्रोद्योगिकी प्राप्त करके उनमें वर्तमान प्रौद्योगिकी के स्तर से उत्पाकता में अधिक सुधार करके और उन उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और पर्यावरण व काम के माहौल से इन इकाइयों को अच्छा बनाना है। इनमें अच्छी पैकेजिंग तकनीकी की स्थापना और प्रदूषण विरोधी उपायों और ऊर्जा सरंक्षण मशीनरी शामिल होगी। इसके आलावा, उन इकाईयों को जिनकों इन-हाउस टेस्टिंग की आवश्यकता आन-लाईन के साथ, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सुविधा इन इकाइयों की प्रौद्योगिकी उन्नयन की तरह ही दी जाएगी।

इस स्कीम में मौजुदा उपकरण/प्रौद्योगिकी के साथ उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी का प्रतिस्थापन के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी और न ही यह स्कीम पुरानी मशीनरी के साथ उन्नयन करने के लिए लागु होगी।

उपरोक्त लिखित मुद्दों पर विचार करने के बाद CLCSS के स्वरूप में संशोधित किया है:

- (i) स्कीकार्य पूंजी सब्सिडी की गणना संयंत्र और मशीनरी के संदर्भ के खरीद मूल्य के अनुसार होगी ताकि टर्म लोन जो लाभार्थी इकाई को दिया; और
- (ii) वर्तमान निवेश के आधार पर अलग स्लैबों में एमएसएमई का वर्गीकरण करने की प्रैक्टीस को दूर किया गया है जो कि सब्सिडी निर्धारण के पात्र रहे हैं।

(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (CGMSE)

इस ळिडैम् द्वारा इकाईयों को उपलब्ध ऋण को कोलेटरल फ्री बनाना हैं। इसमें दोनों मौजूदा व नई उद्यमों को शामिल किया गया है। इस स्कीम को मंत्रालय व सिडबी ने ळिज्डैम का एक ट्रस्ट की स्थापना की। इस CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) के कोष को 4:1 के अनुपात में किया गया जिसमें भारत सरकार व सिड़बी द्वारा 1906.55 करोड़ रूपये का ट्रस्ट को योगदान 31 मार्च 2010 था। जैसा कि एमएसई के पैकेज की घोषणा में 11वीं योजना के अंत तक कोष को 2,500 करोड़ बढ़ा दिया गया था।

ऋण संस्थान

इस योजना के तहत जो संस्थान योग्य पात्र हैं वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (सार्वजिनिक क्षेत्र के बैंक/निजी क्षेत्र बैंक/विदेशी बैंक) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड द्वारा 'सतत व्यवहार्य' श्रेणी के तरह वर्गीकृत किया गया है का चयन करगें। इन संस्थानों के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नार्थ ईसटर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड और सिडबी को इस का पात्र बनाया गया है। 31 मार्च 2010 तक 112 लैनिडिंग संस्थानों को इस ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत थे जिसमें सार्वजिनक क्षेत्र के 27 बैंक, 16 निजी क्षेत्र के बैंक, 61 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दो विदेशी बैंक और छ: अन्य संस्थानों जैसे कि एनएसआइसी, एनइडीएफआई, सिडबी और तिमलनाडू औद्योगिक निवेश निगम शामिल किए गये।

CGTMSE ने मल्टी चैनल दृष्टिकोण अपनाया है जिससे एमएसई संगठनों, उद्यमियों आदि प्रिंट और इलेक्ट्रनिक मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अपनी गांरटी योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और कार्यशालाओं और सेमिनारों द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए विभिन्न जिला/राज्य/राष्ट्रीय मंचो द्वारा जागरूकता पैदा करेंगे।

प्रमुख कारणों में से एक यह भी है कि बैंक इस क्षेत्र के लिए वित्त की कम उपलब्धता करा पाते है यह है कि एमएसई को कोलेटरल पर जोर दिया जाता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप इनको बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करा पाते । सूक्ष्म उद्यमों के लिए छोटे ऋण उपलब्ध नहीं होता जबकि पहली पीढी के उद्यमियों के लिए यह अधिक गंभीर समस्या है।

क्रेडिट पात्र सुविधा

इस योजना के तहत क्रेडिट सुविधा दी जाएगी उसके पात्र कार्यशील पूंजी और ऋण सुविधा उधार प्रति यूनिट 100 लाख रूपये होगा। जोिक किसी भी संपाश्रिक प्रतिभूति या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना बढ़ाया जाएगा जिसमें नए एवं मौजदा सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए उपलब्ध होगा। उन इकाइयों के लिए यह गारंटी योजना है, जो इकाईयाँ बीमार हो चुकी हैं और प्रबंध नियंत्रण से बहार है उनको इसके तहत कवर करके पुनर्वास सहायता दी जाएगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अगर ऋण सुविधा 50 लाख रूपये से अधिक है, यह अभी भी इस योजना के तहत कवर किया जा सकता है लेकिन गारंटी कवर केवल 50 लाख रूपये तक ही बढ़ाया जाएगी। इस योजना के तहत एक अन्य महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है कि ऋण सुविधा एक एकल ऋण संस्था से उधार इकाई द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, पहले से ही राज्य स्तरीय संस्था/एनएसआईसी/एनईडीएफआई द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है लेकिन वह सभी शर्ते पूरी करते हो। इसके अलावा जो सरकार द्वारा या अन्य एजेंसियों द्वारा संचालत योजना के तहत कवर हो रही होगीं तो इस कवरेज के पात्र नहीं होगें।

गांरटी कवरेज

गारंटी योजना के उपलब्ध कवर ऋण सुविधा की स्वीकृत राशि का 75% की हद तय की गयी है। यह गारंटी कवरेज की सीमा 80% उनको दी जाएगी जैसेकि:

- (i) लघु उद्योगों के लिए 5 लाख रूपये तक का ऋण;
- (ii) एमएसई द्वारा संचालित या महिलाओं के स्वामित्व; और
- (iii) उत्तरपूर्व क्षेत्र में सभी ऋण।

डीफाल्ट के मामले में ट्रस्ट उन दावों को सुलझाएगीं जो कि 75% (या 80% जहां तक एप्लीकेबल होगा) लैनडिंग संस्थानों द्वारा क्रेडिट सुविधा दी गयी है। इस प्रयोजन के लिए अदायेगी में चुक की राशि मुख्य धनराशि उधारकर्ता के खाते में बकाया राशि और वर्किकंग कैपिटल सुविधा की राशि व ब्याज सहित उस तिथि पर गैर-निष्पादित परिसंपति के रूप में गिना जाएगा।

गारंटी का कार्यकाल

इस गारंटी योजना के तहत कवर अवधि के ऋण/समग्र क्रेडिट की सहमित व्यक्त की अवधि के लिए है। कार्यशील पूंजी के मामले में, गारंटीकवर 5 साल या 5 साल के ब्लाक में से एक।

गांरटी के लिए शुल्क

इस योजना के तहत ट्रस्ट को देय शुल्क के एक बार में 1.5% की गारंटी शुल्क और क्रेडिट स्वीकृत सुविधाओं पर 0.75% की वार्षिक सेवा शुल्क है। 5 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए गांरटी एक बार शुल्क ओर वार्षिक सेवा शुल्क में 1% और 0.5% क्रमश है। उसके अलावा, उत्तर-पूर्व क्षेत्र में ऋण के लिए गांरटी एक बार शुल्क केवल 0.75% है।

वेबसाइट

CGTMSE का सचांलन इटरनेट के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसकी वेबसाइट

www.cgtsiorg.in है।

(V) ISO9000/ISO14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशील और जीवन के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। आर्थिक उदारीकरण और बाजार सुधारों की प्रक्रिया के लिए भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोला गया है।

इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक शिक्त बढ़ाने के लिए सरकार ने उनके तकनीकी उन्नयन/गुणवत्ता सुधार और पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। यह योजना उन छोटे पैमाने/सहायक उपक्रम के लिए है जो ISO9000/ISO14001/HACCP प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्कीम मार्च 1994 से लागु है अब यह स्कीम को बढ़ाकर जिससे खर्चे की वापसी की जाए जो फै14001 प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते है। इस स्कीम के तहत, 31 मार्च 2009 तक 18,778 कुटीर एवं लघु इकाईयों को इस योजना से लांभाकित किया गया है।

जो राशि पहले से ही किसी भी केन्द्र सरकार (डीसी एमएसएमई सिहत प्रोत्साहन योजना सिहत) राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान प्रतिपूर्ति की पात्रता को समायोजित किया जाएगा।

केवल एक समय के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमित दी गयी है जोिक ई-एम नम्बर के एवज में दी जाएगी जो ISO9000/ISO14001/HACCP प्रमाण पत्र कराना चाहते है; भले ही तथ्य यह है कि एक ही परिसर/स्थान या बाहर के भीतर एक युनिट(ओं) की तुलना में अधिक है।

यदि एक ISO9000/ISO14001 प्रमाण पत्र एमएसएमई ने संयुक्त रूप से लिया है (चाहे अलग स्थायी ई.एम. नम्बर है) कॉर्पोरेट/समूह के तहत, तो 75% पूरे खर्चे तक सीमित किया जाएगा वे 75,000 रूपये जो भी कम हो; प्रत्येक यूनिट को यथानुसार के आधार पर राशि मिलेगी।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- (i) यह स्कीम ISO9000/ISO14001/HACCP प्रमाण पत्र के खर्चे को 75% और अधिकतम 75,000 रूपये प्रत्येक मामले में।
- (ii) यह स्कीम उन एसएमई/सहायक युनिट/टायनी/एसएसएसबीई ईकाइयाँ प्रोत्साहन योजना के पात्र है।
- (iii) यह स्कीम उन सभी इकाईयों [(ii) में लिखी है।] पर भी लागु होगी जिन्होंने ISO9000/ISO14001/HACCP प्रमाण पत्र पहले से ले रखे हैं।
- (iv) यह अखिल-भारतीय विकास आयुक्त (एमएसएमई), लघु उद्योग मंत्रांलय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित योजना है। 20 अगस्त 2006 से आवेदकों को मंजूरी देने में देरी को कुम करने के लिए जांच समिती की प्रक्रिया समाप्त कर दी है।
- (v) यह स्कीम केवल एक उद्यमिता ज्ञापन संख्या के तहत ही एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी चाहे वह राज्य सरकार या डीसी (एमएसएमई) से ली गयी हो वह समायोजित मानी जाएगी।

- (vi) उसका अर्थ यह है कि प्रतिपूर्ति की कुल हकदारी अधिकत्तम सीमा केवल 75, 000 रूपये रहेगी। यदि किसी इकाई का उस राशि से कम हो तो प्रत्येक लघु उद्योग को शेष राशि मिल सकेगी।
- (d) केवल एक समय प्रतिपूर्ति ISO9000/ISO14001/HACCP प्रमाण प्राप्त करने के लिए ई.एम. नम्बर के आधार पर दिया जाएगा। चाहे लघु उद्योग इकाई एक हो या अधिक, परिसर के भीतर हो या बाहर।
- ([k) आईएसओ प्रमाणपत्र उद्योग श्रेणी के कार्पोरेट/समूह के तहत लघु उद्योग इकाईयाँ (यहां तक कि एक अलग स्थायी ई.एम. नम्बर) द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया जाता है तो कुल प्रतिपूर्ति 75% तक सीमित किया जाएगा और कुल व्यय संबंधित इकाईयों या रूपये के द्वारा किए 75,000 रूपये जो भी कम हो, प्रत्येक लघु उद्योग इकाई यथानुपात आधार पर राशि मिलेगी।

(vi) एमएसएमई निर्यातकों के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए)

बाजार विकास सहायता योजना जो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसका उपयोग निर्यातकों (लघु निर्यातकों सिहत) और विदेशी बाजारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से संचालित की जाती है। यह योजना अंतराष्ट्रीय मेलों, विदेशों में अध्ययन पर्यटन, व्यापार प्रतिनिधि मडलों, प्रचार आदि, लघु इकाइयों की बिक्री सह अध्ययन पर्यटन, मेलों प्रदर्शनियों और प्रचार में भाग लेने के लिए एमडीए के तहत प्रत्यक्ष सहायता में भाग लेने के धन उपलब्ध कराता है। सिडबी लघु उद्योग इकाइयों के विपणन से सर्बाधत गतिविधियों लिए प्रत्यक्ष वित्तपोषण सहायता की योजना चलाती है।

डीसी (एमएसएमई) का कार्यलय उद्यमियों के लिए अंर्तराष्ट्रीय प्रदर्शिनियों व मेलों द्वारा विदेशों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए पोत्पाहित करता है।

इस मौजूदा योजना के तहत उद्योमियों को प्रर्दशनियों को जगह उपलब्ध कराता है जो एक्स-मुबंई लागत से मुक्त लदान प्रदान करता है।

उपर्युक्त घोषणा के अनुसरण में और तथ्य यह है कि (i) लघु निर्यातकों के लिए अपने प्रयासों में दोहन और विदेशी बाजारों के विकास में प्रोत्सिहत करने की जरूरत है और (ii) निर्णय लिया गया है कि अंर्तराष्ट्रीय मेलों में एमएसएमई डीओ वास्तविक निर्यातकों के साथ मिलकर, निर्यात कारोबार में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए नेतृत्व करेंगे, एक नई एमएसएमई निर्यातकों बाजार विकास (MSME MDA) स्कीम नामक योजना चलाने का निर्णय लिया गया है।

यह स्कीम मौजुदा योजना जो MSME-DO द्वारा संचालित की जाती है उन सभी गतिविधियों के अलावा जो प्रत्यक्ष रूप से वाणिज्य मंत्रालय मौजुदा एमडीए योजना के तहत दिया जाता है इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा यह योजना बाजार अध्ययन रिर्पोट के लिए वित्तीय सहायता एंटी-डॉपिंग मामलों के शुरूआत करने के लिए व इन केसों को लढने के लिए सहायता प्रदान करेगा।

उद्देश्य

- 1. लघु व कुटीर निर्यातकों को विदेशी बाजारों के विकास में अपने प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए ।
- 2. छोटे व माइक्रो विनिर्माण उद्यमों के प्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एमएसएमई भारत स्टाल के तहत अंर्तराष्ट्रीय व्यापार व प्रदेशनियों में भागीदारी बढाने के लिए।
- 3. छोटे/माइक्रो विनिर्माण उद्यमों से निर्यात बढाने के लिए।
- 4. एक बड़े पैमाने पर बार कोड़िंग को अपनाने और लोकप्रिय बनाने के लिए।

योजना के लिए वित्त प्रदान करना

- 1. एमएसएमई भारत स्टाल के तहत इंटरनेशनल व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में लघु और कुटीर उद्योगों की भागीदारी।
- 2. विशिष्ट बाजार अध्यनों के लिए उद्योग संघों/निर्यात सर्वर्धन परिषदों/फियो को वित्त उपलब्ध कराना।
- 3. एमएसएमई संघो द्वारा डपॉंग मामलों के लिए।
- 4. पहले तीन वर्षों के लिए लघु और कुटीर इकाईयों द्वारा एक बार पंजीकरण शुल्क के 75% की पूर्तिपूर्त्ति (9 जनवरी 2002) और वार्षिक शुल्क 75% (आवर्ती) जीएसआई (1 जून 2007) के लिए पहले तीन वर्षों के लिए भुगतान बार कोड के लिए किया जाना।

पात्रता का तरीका

- 1. यूनिट के पास वैध स्थायी पंजीकरण निदेशालय आफ इंडस्ट्रीज के साथ/ जिला उद्योग केन्द्र।
- 2. छोटे माइक्रो/विनिमार्ण इकाईयों का चयन एमएसएमई जिले द्वारा किया जाएगा। यह उनकी उत्पाद फ्रोफाइल मेले के थीम और स्थान की उपलब्धता पर आधारित होगा।
- 3. ये उद्यम एक वर्ष में एक बार इस स्विधा का लाभ ले सकते हैं।
- 4. भाग लेने वाली इकाई का केवल एक ही व्यक्ति हवाई किराए की सब्सिडी का पात्र होगा।
- 5. एमएसएमई भारत स्टाल के तहत इंटरनेशनल व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में जगह के लिए सामान्य श्रेणीयों के उद्यमों द्वारा 50% किराए का भुगतान करना पड़ता है जो कम से कम 6 मीटर का होगा। इसका भुगतान एक डी डी द्वारा जो पीएओ (एसएमई), नई दिल्ली के नाम से बनेगा और एमएसएमई जिला उद्योग को मेले के एक महीने पहले देना होगा। यदि चयनित इकाईयाँ अधिक स्थान बुक कराना चाहती है जो 1 × 3m² यथानुपात आधार पर भुगतान होगा।
 - जबिक महिलाएँ, अनुसूचित जाति और अनसू<mark>चित जन</mark>जाति के उद्यमियों और पूर्वी क्षेत्र उद्यीमियों को मेले में स्थान का भुगतान की जरूरत नहीं है।

6. यूनिटों के प्रतिनिधियों को समान को ले जाने और वापस लाने ओर कस्टम क्लीयरेंस आदि को एसएमएसई भारत स्टाल के तहत अंर्तराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदशनियों का प्रबंध आवश्यक है।

यह स्कीम विदेशी मेलों में भाग लेने के लिए व व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों में एमएसएमई उद्यमियों द्वारा भाग लेने पर हवाई किराए का 75% तक धन उपलब्ध कराता है। यह स्कीम प्रचार समाग्री के लिए (लागत का 25%) धन और विशेष अध्ययन के लिए (2 लाख रूपये तक) और एंटी डिपंग मामलों (50% या एक लाख रूपये तक) की सुविधाएँ दी जाती है।

अनुमत सब्सिडी

- i. भारत सरकार इवाई किराए का 75% (इकानॉॅंमी क्लास) और 50% स्थान के किरायें का लघु व कुटीर मैन्युफैक्चरिंग उद्यमियों की प्रतिपूर्ति करेगी।
- ii. महिला/अनुसचित जाति/जनजाति के उद्यमियों और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सरकार के लिए इकानाँमी क्लास के हवाई किराए का 100% की प्रतिपुर्ति करेगी।
- iii. प्रति युनिट सब्सिडी को 1.25 लाख रूपये तक प्रतिबंधित किया जाएगा जिसमें हवाई किराया और स्टाल का खर्चा शामिल है।

क्षेत्र विशेष बाजार अध्ययन

बाजार अध्ययन के संचालन के लिए वित्तीय सहायता उद्योग संघों/निर्यात संवर्धन परिषदों, फिइयों को उपलब्ध होगी। यह केवल उनपर दी जाएगी जिनमें एमएसएमई की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। डीसी (एमएसई) का कार्यालय भी इस तरह के अध्ययन के लिए स्वतंत्र रूप से अध्यन कराता है और इस पर 2 लाख रूपये की एक समग्र सीमा सीमित की जाएगी।

एंटी-डपिंग मामले

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ, अनुचित व्यापार व्यवहार का उपयोग तेजी से होने लगा। इस अनुचित व्यापार की व्यवहारिकता जैसे कि एंटी-डिपंग मामलों के लिए ग्रांऊड वर्क की आवश्कता है। इनके विरूद्ध काम करने के लिए एमएसएमई संघों के लिए 50% लागत तक सीमित होगा।

(vii) मिनी टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र

भारत सरकार ने कुछ मिनी टुल रूम और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 50 करोड रूपये प्रत्येक अनुमानित लागत निर्धारित की है। इस क्रम में डिजाइन और टुल्लींगस के निर्माण के लिए प्रदान से लघु उद्योगों के उपकरण और कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस तरह के केन्द्रों की स्थापना का अनुमानित लागत 15 करोड़ रूपये (जिसमें 10 करोड़ रूपये की मशीनरी/उपकरण सिहत)। हांलािक, प्रस्तािवत गतिविधियों के आधार पर लागात भिन्न हो सकती है। यह केन्द्रीय सहायता एक बार ही दी जाएगी जो 90% (9 करोड़ रूपये तक प्रतिबंधित प्रत्येक मामले) के बराबर होगी। मौजूदा मिनी टूल रूम को उन्नत/आधुनिकीकरण के मामले यह 75% (7.50 करोड़ रूपये) प्रतिबंधित होगी मशीन/उपकरण की लागत, भूमि और भवनों और आवर्ती लगात राज्य/राज्य एजेंसियों द्वारा पूरा किया जाएगा।

उद्देश्य

मिनी टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र का उद्देश्य इस प्रकार है:

- (क) एसएमई उद्योगों के लिए जिग्स, उपकरण, गेज, प्रेस, उपकरण, प्लास्टिक मोल्डस, फोरजिंग डांइज और प्रेशर कास्टींग डांइज के निर्माण करना।
- (ख) उपकरण विनिर्माण और उपकरण डिजाइन में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए कुशल श्रमिकों, सुपरवाइजारों, इंजीनियरों/डिजाइनरों आदि का वर्कफोस तैयार करना।
- (ग) उद्योगों के टूलींग से सबंधित समस्याओं को हल करने के लिए प्रलेखन, कसंल्टेंसी, सूचना सेवा प्रदान करने के न्यूक्लिस केन्द्र के रूप में काम करने के लिए इसकी स्थापना करना।
- (घ) लघु उद्योगों के लिए एक कामन फेशीलिटी सुविधा केन्द्र की तरह काम करना और उन्हें उत्पाद और प्रोटोटाइप विकास में सहायता देना।

(viii) उद्यमिता विकास संस्थान को सहायता

उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) की स्कीम को एमएसएमई-डीओ द्वारा लागु की जाएगी। इस स्कीम द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी होगी।

केन्द्रीय सहायता राज्य/यूनियन टैराटरी सरकारों व अन्य एजेंसियों के प्रयासों को इस कार्यक्रम शामिल होने पर दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता प्रत्येक मामले की विशिष्ट जरूरतों के लिए किया जाएगा जिसमें उपकरणों और अन्य सेवाए मैचिंग आधार पर होगा जो लागत का 50% और प्रत्येक मामले में 100 लाख रूपये प्रतिबंधित होगा।

राज्य सरकार ईडीआई के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों की जांच करके विकास आयुक्त (एमएसएमई) निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को केन्द्रीय सहायता की सिफारिश के लिए भेजेगा। इन प्रस्तावों को स्पष्ट रूप से मद व अनुमानित लागत और वित्त स्त्रोंत का सकेंत देगा। जांच समिति द्वारा राज्य सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की छानबीन करेगें।

(ix) लघु वित्त कार्यक्रम योजना

स्वयं रोजगार के अवसर पैदा करके बेरोजगारी व गरीबी जैसी समस्याओं को हल करने का तरीका हैं। माईक्रो क्रेडिट की योजना द्वारा गरीबी के स्तर से ऊपर उन्हे प्रदान करके एक प्रभावी साधन के रूप में पाया गया है। फलस्वरूप स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इस देश में माइक्रो क्रेडिट की कुल आवश्यकता का मुल्यांकन 50,000 करोड़ रूपये आंका गया है। माईक्रो-क्रेडिट कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सेवा समूहों के माध्यम से काम करती हैं और उस राशि की निगरानी व वापसी करने की योग्यता साप्ताहिक और किश्तों पर की जाती है।

वर्ष 2003-04 में सरकार ने एक लघु-वित्त कार्यक्रम की योजना शुरू की है। यह योजना सिडबी के मौजुदा कार्यक्रम के साथ किया गया है। सिडबी ऋण प्राप्त करने के लिए उधार का 10% लेती है। इसमें एमएफआई/एनजीऔ के शेयर ऋण राशि (यानी सूरक्षा जमा के 25%) के 2.5% है और शेष 7.5% (यानी सुरक्षा जमा के 75%) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई राशि से समायोति किया जाता है।

सिडबी के माइक्रों क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वसूली की दर 98% के रूप में ऊची है। यद्यपि विभिन्न विभागों और संगठनों द्वारा यह माईक्रो क्रेडिट स्कीम अपने क्षेत्रों की गतिविधियों में लागू की गयी है लेकिन उनकी पहुँच बहुत कम हैं। यह 5,000 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। फिर भी इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरतों का केवल 5% से 10% को पूरा करने और इस तरह के कार्यक्रमों के विस्तार के लिए काफी गुंजाइश है।

भारत में माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रमों को मुख्य रूप से नाबार्ड कृषि क्षेत्र में और सिडबी उद्योग, सेवा और बिजनेस (आईएसबी) के क्षेत्र में इन संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम की सफलता सेवाओं के विविधकरण में निहित है। सिडबी की माइक्रों वित्त योजना जनवरी 1999 से चल रही है। इसके तहत कोष में 100 करोड़ रूपये है और इस नेटवर्क के 190 क्षमता वालों MFIs/NGOs का आंकलन किया है।

यह महसूस किया है कि योजना की पहुँच के विस्तार के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। NGOs/MFIs की लम्बे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए और मध्यस्थों के विकास करने के परियोजनाओं की पहचान।

(क) एमएफआई/एनजीओं के लिए सावधि जमा की व्यवस्थाः

सिडबी पहले से ही माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम चला रहा है जिससे उन सस्थाओं के नेटवर्क की क्षमता का मुल्यांकन किया जाता है। यह स्कीम सिडबी के साथ बंधी हुई है जिसमें एमएफआई/एनसीओज से आवश्यक शुरूक्षक जमा के प्रति योगदान के माध्यम से किया गया है। इस स्कीम में मैनयुफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और नान-फार्मिंग गतिविधियाँ शामिल की गयी है।

(ख) लघु वित्त कार्यक्रम पर प्रशिक्षण और अध्ययनः

भारत सरकार सिडबी की सहायता करेगीं जिसमें गैर सरकारी सगठनों, स्व-सहायता समूहों, बिचौलियों और उद्यमियों के कार्यक्रमों में जागरूकता बढ़ाएगी। यह कार्य राष्ट्रीय स्तर के ईडीआईज और एसआईएसआईड के माध्यम से काम करेगी। अनुसंधान अध्ययन भी प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से व्यवस्थित की जाएगी।

(ग) "बिचोलियों" संस्था निर्माण के लिए व्यवहार्थ परियोजनाओं की पहचान:

भारत सरकार संस्थान निर्माण में पहचान और विकास के माध्यम से "मध्यस्थ संगठन" को बनाने में सहायता करेगी। जिससे एनजीओज/एसएचजीस को परियोजना रिर्पोट की तैयारी, आगे और पिछडें लिकेंज में काम हेतु, विपणन/टेक्नालाजी अनुंबध सहायता देगी। विभिन्न क्षेत्रों में SISIs बिचोंलियों की पहचान करने में मदद करेगी।

(x) राष्ट्रीय पुरूस्कार योजना

पिछले पाँच दशकों में एमएसएमई का विशाल विकास हुआ है। इन इंटरप्राइसिस ने जबरदस्त रूप से विकास और प्रगति इस देश में दर्ज की है। चाहे वह उत्पादन हो, निर्यात, नवाचार, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन के मामले हो। देश में औद्योगिक उत्पादन के आधार पर योजनाकारों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना उम्मीद उद्देश्य से बहुत ज्यादा है।

उद्यमशीलता प्रयासों से यह संभव हुआ कि कई आइटमों की संख्या का उत्पादन किया जाने लगा जो अब तक ये आयात किए जाते थे। काफी कुछ मामलों में नए उत्पादित वेरिएंट उनके मूल संस्करण की तुलना में अतिरिक्त विशेषताओं से उपयोगकर्त्ता समस्याओं को हल करने में सक्षम है। एमएसएमई के उद्यमियों की महत्त्वाकाक्षांओं और दुरदर्शी भावनाओं से यह सभंव हुआ है।

उद्देश्य

एमएसएमई मंत्रालय लघु उद्योगों के प्रयासों और योगदान को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरूस्कार योजना के तहत चयनित उद्यमियों और उद्यमों को राष्ट्रीय पुस्कार देता है।

आवधिकता व पात्रता

यह राष्ट्रीय पुरूस्कार कैलंडर वर्ष के लिए एमएसएमई के योग्य उद्यमियों को जिनके पास स्थायी पंजीकरण अधिकारियों के पास उद्यमियों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित ज्ञापन, जो अधिनियम 2006 जो 2 अक्टूबर 2006 को अस्तित्व में आया, दायर होगा। एमएसएमई निरंतर उत्पादन/सेवा पिछले चार वर्षों से कर रहा है। इस पुरूस्कार की कार्य योजना डीसी (एमएसएमई) के तहत की जाती है। उसका संक्षित विवरण नीचे दिया गया है:

- (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के इन्टरप्रेनेयूर्शिप में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए।
- (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में अनुंसधान एवं विकास के प्रयासों के लिए।
- (ग) सूक्ष्म, लघु उद्यमों में चयनित उत्पादों में गुणवत्ता के लिए।
- (घ) राष्ट्रीय पुरूस्कार उद्यमिता सेवाओं के लिए।

राष्ट्रीय पुरूस्कार के लिए पहले तीन उद्यमियों को एक लाख रूपये, 0.75 लाख रूपये और 0.50 लाख रूपये क्रमश: का नगद पुरूस्कार दिया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति और एनईआर उद्यमियों के लिए विशेष राष्ट्रीय पुरूस्कार भी एक लाख रूपये का नगद पुरूस्कार दिया जाता है।

(xi) पाँच चयनित विश्वविद्यालय/कॉलेजों को जो 1200 उद्यमिता क्लब प्रतिवर्ष समर्थन योजना

एक पैकंज जिससे एमएसएमई को प्रोत्साहन देना हो, परिपत्र न॰ 2(6)/2006-एमएसएमई दिनाँक 7 नवम्बर 2006 में आर्थिक मामलों की सिमित द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इस स्कीम को चलाने के लिए लोकसभा में 27 फरवरी 2007 और राज्यसभा में 2 मार्च 2007 को इस प्रोत्साहन पैकंज की घोषणा की गयी जिससे पाँच चयनित विश्वविद्यालय/कालेजों को जो 1200 उद्यमिता क्लब चला सकें। ये पाँच विश्वविद्यालय प्रत्येक राज्य में होगें जैसे कि उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और नार्थ-इष्ट क्षेत्रों में प्रत्येक विश्वविद्यालय को 240 क्लब प्रतिवर्ष चलाने होगें और प्रत्येक क्लब के पास 50 उद्यमियों को लाभन्वित किया गया हो।

उद्देश्य

यह योजना उद्यमियों को स्वरोजगार उपक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और इस योजना से उद्यमियों, विश्वविद्यालयों और एमएसएमई विकास (MSMEDI) को संस्थानों को साथ में लाना होगा। इसके अतिरिक्त यह उद्यमियों को साथ लाने के लिए एक बेस का काम करेगा जो आम समस्याओं को हल करने के लिए पैरवी मोड़ से सरलीकरण मोड़ बदलाव का काम करेगा और यह हार्ड हस्तक्षेप जैसे कि प्रौद्योगिकी से लेकर सोफ्ट इंटरवेनशन जैसे कि कार्यशालाओं संगठनों का आयोजित करना, आईएसओ प्रमाणिकरण प्राप्त करने के दिशानिर्देश देना, आईएसआई मार्क्स, व्यापार मेले के भाग लेने, गुणवत्ता प्रबंधन उपकरण के कार्यान्वयन करना।

इस योजना का परिणाम

यह क्लब विचारों के अदान-प्रदान के लिए एक मंच हो जाएगा जैसे कि:

- 1. नई प्रौद्योगिकी
- 2. बाजार का संज्ञान और संभावित
- 3. मानव संसाधन के लिए प्रशिक्षण
- 4. नई अवधारणाओं की पहल
- 5. क्षेत्र
- 6. एंटी-डमपींग के लिए सुझाव
- 7. वैश्वीकरण की वजह से हमारे देश में वस्तुओं के आगमन पर गतिविधियों की निगरानी (यह सूची केवल साकेंतिक है)।

इन क्लबों को एक महीने में एक बार मिलने और कार्यवाई तय करने के उपरोक्त गतिविधियों पर विचार होगा। किसी भी राज्य या केन्द्र में सरकार द्वारा नीतियों में बदलाव को प्रदान करने के लिए आवश्यक अध्ययन के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा, देश में प्रदर्शनियों में सदस्यों की भागीदारी भी क्लब द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है।

कार्यान्वयन के लिए कदम

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर, उद्यमिता क्लब दिशा निर्देशों के अनुसार के रूप में गठन किया जाएगा। ये क्लब महीने में एक बार मिलेगें और गतिविधियों पर विचार करके कार्यवाई तय करेगें। निदेशक एमएसएमई-डीआई अनुमोदित गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय के नाम से पैसा देगा। निदेशक को अगर विश्वास है तो वह विश्वविद्यालय को एंडवास में पैसा देगा, यदि यह आवश्यक है। निदेशक के पास कुल आंवटन में से प्रत्येक कल्ब की जरूरतों को पैसा वितरित करने की पावर होगी। (अधिक सिक्रय वाले क्लबों को अधिक पैसा और कम सिक्रय क्लबों को कम पैसा) ग्यारवी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित बजट का प्रावधान 12.50 करोड़ रूपये का आंविटत किया गया था।

छोटे उद्यमों को स्वालम्बी बनाने के लिए उनकी रक्षा बढ़ावा और मदद हेतु कई प्राकर की सुरक्षा और प्रचार के नीतिगत उपायों का सरकार ने निर्णय लिया है वे निम्नलिखित है:

- (i) औद्योगिक विस्तार सेवाएं,
- (ii) ऋण सुविधाओं के संबंध में संस्थागत समर्थन,
- (iii) प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रावधान,
- (iv) अवक्रय शर्तो पर मशीनरी की आपूर्ति,
- (v) घरेलू विपणन और निर्यात के लिए सहायता, और
- (vi) तकनीकी परामर्श और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता, आदि।

आरक्षण नीति एमएसएमई क्षेत्र के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण नीति में किया गया है। इसको सुनिचित करने के दो उद्देश्य हैं, लघु उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगारों के अवसरों का विस्तार और एमएसएमई में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि। एसएमई क्षेत्र में विशेष निर्माण के लिए वस्तुओं के आरक्षण कानून इंडस्ट्रीज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में यह प्रदान किया जाता है। यह एक उपयुक्त व्यवहार्यता है कि एक आइटम के आरक्षण के लिए भारी विचार और गुणवत्ता व समक्षोता किये बिना एमएसएमई क्षेत्र में बनाया जा रहा है। लेकिन, इस क्षेत्र को प्रदान के लिए एक उद्देश्य के साथ, प्रौद्योगिकी उन्नयन, ओर निर्यात पैमाने की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अवसर, जो आरक्षित वस्तुओं को समय-समय पर डीरीजर्वड किया गया है। उत्पाद के आरक्षण/डीरीजवर्ड के मुद्दे को निरंतर आधार पर आरक्षण पर एक सलाहकार सिमित अधिनियम के तहत गठित द्वारा जांच की जाती है।

वर्ष 2006-07 के दौरान 180 एसएमई उद्योगों में निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं को डीरीर्जवड किया गया है। 13 मार्च 2007 को, 125 आइटम डीरीजर्वड किया गया और 8 फरवरी 2008, 79 के रूप में अधिक डीरीर्जवड रहे थे। वर्तमान में, सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में विशेष निर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की कुल संख्या 35 है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा कई योजनाओं और कार्यक्रमों को उपयोग और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के साथ की गयी है:

- (i) वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त ऋण;
- (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए धन;
- (iii) एकीकृत अवसरचनात्क सुविधाए;
- (vi) आधुनिक परीक्षण सुविधाओं और गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं; और

- (v) आधुनिक प्रंबधन प्रथाओं, उद्यमशीलता विकास और उचित प्रशिक्षण की सुविधा के माध्यम से कौशल, उन्नयन, आदि जो योजनाएँ शामिल है वे इस प्रकार है:
 - कर अवकाश योजना
 - समग्र ऋण योजना
 - औद्योगिक एस्टेट योजना
 - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए योजना
 - सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान योजना
 - पांरपिक उद्योगों के उत्थान के उत्पादन के फंड की योजना (SFURTI)
 - उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग की योजना (PRODIP)
 - खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना के तहत खादी कारीगरों के लिए योजना
 - ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (ISEC) की योजना
 - बार कोडिंग में वैश्विक मानको (GSI) का उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता।
 - मंत्रालय द्वारा सीधी संचालित योजना
 - सर्वेक्षण, अध्ययन, और पॉलिसी रिसर्च की योजना
 - इस योजना के दिशानिर्देश के लिए प्रशिक्षण संस्थानों (अंग्रेजी/हिन्दी) की सहायता
 - राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (RGUMY) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से कार्यान्वित
 - विपणन सहायता योजना (हिन्दी/अंग्रेजी)
 - परफोरमेंस और क्रेडिट रेटिंग योजना (हिन्दी/अंग्रेजी)

केवीआइसी के माध्यम से सहायताः

- उत्पादन योजना पर बाजार विकास सहायता के दिशानिर्देश
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
- उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैंकेजिंग (PRODIP)
- खादी कारीगर जनश्रीबीमा योजना खादी आर्टिजनों के लिए

- ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (ISEC)
- उत्पादकता बढ़ाने और खादी उद्योग की प्रतिस्पर्धा और कारीगरों के लिए योजना
- खादी कारीगरों के लिए वर्कशैंड योजना

कोयरर्बोड के माध्यम से कार्यान्वितः

कोयरबोंड उद्योग के कार्यांकल्प, आधुनिकीकरण ओर प्रौद्योगिकी उन्नयन लघु और मझौले उद्यम/क्रेन्द्रीय/राज्य सरकारों, अन्य केन्द्रीय/राज्य और एसएमई क्षेत्र, राष्ट्रीय/राज्य स्तर उद्योग संघों, गैर-सरकारी संगठनों, और उद्यमियों की उन्नित और विकास में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगे हुए एजेंसियों के लिए एक इलेक्ट्रनिक नेटवर्क तैयार किया गया है। यह सूचना प्रदाताओं और एसएमई क्षेत्र के विकास के विषय में चाहने वालों के बीच नेटवर्क गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए है। कुछ योजनाए कार्यवाही के लिए शामिल की है वे इस प्रकार से है:

(i) सर्वेक्षण, अध्यन और पॉलिसी रिसर्च योजना इस योजना का उद्देश्य इस प्रकार है:

- (क) नियमित रूप से समय-समय पर प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य स्त्रोतों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों का प्रांसगिक और विश्वनीय डेटा एकत्र करना (चाहे ये छोटी, छोटे उद्योग, खादी, ग्रामीण उद्योग या कोयर) एक समग्र समूह या उसके विशिष्ट खण्डों के रूप में।
- (ख) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में एमएसएमई की बाधाओं को अच्छी तरह से उनकी चुनौतियाँ व अवसर के आधार पर अध्यन और विश्लेषण करने के लिए, अनुमवजन्य डेटा को प्रस्तुत करना।
- (ग) इन सर्वेक्षणों और विश्लेषात्मक अध्यन के परिणामों का उपयोग करना।

(ii) परिम्परिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि योजना (SFURTI)

सरकार ने SFURTI योजना की शुरूआत की है जो पाँच वर्षों के लिए लागु होगी जिसके तहत 100 परम्परागत उद्योग समूहो (खादी, ग्राम उद्योग और कोयर) को शामिल किया है। इस योजना की केवीआईसी और कोयर बोर्ड नोडल एजेंसियाँ है जो खादी और ग्रामोउद्योग क्षेत्र, क्लस्टर विकास पद्धित पर आधारित के उत्थान के लिए पहली व्यापाक पहल होगी। इस योजना के दिशा निर्देश 3/10/2005 को जारी किये थे। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के विचार/अनुमोदन के लिए क्लस्टर विकास के लिए लघु उद्योग मंत्रालय को अपने प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। 13 जनवरी 2006 का सिचव (लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामिण उद्योग) की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप की संरचना की है जिसमें क्लस्टर विकास के लिए लघु उद्योग मंत्रालय को प्राप्त प्रस्तावों की जांच के लिए जांच सिमित स्कीम सहायता करेगी।

(iii) उत्पाद विकास, डिजाइन हस्तक्षेप और पैंकिजिंग (PRODIP) स्कीम – इस स्कीम को नवम्बर 2002 में लागु किया था जिससे खादी उत्पादों की गुणवत्ता और नए उत्पादों में विविधता लाई जा सके। इस स्कीम की परिकल्पना की गई है जिससे नए डिजाइन और उत्पादों की बेहत्तर पैंकेजिंग और उत्पाद की गुणवत्ता मिले।

(iv) राजीव गांधी मित्र योजना (RGUMY) – यह देखा गया है कि उद्यमियों को, विशेष रूप से नए उद्यमियों को, सरकारों/वित्तीय संस्थाओं की उपलब्ध योजनाओं का लाभ उठाने में आमतौर पर कठिनाइओं का सामना करना पड़ता है चाहे वे विभिन्न कानूनों/नियामों के तहत विभिन्न औपचारिकताएं और कानूनी आवश्यकताओं के साथ प्रौद्योगिकी के चयन में, पालन में कठिनाई, खरीदारों और विक्रेताओं आदि के साथ टाई-अप। इन आंकाक्षाओं के बीच के अंतर जो संभावित उद्यमियों और ग्राउंड वास्तविकताओं को कम करने के लिए उनका हाथ पकड़ने और समर्थन की आवश्यकता है विशेषकार उद्यमों के प्रबंधन के प्रांरभिक चरणों के दौरान।

इस राजीव गांधी उद्यमी मित्र के उद्देश्य इस प्रकार है:

- 1. संभावित पहली पीढ़ी के उद्यमियों को जो पहले से ही सफलतापूर्वक या उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी)/कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीपी)/सह उद्यमिता कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएसडीपी)/वोकेशनल प्रशिक्षण के लिए चयनित नेतृत्व एजेंसियों के माध्यम से कार्यक्रम और हैंडहोल्डोंग करके जो वे विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी अड्चनों के साथ निपटने के लिए जिससे उद्यम को स्थापित करने और चलाने के आवश्यक औपचिरकताए पूरी की जा सके।
- 2. एक उद्यमी हेल्पलाइन (MSME Call Centre) के माध्यम से सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, प्रक्रियात्मक के बारे में औपचरिकताएं पूरी कराके उद्यम की स्थापना और चलाने में और बैंक ऋण आदि में मदद की जाए।

उद्यमी मित्रास की पात्रता

पहली पीढ़ी व संभावित उद्यमियों को सहायता और हैंडहोलडिंग समर्थन प्रदान करने हेतु चयनित नेतृत्व एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। निम्नलिखित एजेंसियों/संगठनों को प्रमुख रूप से उद्यमी मित्रता के लिए नियुक्त किया जा सकता है:

- (i) मौजूदा राष्ट्रीय स्तर उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई)।
- (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान/शाखाएँ।
- (iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो माइक्रो व लघु उद्योग के विकास और संवर्धन जैसे कि, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि।
- (iv) सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों के चयनित राज्य स्तरीय ईडीई और उद्यमिता विकास केन्द्र।
- (v) खादी और ग्रामोउद्योग आयोग।
- (vi) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कलस्टर में शामिल के लिए स्थापित उद्यमिता विकास।
- (vii) एमएसई/लघु उद्योगों के सक्षम संघ।
- (viii) अन्य संगठन/प्रशिक्षण आदि संस्थानों जो गैर सरकारी संगठनों उद्यमिता विकास/कौशल विकास में शामिल है।

उद्यमी मित्रास का रोल व जिम्मेदारियाँ

उद्यमी मित्रास यानी चयनित प्रमुख एजेसियों निम्नलिखित सेवाओं के लिए सहायता और हैंडहोलडिंग प्रदान करेगी।

- 1. नेटवर्किंग, समन्वय और पालन हेतु विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियाँ/संगठनों/रेगुलेटिरी एजेंसिया और दूसरी एजेंसियों जैसे कि बैंक/वित्तीय संस्थाए, जिला उद्योग केन्द्र जैसी एजेंसियाँ प्रौद्योगिक प्रदाता, बुनियादी ढा़चे प्रदाता, प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों की स्थापना की मदद करेगी। उद्यमी मित्रास से यह उम्मीद की जाती है कि वे पहली पीढ़ी के उद्यमियों की मदद करें:
 - (क) उपयुक्त परियोजना, उत्पाद की पहचान और एक विनियोजनीय की तैयारी और उसी के लिए परियोजना रिर्पोट तैयार करना।
 - (ख) स्वामित्व फर्म/साझेदारी फर्म/कंपनी सोसायटी/स्वयं सहायता समूह आदि की स्थापना हेतु।
 - (ग) एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित ज्ञापन की फाइलिंग
 - (घ) नेटवर्किंग द्वारा बैंक ऋण, स्वीकार्य पूँजी/केन्द्रीय/राज्य सरकार की विभिन्न सब्सिडी सहायता और अन्य एजेसियों/संगठनों/संस्थाओं की योजनाओं के तहत लोन लेने की सुविधा।
 - (ङ) कार्यालय/शेड की स्थापना व काम में सहायता।
 - (च) पावर लोड/कनेक्शन की स्वीकृति।
 - (छ) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चयन और संयत्र, मशीनरी व उपकरण की स्थापना।
 - (ज) विभिन्न पंजीकरण, लाइसेंस मंजूरी/अनापत्ति प्रमाणपत्र से संबधित एजेंसियों, सरकारी विभागों, स्थानीय निकाओं, नगर निगम के अधिकारियों आदि से प्राप्त करना।
 - (झ) पैन कार्ड और सर्विस कर/बिक्री कर/वैट पंजीकरण आदि आंवटन में सहायता।
 - (ञ) बैंकों से पूंजी ऋण की स्वीकृति।
 - (ट) कच्चे माल के आपूर्त्तिकर्ताओं के साथ व्यवस्था।
 - (ठ) उत्पाद/सेवा के लिए विपणन रणनीति की तैयारी और बाजार का विकास।
 - (ढ) भविष्य में मार्गदर्शन प्रदान के लिए एक गुरू के साथ संबंध स्थापित।
 - (ण) वेब पेज और ई-मेल के निर्माण में सहायता।
- 2. एक बार उद्यम सफलतापूर्वक की स्थापना होने के बाद और आगे का पालन के लिए कम-से-कम 6 महीने तक उद्यमी मित्रास उद्यम के कामकाज पर और विभिन्न प्रंबधकीय, वित्तीय आदि पर काबू पाने व परिचालन समस्याओं में मदद।

उद्यमी मित्रास पैनल

लघु उद्योग मंत्रालय के उद्यमशीलता के कार्य में लगे हुए संगठन जैसे कि राष्ट्रीय-स्तर की इडीस/एमएसएमई डीआइस और उनकी शाखाएँ/केवीआइसी/एनएसआईसी, कोयरबोर्ड और इस तरह के अन्य संगठनों को लघु उद्योग मंत्रालय ने मंजूरी दे रखी हो, पैनल के रूप में शामिल किया जाएगा।

लक्ष्य

नेतृत्व एजेंसियाँ यानी उद्यमी मित्रास को वार्षिक लक्ष्य आंवटित किया जाएगा। संभवत: पहली पीढ़ी के उद्यमियों की हैंडहोलडिंग के रूप में गतिविधियों के तहत उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

उद्यमी मित्रास की प्रथम श्रेणी के हैंडहोलडींग समर्थन अतीत के प्रदर्शन का आंकलन करने के बाद सीधे लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा लक्ष्य का आंवटन किया जाता है।

अन्य प्रमुख एजेसियाँ यानी द्वितीय एवं तृतीय श्रेणीयाँ उद्यमी मित्रास का लक्ष्य राज्य उद्योग निदेशालय के माध्यम से लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अविटिंत किया जाएगा। इसमें पिछले प्रदर्शन के आधार को ध्यान में रखते हुए बजट की उपलब्धता के रूप में अच्छी तरह से ईडीपी/एसडीपी/इएसडीपी वीटी प्रशिक्षाओं की संख्या निर्धारित की जाएगी। सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया जाएगा।

उद्यमी मित्रास को वित्तीय सहायता

सेवा उद्यमों की स्थापना के लिए उद्यमी मित्रास को प्रति प्रशिक्षु की हैन्डहोल्डींग की शुल्क दर चार हजार रूपये की जाएगी जिसमें केन्द्रीय अनुदान तीन हजार रूपये भी शामिल (RGUMY के तहत) और लाभार्थी द्वारा अग्रिम राशि एक हजार रूपये होगी।

माईक्रो विनिर्माण उद्यमों की स्थापना के लिए अधिकत्तम 25 लाख रूपये (प्लांट एवं मशीनरी) में जिसमें हैंडहोलडींग का प्रभार 6000 रूपये होगा और लाभार्थी द्वारा योगदान 1000 रूपये होगा।

विशेष श्रेणी यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलाग/महिलाएँ/उत्तरी/पूर्वी क्षेत्र से लाभार्थियों को (RGUMY के तहत) योगदान एक हजार रूपये किया जाएगा या शून्य के रूप में लागू)। उद्यमी इसके अलावा अतिरिक्त योगदान करेगा जो हैंडहोलिडिंग का 0.1% की दर से होगी जो परियोजना लागत 25 लाख रूपये से अधिक और अधिकत्तम सीमा 10,000 रूपये होगी।

निगरानी और मुल्यांकन

इस योजना की प्रगति की समीक्षा नियमित आधार पर लघु उद्योग मंत्रालय, आयुक्त, संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के उद्योगों के निदेशक नजर रखेंगे। प्रथम श्रेणी के उद्यमी मित्रास लघु उद्योग मंत्रालय को (मासिक/तिमाही/छमाही) अविध रिर्टन प्ररतुस्त करेगें। इसके अलावा समोकित जानकारी और रिर्पोट जो रिर्टन के आधार पर संकलित की है यदि कोई हो, स्क्रीनिंग समिति/मंत्रालय की समीक्षा और विश्लेषण के लिए समक्ष रखी जाएगी।

(v) खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना

15 अगस्त 2003 को खादी ग्रामोउद्योग आयोग के माध्यम से "खादी कारीगर जनश्रीबीमा" दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने शुरू की थी। यह बीमा योजना तत्काल लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण मंत्रालय द्वारा एलआईसी के साथ शुरू की गयी थी। इस योजना में स्पिनरों, बनुकरों, पूर्व कताई कारीगरों पोस्ट-बुनाई खादी क्षेत्र में लगे कारीगरों को शामिल किया गया है। यह स्कीम अन्य समूह बीमा योजना की तरह, लाभार्थियों के लिए किसी भी टिर्मिनल लाभ के लिए नहीं है, क्योंकि यह एक जीवन बीमा योजना नही है। यह स्कीम केवल मृत्यु/विंगलागता के लिए जोखिम कवर और कार्यकर्ता को उसके भुगतान को उसकी तरफ से खादी और ग्रामोउद्योग आयोग/खादी संस्थाओं द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है वह किसी भी रिटर्न पाने के हकदार नहीं है, यदि वह जीवित रहता है तो वह बीमा की पूरी अविध के जीवित प्रदान करता है।

इस योजना के तहत लाभ की तुलना में यह योजना शुरू से जोखिम को इस तरह कवर किया गया है:

- (i) एक कारीगर की प्राकृतिक मृत्यु पर 20,000 रूपये और दुर्धटना पर 50,000 रूपये
- (ii) स्थायी विकंलागता (दो आँखे/अंगों की हानि) के कारण 50,000 रूपये; और वर्ष 2005-6 आंशिक विकलांगता के लिए 25,000 रूपये जबिक 2006-07 एलआईसी ने जोखिम कवर को प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रूपये और दुर्घटना से मौत पर 75,000 रूपये और स्थायी विकलांगता पर (दोनों आँखे/उपयोग के अँगों की हानि) पर यह 75,000 रूपये होगी।
- (iii) आशिंक विकलांगता के लिए 37,500 रूपये, लाभार्थी को या भारत सरकार के किसी भी अतिरिक्त लागत चार्ज के बिना।

शिक्षा सहयोग योजना को जेबीवाई तहत एड-ऑन कवरेज अतिरिक्त प्रीमियम पर सिम्मिलित किया है। खादी कारीगरों के बच्चों (लाभ प्रति सदस्य प्रति परिवार दो बच्चों के लिए प्रतिबंधित) जेबीवाई के तहत ट्यशन फीस 1,200 रूपये प्रतिवर्ष शिक्षा सहयोग योजना के तहत दिया जाएगा। यह लाभ नौवीं से बारहवीं के लिए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में अध्यन करने के लिए।

प्रीमियम की राशि

प्रत्येक खादी देय प्रीमियम बीमा कारीगर के लिए सौ रूपये प्रतिवर्ष तय की गयी है। देश में अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के कारीगरों की बड़ी संख्या को कवर किया और सफल रही है। खादी ग्रामोद्योग आयोग और एलआईसी के अनुभव से दोनों एजेंसियों ने परिचालन और तरीकों को सरलीकृत किया है। खादी ग्रामोउद्योग आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों को अब एलआईसी की एक नामित इकाँई की सेवा लेने की योजना है। केवीआईसी के राज्य/प्रभागीय निदेशक को अधिकृत किया है कि प्रतिहस्ताक्षर और एलआईसी नामित कार्योलय की ऐसी सूची प्रस्तुत करने के लिए जिससे जब भी दावा उठता है इस सूची के आधार पर तय किया जाए।

दोनों केवीआईसी और एलआईसी के संबंधित केन्द्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी को प्रश्नों का जबाब देने के लिए नामित किया जाए जिससे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आदि समस्याओं का समाना करना पड़ता है। वे उन नोडल अधिकारियों को सीधे संपर्क करने के लिए स्वंतत्र है।

(vi) ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन योजना (ISEC)

यह ISEC योजना खादी कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण का प्रमुख स्त्रोत है। यह मई 1977 में शुरू की गई थी जिसमें बैंको की संस्थाओं से धन जुटाने के लिए वास्तिवक निधि आवश्यकता और बजटीय स्त्रोत से इसकी उपलब्धता के अंतर को पुरा करने के लिए बनाई थी। ISEC योजना के अंतर्गत, पूंजीगत व्यय के लिए 4% प्रतिवर्ष प्रति के रूप में अच्छी तरह से कार्यशील पूंजी के ब्याज की रियायती दर पर ऋण संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार दिया जाता हैं वास्तिवक उधार दर और 4% के बीच के अन्तर की सहायता के लिए केवीआइसी के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार बैंक और धन के लिए भुगतान किया जाता है, इस उद्देश्य के लिए खादी अनुदान सहायता के लिए केवीआईसी के हैड से प्रदान की जाती है।

ISEC योजना के तहत सहायता के लिए केवीआईसी/राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ पंजीकृत संस्थाओं के वित्तपोषण का लाभ उठा सकते हैं। ISEC योजना केवल खादी और पोलीवस्त्र का समर्थन करता है।

(vii) एकीकृत संरचना विकास (IID) योजना

एमएसएमई, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को असमर्थता की वजह से ऋण के लिए पर्याप्त संपाश्विक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंको से ऋण लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को संपाश्विक प्रतिभूति (Collatral Security) और क्रेडिट की लघु क्षेत्र के उद्योगों के प्रवाह के लिए बाधा की समस्या को समाप्त करने के लिए इस दृष्टिकोण के साथ छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट गांरटी फंड योजना का शुभांरम्भ किया था।

सरकार ने लघु उद्योगों, विशेष रूप से छोटे इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ 19 मई 2000 को क्रेडिट गारंटी फंड योजना को मंजूरी दी थी। संपाश्विक/तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना दस लाख रूपये तक लोन दिया जा सके। यह योजना छोटे उद्योगों के लिए क्रेडट गारंटी ट्रस्ट फंड (CGTSI) भारत सरकार और सिडबी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ट्रस्ट को 27 जुलाई 2000 में शामिल किया गया था। एक जनवरी 2001 से इसको चालू किया था। बाद में, सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसकी सीमा 10 लाख रूपये से बढ़कार 25 लाख रूपये तक कर दी। इस योजना की प्रमुख विशेषताएँ नीचे दी गयी हैं:

पात्रता और कवरेज

किसी भी मुक्त ऋण (ऋण की शर्तो व कार्यशील पुंजी) सुविधा एक जून 2000 को या उसके बाद ऋण संस्थाओं द्वारा नई और मौजुदा विनिर्माण इकाइयाँ, प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग सिंहत, विशेष रूप से छोटे क्षेत्र में 25 लाख रूपये की क्रेडिट कैप वाली ऑपरेटिंग प्रति यूनिट, गारंटी कवर को बढ़ाया जा सकता है।

एक सितम्बर 2003 से, ऋण सुविधाओं को 25 लाख रूपये तक उधार देने वाली संस्थाएँ संपाश्विक सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना नए और मौजूदा लघु सेवा और व्यवसाय (उद्योग संबंधित) उद्यम (एमएसएमई) को इस योजना के तहत कवेरज के लिए मंजूरी दी है। किसी भी ऋण सुविधा जो सपाश्विक प्रतिभूति और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के खिलाफ संस्था द्वारा मंजूर किया गया है, तथापि, गारंटी कवर करने के लिए इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। ऋण संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण के 75% गारंटी उपलब्ध है। उधारकर्ता प्रति गारंटी कैप 18.75 लाख रूपये है। ब्याज दर 3% से अधिक नहीं होगी।

गारंटी और वार्षिक सेवा शुल्क

उधार ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को क्रेडिट मंजूर सुविधा के रूप में सेवा शुल्क 1% के रूप में और एक समय की गारंटी शुल्क का भुगतान 2.5% देना होगा।

गारंटी कवर का प्रांरम्भ

गांरटी कवर गांरटी शुल्क के भुगतान की तारीख से शुरू और अवधि ऋग/समग्र क्रेडिट के संबंध में क्रेडिट की सहमित व्यक्त की अवधि कार्यकाल में माध्यम से चला करेगी। जहाँ विकंग कैपिटल अकेले ही पात्र उधारकर्त्ता को बढ़ाया है, गारंटी कवर 5 साल या 5 साल के एक ब्लॉक की अवधि के लिए किया जाएगा, या ऐसी अवधि के लिए उस संबंध में ट्रस्ट द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

गांरटी मांगना

ऋण देने वाली संस्था पात्र ऋण सुविधा के संबंध में गांरटी आहान कर सकती यदि निम्न स्थितियों से संतुष्ट हैं:

क्रेडिट की सुविधा गारंटी के संबंध में चालू है; लोक-इन-पीरियड़ 24 महीने से उधारकर्त्ता के लिए के ऋण अंतिम सवितरण की तारीख या उधारकर्त्ता को ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख, जो भी बाद में बीत गया हो।

ऋण सुविधा के संबंध में ऋण संस्था को देय राशि और भुगतान नहीं किया गया है और देय राशि को गैर-निष्पादक अस्टेस संस्था द्वारा वर्गीकृत किया गया है। बशर्ते कि ऋण देने वाली संख्या का ट्रस्ट पर कोई भी ऋण सुविधा के संबंध में हक होगा और ना ही दावा करेगी अगर दी गयी ऋण सुविधा के संबंध में नुकसान/विपरीत या ट्रस्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देश का उल्लंघन हुआ है लिए गए निर्णयों की कार्यवाही से हुई है जो ऋण की सुविधा को वापस लिया गया है और कानून प्रक्रिया के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है।

ट्रस्ट द्वारा 30 दिनों के भीतर गांरटी राशि का 75% भुगतान करने को पसंद करेगा जो लैनडिंग संस्थाओं द्वारा दावा किया हो जो आदेश और सभी मामलों में पूर्ण पाया जाएगा। गांरटी राशि का 25% बैंलस लैनडिंग संस्थाओं द्वारा वसूली की कार्यवाही के बाद की भुगतान किया जाएगा।

पात्र संस्थान

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ("सतत व्यवहार्यता" के अंतर्गत वर्गीकृत) या उन संस्थाओं के इस तरह के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। 31 मार्च 2004 के रूप में, 45 पात्र संस्थान जिसमें 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 10 निजी क्षेत्र के बैंको छह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और तीन अन्य संस्थानों जैसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ऋण गांरटी स्कीम के तरह CGTSI की लैनडिंग संस्थान का सदस्य बन गए।

भारत सरकार और सिडबी कोरपस फंड में 4:1 के अनुपात में योगदान होगा। ट्रस्ट की स्थापना 125 करोड़ रूपये के कोरपस फंड से शुरू किया था और यह 2001-02 के अंत तक 250 करोड़ रूपये बढाया। वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान यह 686.19 करोड़ रूपये था। सरकार ने आगे 2004-05 के दौरान, 196.25 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया। वर्तमान में यह संचित निधि 767.44 करोड़ रूपये की है।

(viii) उद्योग संघो द्वारा परीक्षण केन्द्रो की स्थापना और आधुनिकीकरण ⁄गुणवत्ता का विस्तार राज्य सरकारों के केन्द्र चिहिनत और उनके स्वायत्त निकाओं की योजना

लघु उद्योग मंत्रालय ने 1995 में एक स्कीम शुरू की जिससे इस क्षेत्र के उद्योग संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जिससे गुणवत्ता में परामर्श और आम परीक्षण सुविधाएँ दी जा सके जिससे कि:

- (क) उद्योग संघों को उत्साहित करना जिससे वह परीक्षण के क्षेत्र में प्रासंगिक मानक विनिर्देशों के अनुसार के रूप में तैयार उत्पादों के परीक्षण सुविधाएँ देकर लघु उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद की जा सके और ISI लोगों के अंकन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकें।
- (ख) एमएसएमई की सेवाओं के लिए परामर्श देना जिससे गुणवत्ता, मानकीकरण और कच्चे माल व तैयार उत्पादों की आवश्यक जानकारी उपलब्ध दी जा सके।

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता देना जिससे किसी मैंचींग योगदान के बिना राज्य सरकार प्रत्येक मामले में जिसमें उपकरण की मौजूदा लागत का 50% के बराबर और प्रतिबधिंत 20 लाख रूपये से 50 लाख रूपये तक प्रदान करेगा। राज्य सरकार मैचिंग फंड देने के लिए भी प्रतिबंध है। एसोसिएशन पूरी तरह से परीक्षण केन्द्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी सुविधाओं, विकास और केन्द्र के लिए रनींग कोस्ट को उपलब्ध कराता है। नवम्बर 1997 से यह योजना मौजूदा राज्यों के उद्योग विभाग द्वारा संचालित चिह्नित गुणवत्ता केन्द्रों को आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए जो राज्य सरकारों द्वारा संचालित है बढ़ा दिया गया है। केन्द्रीय सहायता के रूप में यह 20 लाख रूपये प्रयाप्त आकर्षक नहीं पाया गया है।

योजना में संशोधन

भारत सरकार ने इस योजना की समीक्षा की और यह निर्णय लिया गया कि इस केन्द्रीय सहायता को संशोधित कर के इस उप्पर लिमिट को बढ़ाया जाए। इस पैकेज में यह सम्मलित किया गया कि मशीनों व उपकरण की लागत का 50% के बराबर और 50 लाख रूपये तक प्रतिबंधित जो ऐसी प्रयोगशालाओं को उद्योग संघ संचालित करते है दिया जाएगा जो अंतराष्ट्रीय मानकों की स्तर पर की हों।

संशोधित योजना के कवरेज

यह संशोधित योजना उन परीक्षण प्रयोगशालाओं को कवर किया जाएगा जो वाणिज्य मंडलों सहित औद्योगिक सहकारी सोसाइटी (पंजीकरण) अधिनियम के तहत या किसी वैधानिक अधिनियम के तहत पंजीकृत है। यह संशोधित योजना राज्य सरकारों के तत्वावधान में मौजूदा केन्द्रों के विस्तार और आधुनिकरण को भी कवर किया जाएगा जो राज्य सरकार के वित्त पोषित स्वायत निकायों या उद्योग संघों द्वारा संचालित होगी।

इस योजना के तहत एक बार सहायता अनुदान प्राप्त करने के रूचि रखते हो जिसमें चैम्बर आफ कार्मस, औद्योगिक सहकारिता, सभी उद्योग संघ जो अधिनियम सोसायटी 1860 या किसी भी अन्य कानून के तहत पंजीकृत की गयी हों।

उद्देश्य

इस स्कीम का उद्देश्य परीक्षण केन्द्रों को प्रोमोट करना है जो राज्यों में स्थित हैं। उनको प्रांसिंगक मानक विर्निदेशों के अनुसार कच्चे माल, उपकरणों और उत्पादों की गुणवता का परीक्षण करने के लिए मुख्य रूप से एमएसएमई और औद्योगिक इकाईयों को सुविधाएं दी जाए। परीक्षण केन्द्रों के उपलब्ध सुविधाएँ देने का उद्देश्य यह है कि:

- अपने उत्पादों के लिए |S| मार्क प्राप्त करने में एमएसएमई की मदद:
- उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना;
- मानकीकरण को बढ़ावा देने के एंड-प्रोडक्ट और सामग्री विनिर्देशों की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना;
- गुणवत्ता आश्वासन का विस्तार और प्रचार हेतु संस्थान जैसे की भारतीय मानक ब्यूरो, निर्यात निरीक्षण ऐजींसी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अन्य सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के रूप में इस तरह के परीक्षण प्रयोगशाला की सहायता।

लघु उद्योग क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के बीच कुल गुणवत्ता प्रंबंधन की अवधारणा को बढ़ावा देने और ISO9000/ISO14000/BIS क लिए मान्यता प्राप्त करने में इकाइयों की सहायता।

पात्रता की कसौटी

आवेदक परीक्षण केन्द्र के काम को देखने के लिए एक विशेषशासी परिषद का गठन किया है जहाँ संबंधित राज्य उद्योग निदेशालय से प्रतिनिधित्व परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए जाना प्रस्तावित देखेगें।

यदि एसोसिएशन/राज्य सरकारों ने किसी अन्य राज्य/केन्द्र सरकार से अनदान में सहायता का लाभ उठाया है, परीक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए पहले की योजना के तहत सहायता सिहत ऐसा सकेंत मिलता है जिसमें परीक्षण केन्द्रो/क्विलटी मार्किंग सेन्टर का अंतराष्ट्रीय मानकों के आधार पर आधुनिकरण करके एक नई परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए उसे डीसी (MSME) को उद्योग निदेशक के माध्यम से सिफारिस के लिए प्रस्तुत करेंगे। हांलिक, अपने आप को वर्तमान योजना के तहत पात्र बनाने से पहले उन्हें विधिवत चाटर्ड एकाउटेंट द्वारा लेखा परीक्षा कराके निर्धारित प्रपत्र GFR 19। के साथ उद्योग निदेशक के माध्यम से डीसी (MSME) के पास पहुँचाना होगा।

संशोधित योजना के तहत देय अधिकत्तम राशि

कुछ उत्पादों के लिए उचित आधुनिक सुविधाओं के साथ परीक्षण मशीनरी और उपकरणों के निवेश के लिए पुंजी एक करोड़ रूपये एक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए पर्याप्त माना जाता है। इसलिए, भारत सरकार की अनुदान की अधिकत्तम राशि इस योजना के तहत सहायता परीक्षण उपकरण और मशीनरी प्रयोगशाला में स्थापित की लागत का 50% और अधिकतम सीमा 50 लाख रूपये की एक समय सहायता अनुदान के रूप में होगा।

फंड की आवश्यकता

डी सी (एमएसएमई) अनुदान के अनुमानों के पात्र संघो को हर साल सहायता करेगा, 2001-02 के लिए बजट प्रावधान 0.50 करोड़ रूपये था और वर्ष 2006-07 में एक करोड़ रूपये का कोष आधारित किया था।

योजना का कार्यान्वयन

पंजीकृत संघ एक मुख्य कार्याकारी अधिकारी और अन्य आवश्यक स्टाफ उनके सदस्य इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए परीद्वाण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए नियुक्त करेगें।

परियोजना (प्रोजेक्ट)

एक विस्तृत परियोजना रिर्पोट में यह बताना होगा कि भूमि और भवन की आवश्यकताएँ, परीक्षण मशीनरी और उपकरणों उनकी लागत, क्रियाशील पूंजी और वित्तीय व्यवस्था कर्मियों की आवश्यकता और व्यहार्यता काम का संकेत आदि उद्योग एसोसिएशन/क्वालीटी मार्किंग केन्द्र संबंधित राज्य उद्योगों निदेशालय को उनकी परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्यों के उद्योग निदेशालय द्वारा प्रस्तावनों की जाँच करने के बाद, ये सभी अपनी सिफारिशों को डीसी (एमएसएमई), निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजी जाएगीं।

सिफारिश संबंधित राज्यों के उद्योग निदेशालय से प्राप्त आवेदनों के रूप में और डीसी (एसएमई) की अध्यक्षता में एक जाँच समिति द्वारा विचार किया जाएगा और विभाग से सदस्यों का समावेश होगा जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिक (डीएसटी), भारतीय ब्यूरो, लघु उद्योग के राज्यों की इंडस्ट्रीज के निदेशक, आरटीसी के कार्यालय उसके मैम्बर सैक्ट्ररी होगें। यह कमेटी भविष्य में सिद्धांत रूप से सहायता प्रदान करेगें।

केन्द्रीय सरकार अनुदान में 45 लाख रूपये के लिए सीमित मूल्य का 50% की सहायता जो दो किस्तों में 22.50 लाख रूपये में जारी किया जाएगा। यह सहायता एसोसिएशन/क्वालिटी मार्किंग सेन्टर जो कि संबंधित राज्य सरकार उन एजेंसियों द्वारा खरीद की गई प्रगति पर निर्भर करता है। भारत सरकार की अंतिम किस्त की अनुदान सीमित राशि को अधिक सीमा 5 लाख रूपये होगी जो बीआइएस/एनएबीएल/अन्य किसी प्रतिष्ठित अंतराष्ट्रीय संगठनों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही यह किस्त दी जाएगी। मान्यता प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रतिया, व्यय आदि का विवरण विधिवत चार्टड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित तिमाही के आधार पर उपयोग प्रमाण पत्र की पूरी अनुदान की राशि को एसोंसिएशन/क्वालिटी मार्किंग सेन्टर ने यह राशि प्राप्त की हो।

उपयोगिता प्रमाणपत्र की अंतिम किस्त जो भारत सरकार की अनुदान की सहायता एंसोसिएशन/राज्य सरकारों को दी गयी है वह जीएफआर-19 ए में भरकर जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र डिवीजन के डी<mark>सी (एसएसआई) के मुख्यालय प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञा</mark>पित करने के लिए समय-समय पर और न्यूजपेपर की क्लीपिंग उद्योग <mark>आयुक्त/निदेशक को प्रस्तुत करेगें।</mark>

मएसएमई मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएँ

फंड की रिहाई के लिए परिस्थितियाँ

भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता की अधिकतम राशि 50 लाख रूपये परीक्षण मशीनरी और उपकरणों की लागत के 50% जो भी कम हो, जारी करने के लिए विचार किया जाएगा यदि निम्न स्थितियाँ संतुष्ट हैं:

उद्योग एसोंसिएशन एक शासी परिषद का गठन करेगी जिसमें एसोंसिएशन के कार्यकारी सदस्य होगें। राज्य सरकार को भी इस शासी परिषद में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

उद्योग एसोसिएशन केन्द्र सरकार की लिखित अनुमित के बिना केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से निर्मित संम्पित का किसी को निपटान नहीं होगा।

यदि एसोसिएशन इन शर्तो का पालन करने में विफल रहता है, राजस्व के रूप में आवश्यक कार्यवाही और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस संबंध में एक उपक्रम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया जाएगा।

उद्योग एंसोसिएशन/राज्य सरकार विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय को प्रस्तुत करेगें। संबंधित राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रमाणित करके डीसी (एमएसएमई) नई दिल्ली के कार्यालय के लिए फारवर्ड करेगा।

केन्द्रीय सरकार अनुदान सहायता परीक्षण मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए खर्च और आवर्ती व्यय देगा। यह किसी भी अन्य व्यय को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

अवधि

इस योजना के संचालन के लिए प्रारम्भिक अवधि जो पाँच वर्षों जो 2001-02 से शुरू की थी और विस्तार का फैसला उसकी सफलता को ध्यान में रख कर ही किया जाएगा। इस योजना के लाँच के बाद, मौजूदा योजना को संशोधित स्कीम में सम्मिलित किया जाएगा।

15 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

व्यापार विकास के लिए विपणन एक रणनीतिक उपकरण है। यह सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के अस्तित्त्व के लिए महत्त्वपूर्ण है। विपणन किसी भी उद्यम की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बड़े उद्यमों के पास पर्याप्त संसाधनों के लिए मैनपावर है जो अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन का ख्याल रखता है। लघु उद्योग क्षेत्र में इन संसाधनों की कमी है अत: उन्हे इस प्रकार के विपणन के क्षेत्र में इन सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत समर्थन की जरूरत है।

व्यापक उद्देश्यों में विपणन सहायता योजना के साथ-साथ अन्य बातें भी शामिल है:

- (1) विपणन क्षमताओं और लघु उद्योगों की प्रतिस्पधित्मकता को बढ़ाने के लिए।
- (2) एमएसएमई की दक्षता का प्रदर्शन करने के लिए।
- (3) प्रचलित बाजार परिदेश्य और उनकी गतिविधियों पर उसके प्रभाव के बारे में एमएसएमई को उद्यतन करने के लिए।
- (4) अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए लघु उद्योगों के कंसोर्टिया के गठन की सुविधा।
- (5) बड़े संस्थागत खरीदारों के साथ बातचीत के लिए एमएसएमई को मंच प्रदान करने के लिए।
- (6) सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार/प्रसार करना।
- (7) सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमियों के विपणन कौशल को समृद्ध करना।

विपणन सहायता योजना के तहत एमएसएमई, लघु उद्योग निगम, मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ, मंत्रालय लघु उद्यमों के लिए बनाया गया है। एनएसआईसी को बढ़ावा देने के अपने अभियान के व्यावसियक पहलु पर ध्यान देने के साथ लघु उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था। यह कई योजनाए लागू करने के लिए जैसे की कच्चे माल की खरीद, उत्पाद विपणन, क्रेडिट रेटिंग, प्रौद्यगिकियों के अधिग्रहण, बेहत्तर प्रबंधन प्रथाओं को गोद लेने आदि एनएसआईसी योजनाए के रूप में नीचे दिये गए क्षेत्रों में लघु उद्योगों की मदद करता है।

- बिल फाइनेंसिग
- वर्किंग कैपिटल कार्य
- एक्सर्पोट डेवलपमेंट फाइनेंस
- उपकरण लीजिंग स्कीम
- कच्चे माल प्रोक्योमेंट समर्थन
- विपणन सहायता कार्यक्रम और निर्यात सहायता
- स्टोर खरीद कार्यक्रम
- एकल बिन्दु पंजीकरण योजना और अन्य सेवाएं।

16 खादी व ग्रामोउद्योग और कोयर बोर्ड

खादी व ग्रामोउद्योग और कोयर बोर्ड के क्षेत्र के विकास व समन्वय के लिए लघु उद्योग मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है। नीतियाँ और कार्यक्रमों/कृषि और ग्रामीण उद्योग से संबंधित योजनाएँ और भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत और अन्य कार्यक्रम और राज्य सरकार द्वारा कोआपरेशन व भागीदारी के साथ केवीआईसी और कोयर बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कर रहे है। मंत्रालय ने एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी केवीआईसी और कोयर बोर्ड के माध्यम से रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी और SFURTI करने के लिए योजना लागू करता है और परम्परागत उद्योगों को और अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढावा देता है।

केवीआइसी खादी और ग्रामोउद्योग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। यह एक संवैधानिक संगठन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के विकास में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के उद्देश्यों द्वारा विक्रय और ग्रामीण समुदाय की भावना के उत्पादन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है।

कोयर बोर्ड भी एक संवैधानिक निकाय है जो कोयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत स्थापित है। यह निकाय भारत में कोयर उद्योग के विकास के लिए अच्छी तरह से इस पारम्परिक उद्योग में लगे श्रिमकों के उत्थान के लिए बढावा देने के लिए कार्य करता है। 17

विदेश व्यापार को शसित के तहत महत्त्वपूर्ण नीतियाँ, नियम और प्रक्रियाएँ

- सीमा अधिनियम 1962
- सीमा शुल्क अधिनियम 1975
- भारतीय विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992
- विदेश व्यापार (विनियन) नियम 1993
- भारतीय विदेश व्यापार नीति 2009-2014
- अंर्तराष्ट्रीय व्यापार समझौते
- विदेशी मुद्रा प्रंबंधन अधिनियम 1999

आईईसी कोड

आइईसी कोड को लेने के लिए कानूनी प्रावधान विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम 1993 और विदेश व्यापार नीति के महनिदेशालय नं. 15 परिषत्र (RE 2006)/2004&2009 तिथि 27 जुलाई 2006 दिया गया है।

मुख्य प्रक्रिया निम्नवत है:

- आवेदक अपने पंजीकृत/हैड्ओिफस द्वारा निकटतम विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकरण को आयात-निर्यात
 फार्म 2ए (ANF2A) परिशिष्ट 18बी के साथ आवेदन देगा।
- इस आवेदन की फीस 250 रूपये डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जा सकता है।
- केवल एक आइईसी एक ही पैन नंबर के खिलाफ जारी किया जाएगा।
- एक आइईसी एक आवेदक को आंवटित संख्या अपने सभी शाखाओं/प्रभागों/इकाइयों/कारखानों के लिए मान्य है।

18 टैक्स होलीडे स्कीम

नई एमएसएमई के लिए मुनाफे व लाभ के संबंध में कटौती सेक्सन 80IB के तहत उपलब्ध है। यह कटौती अनुमित मुनाफे की 25% को दस वर्षों के लिए दी है। जो युनिटें नार्थ ईस्ट या पिछडें राज्यों में लगी हुई है उनको कटौती की अनुमित पहले पाँच सालों के लिए 100% और अगले पाँच साल के लिए 25% है। राज्य सरकारें लघु सरकारों लघु उद्योगों के लिए बिक्रीकट के संबंध प्रोत्साहन देता है। कुछ सरकारें टैक्स होलीडे 5-10 साल अविध के लिए देती है जबिक दुसरों को कर की मोहल्लत प्रदान करते है।

सभी पूर्वी राज्यों में, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और केन्द्र शासित प्रदेशों अड़ंमान और निकोबार द्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्ष्यद्वीप, पिडचेरी में स्थित नई औद्योगिक उपक्रमों के लिए पाँच वर्ष के लिए टैक्स होलीडे घोषित किया गया है। 19

औद्योगिक एस्टेट कार्यक्रम

भारत में औद्योगिक एस्टेट कार्यक्रम शायद किसी भी विकासशील देश में किए गए कार्यक्रमों में बड़ा है। यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया था जब ऐसा सर्वप्रथम एस्टेट महाराष्ट्र के हदापसर में स्थापित किया गया था।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग को प्रोत्साहित करना है जिसमें निर्माण, विस्तार, आधुनिकरण कारखाना, में रहने की जगह के प्रावधान के माध्यम से, आम सेवा, सुविधाएँ और सर्विर्सिंग सहायता, स्थापना और संचालन के सभी चरणों और छोटे पैमाने के भीतर उप-ठेका संम्बधों को विकसीत करने का समर्थन बड़ें उद्योगों और विशेष विनिर्माण गतिविधियाँ। अत: इस कार्यक्रम में निर्मित अर्ध-शहरी ग्रामीण और पिछडे क्षेत्रों में अपेक्षित सुविधाएँ और सेवाओं के साथ कारखाने आवास के प्रावधान के माध्यम से क्षेत्रीय विकास की भूमिका तैयार की जाए।

राज्य सरकार की औद्योगिक एस्टेट के कार्यक्रमों के अलावा, भारत सरकार अपनी औद्योगिक विकास केन्द्र योजना और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क योजना है जो औद्योगिक संम्पदाओं के स्थापना पदोन्नत का शुभारंभ किया। औद्योगिक विकास केन्द्र के बाद से बंद कर दिया गया है। लघु उद्योगों के लिए औद्योगिक सम्पदा के लिए विशेष रूप से एकीकृत इन्फ्रास्टकचरर विकास की योजना शुरू की गई है। यह मौजुदा सम्पदा के उन्नयन के मामलें भी शामिल होगें।

20 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रः एक प्रोफाइल

(चौथी जनगणना के त्वरित अनुमान, 2006-07)					
एमएसएमई की संखा	:	26.1 मिलियन			
विनिर्माण उद्यमों की संख्या	:	7.5 मिलियन			
सर्विस उद्यम की संख्या	:	18.6 मिलियन			
महिला उद्यम की संख्या	:	1.9 मिलियन (7.4%)			
ग्रामीण उद्यम की संख्या	:	13.5 मिलियन (51.8%)			
रोजगार	:	59.5 मिलियन			
प्रति इकाई रोजगार	:	5.93			
प्रति इकाई फिक्सड निवेश (पंजीकृत)	:	32.26 लाख रूपये			
प्रति इकाई मूल संयंत्र और मशीनरी के मुल्य (पंजीकृत)	:	7.81 लाख रूपये			
प्रति इकाई सकल उत्पादन (पंजीकृत)	:	45.69 लाख रूपये			
प्रति रोजगार एक लाख फिक्सड निवेश (पंजीकृत)	:	0.18			

अगस्त 2010 में संशोधित

NOTES

	_
	_

NOTES

	_
	_

NOTES

	_
	_



Confederation of Indian Small and Medium Enterprises

P-95, South Extension Part-II, New Delhi-1100 49, India Tel: +91-11-4100 7090/91/92 Telefax: +91-11-41007093 Email: info@cisme.in, cisme@cisme.in

Website: www.cisme.in